

UNIVERSAL
LIBRARY

O_U_178336

UNIVERSAL
LIBRARY

OSMANIA UNIVERSITY LIBRARY

H

R.G.H.2722

Call No. 923.254

Acc No. 505

549 H

Author : Q

गांधी, मानक

Title : D

हमारी मानवी

Osmania University Library

Call No. H 723.254

P.G.H
Accession No. 2722

G19H

Author

జిల్లా, జి ఏ

Title

ప్రమాద జీవి

This book should be returned on or before the date last marked below.

OSMANIA UNIVERSITY LIBRARY

Call No. H 923.254 Accession No. G.H. 2722
Author गांधी, मो. क.
Title हमारी मांग १९४५

This book should be returned on or before the date
last marked below.

हमारी मांग

द्विसरी गोलमेज परिषद में दिये गये भहात्मा गांधी के
महत्वपूर्ण भाषण



सम्पादक

चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य

जे० सी० कुमारप्पा



१६५५

सत्साहित्य प्रकाशन

प्रकाशक
मार्तण्ड उपाध्याय
मंत्री, सस्ता साहित्य मंडल
नई दिल्ली

नवजीवन ट्रस्ट, अहमदाबाद की सहमात्रे से

तीसरी बार : १९५५

मूल्य

सवा रुपया

मुद्रक
एडवांस प्रेस,
नई दिल्ली

प्रकाशकीय

पाठक जानते हैं कि गांधीजी द्वासरी गोलमेज में शामिल होने लंदन गये थे और परिषद के सामने उन्होंने बड़े जोरदार शब्दों में हमारे देश की मांग उपस्थित की थी। उसी अवसर पर दिये गए गांधीजी के भाषण इस पुस्तक में प्रकाशित किये गए हैं। बात पुरानी हो गई है; पर वह इतिहास की एक ऐसी घटना है, जिसे कोई भी राष्ट्र-प्रेमी भूल नहीं सकता। यद्यपि तबसे स्थिति बदल गई है, तथापि उन घटनाओं के प्रकाश में वर्तमान को देखने से लाभ ही होगा।

वैसे गांधीजी गोलमेज-परिषद के निमित्त गये थे; लेकिन उनका काम परिषद तक ही सीमित नहीं रहा था। उन्होंने भारत के संदेश को व्यापक रूप से फैलाने का प्रयत्न किया और इसमें उन्हें अपेक्षाकृत अधिक सफलता मिली। उसका विस्तृत विवरण ‘इंग्लैण्ड में गांधीजी’ नामक पुस्तक में हमने प्रकाशित किया है।

प्रस्तुत पुस्तक का यह तो सरा संस्करण है। दूसरा संस्करण ‘राष्ट्रवाणी’ के नाम से प्रकाशित हुआ। इस संस्करण में उसका नाम पुनः ‘हमारी मांग’ कर दिया गया है।

आशा है, पाठक इस तथा इसकी पूरक ‘इंग्लैण्ड में गांधीजी’ पुस्तक को ध्यान से पढ़ेंगे और स्थायी साहित्य के रूप में सुरक्षित रखेंगे।

इसका अनुवाद श्री शंकरलाल वर्मा ने किया है जिसके लिए हम उनके बहुत आभारी हैं।

—मंत्री

विषय सूची

१. राष्ट्रीय मांग	
(गोलमेज-परिषद की संघ-विधायक समिति में दिया गया पहला भाषण)	७
२. धारासभाएं	
(संघ-विधायक समिति में दिया गया दूसरा भाषण)	१३
३. दो कसौटियां	
‘डियन कार्ग्रेस लीग’ की ‘गाधी सोसाइटी’ की ओर से गाधीजी की वर्षगाठ के उपलक्ष्य में दिये गए भोज में गाधीजी का भाषण)	३४
४. अल्पसंख्यक जातियां	
(गोलमेज-सभा की अल्पसंख्यक समिति में दिया गया भाषण)	३६
५. संघ-न्यायालय	
(संघ-विधायक समिति में दिया गया भाषण)	४५
६. जनतन्त्र की हत्या	
अल्पसंख्यक समिति की अंतिम बैठक में दिया गया भाषण)	५२
७. सेना	
(संघ-विधायक समिति में दिया गया भाषण)	६०
८. व्यापारिक भेद-भाव	
(संघ-विधायक समिति में दिया गया भाषण)	६६
९. अर्थ	
(संघ-विधायक समिति में दिया गया भाषण)	८४

१०. प्रांतीय स्वराज्य	
(संघ-विधायक समिति में दिया गया भाषण)	६३
११. हमारी बात	
(गोलमेज-परिषद् के पूर्णधियेशन में दिया गया भाषण)	१०२
१२. अलबिदा	
(गोलमेज परिषद् के अध्यक्ष के प्रति धन्यवाद का प्रस्ताव पेश करते हुए दिया गया भाषण)	१२१
१३. परिक्षिण्ड	
(१) शिल्पी का समझौता	१२५
(२) प्रधानमन्त्री की घोषणा	
(ग्र) पहली गोलमेज-परिषद् के अत मे	१२७
(आ) दूसरी गोलमेज-परिषद् के अत मे	१३१

हमारी मांग

: १ :

राष्ट्रीय मांग

आरम्भ में ही मुझे यह बात स्वीकार करनी चाहिए कि आपके सामने महासभा की स्थिति रखने में मुझे जरा भी दुविधा नहीं है। मैं आपको यह बतला देना चाहता हूँ कि इस उप-समिति में और यथासमय गोलमेज-परिषद् में सम्मिलित होने के लिए मैं सर्वथा सहयोग के भाव लेकर और अपनी शक्ति भर समझौते का उपाय करने के उद्देश्य से ही लन्दन आया हूँ। साथ ही मैं सम्राट् की सरकार को यह विश्वास दिला देना चाहता हूँ कि किसी भी अवस्था में अधिकारियों को कठिनाई में डालने की मेरी इच्छा न है, न आगे होगी। और यही विश्वास मैं यहा के अपने साथियों को दिला देना चाहता हूँ कि हमारे दृष्टिकोण में कितना ही अन्तर हो, मैं किसी भी प्रकार या रूप में उनके मार्ग में रुकावट न ढालूगा। इसलिए मेरी स्थिति यहाँ पर सर्वथा आपकी और सम्राट् की सरकार की सद्भावना पर निर्भर करती है। किसी भी समय यदि मुझे यह मालूम हुआ कि इस परिषद् में मेरी कुछ उपयोगिता नहीं है तो इससे अलग हो जाने में मुझे जरा भी हिचकिचाहट न होगी। इस उप-समिति और परिषद् के प्रबन्धकों से भी मैं यही कहना चाहता हूँ कि उनके केवल सकेतमात्र से मैं अलग हो जाने में जरा भी न हिचकिचाऊँगा।

ये बातें इसलिए कहनी पड़ती हैं कि मैं जानता हूँ कि सरकार और महासभा के बीच मौलिक मतभेद है—और सम्भव है कि मेरे साथियों

और मुझमें भी महत्वपूर्ण मतभेद हो—और मैं एक मर्यादा से बंधा हुआ हूँ, जिसके अन्तर्गत मुझे काम करना होगा। मैं तो भारतीय राष्ट्रीय महासभा का एक गरीब और विनम्र प्रतिनिधि मात्र हूँ। इसलिए हमारे लिए यह बता देना अच्छा होगा कि महासभा क्या है और उसका उद्देश्य क्या है। तब आप मेरे साथ सहानुभूति करेंगे, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मेरे कन्धों पर ज़िम्मेवारी का जो बोझ है वह बहुत भारी है।

यदि मैं गलती नहीं करता हूँ, तो महासभा भारतवर्ष की सबसे बड़ी संस्था है। उसकी अवस्था लगभग ५० वर्ष की है और इस अर्सें में वह बिना किसी स्कावट के बराबर अपने वार्षिक अधिवेशन करती रही है। सच्चे अर्थों में वह राष्ट्रीय है। वह किसी खास जाति, वर्ग या किसी विशेष हित की प्रतिनिधि नहीं है। वह सर्वभारतीय हितों और सब वर्गों की प्रतिनिधि होने का दावा करती है। मेरे लिए यह बताना सबसे बड़ो खुशी की बात है कि उसकी उपज आरम्भ में एक अंग्रेज मस्तिष्क में हुई। एलन ओकटेवियस ह्यूम को काँग्रेस के पिता की तरह हम जानते हैं। दो महान पारसियों—फ़ीरोजशाह मेहता और दादाभाई नौरोजी ने, जिन्हें सारा भारत 'बृद्ध पितामह' कहने में प्रसन्नता अनुभव करता है, इसका पोषण किया। अपने आरम्भ से ही महासभा में मुसलमान, ईसाई, एंग्लो-इंडियन आदि शामिल थे या मुझे यों कहना चाहिए, इसमें सब धर्म, सम्प्रदाय और हितों का थोड़ी-बहुत पूर्णता के साथ प्रतिनिधित्व होता था। स्वर्गीय बदरुद्दीन तैयबजी ने अपने आपको महासभा के साथ मिला दिया था। मुसलमान और निस्सन्देह पारसी भी महासभा के सभापति रहे हैं। मैं इस समय कम-से-कम एक भारतीय ईसाई श्री डबल्यू० सी० बनर्जी का नाम भी ले सकता हूँ। विशुद्ध भारतीय श्री कालीचरण बनर्जी ने, जिनके परिचय का मुझे सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ, अपने को महासभा के साथ मिला दिया था। मैं और निस्सन्देह आप भी अपने बीच श्री० के० टी० पाल का

अभाव अनुभव कर रहे होंगे। यद्यपि मैं नहीं जानता लेकिन, जहाँ तक मुझे मालूम है, वे अधिकारी रूप से कभी महासभा में शामिल नहीं हुए, फिर भी वे पूरे राष्ट्रवादी थे।

जैसा कि आप जानते हैं, स्वर्गीय मौ. मुहम्मदअली, जिनकी उपस्थिति का भी आज यहाँ अभाव है, महासभा के सभापति थे, और इस समय महासभा की कार्यसमिति के १५ सदस्यों में ४ सदस्य मुसलमान हैं। स्त्रियाँ भी हमारी महासभा की अध्यक्षा रह चुकी हैं—पहली श्री एनी बेसेण्ट थी और दूसरी श्रीमती सरोजिनी नायडू। श्रीमती नायडू कार्यसमिति की सदस्या भी हैं। इस प्रकार यदि हमारे यहाँ जाति और धर्म का भेदभाव नहीं है तो किसी प्रकार का लिंगभेद भी नहीं है।

महासभा ने अपने आरम्भ से ही कथित 'अद्यतों' के नाम को अपने हाथ में ले रखा है। एक समय था जबकि महासभा अपने प्रत्येक वार्षिक अधिवेशन केस मय अपनी सहयोगी संस्था की तरह सामाजिक परिषद् का भी अधिवेशन किया करती थी, जिसके काम को स्वर्गीय रानडे ने अपने अनेक कामों में का एक बना कर उसे अपनी शक्तियाँ समर्पित की थी। आप देखेंगे कि उनके नेतृत्व में सामाजिक परिषद् के कार्यक्रम में अद्यतों के सुधार के कार्य को एक खास स्थान दिया गया था; किन्तु सन् १९२० में महासभा ने एक बड़ा कदम बढ़ाया और अस्पृश्यता-निवारण के प्रश्न को राजनैतिक मंच का एक आधार-स्तम्भ मानकर राजनैतिक कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण अंग बना दिया। जिस प्रकार महासभा हिन्दू-मुस्लिम ऐक्य और इस प्रकार सब जातियों के परस्पर ऐक्य को स्वराज्य-प्राप्ति के लिए अनिवार्य समझती थी, उसी तरह पूर्ण स्वतन्त्रता-प्राप्ति के लिए छुआद्यूत के पाप को दूर करना भी वह अनिवार्य समझते लगी।

सन् १९२० में सभा ने जो स्थिति ग्रहण की थी, वही आज भी बनी हुई है और इसलिए आप देखेंगे कि महासभा ने अपने आरम्भ से ही अपने-आपको सच्चे अर्थों में राष्ट्रीय सिद्ध करने का प्रयत्न किया है।

यदि महाराजागण मुझे आज्ञा देंगे तो मैं यह बतलाना चाहता हूं कि आरम्भ में ही महासभा ने आपकी भी सेवा की है। मैं इस समिति को याद दिलाता हूं कि वह व्यक्ति भारत का वृद्ध पितामह ही था, जिसने कश्मीर और मैसूर के प्रश्न को हाय में लेकर सफलता को पहुंचाया था और मैं अत्यन्त नम्रतापूर्वक कहना चाहता हूं कि ये दोनों बड़े घराने श्री दादाभाई नौरोजी के प्रयत्नों के लिए कम क्रृणी नहीं हैं। अबतक भी उनके घरेलू और आन्तरिक मामलों में हस्तक्षण न करके महासभा उनकी सेवा का प्रयत्न करती रही है।

मैं आशा करता हूं कि इस सक्षिप्त परिचय से, जिसका दिया जाना मैंने आवश्यक समझा, समिति और जो महासभा के दावे में दिलचस्पी रखते हैं वे जान सकेंगे कि उसने जो दावा किया है, वह उसके उपयुक्त है। मैं जानता हूं कि कभी-कभी वह अपने इस दावे को कायम रखने में असरून भी हुई है; किन्तु मैं यह कहने का साहस करता हूं कि यदि आप महासभा का इतिहास देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि असफल होने की अपेक्षा वह सफल ही अधिक हुई है और प्रगति के साथ सफल हुई है। सबसे अधिक, महासभा मूल रूप में, अपने देश के एक कोने से दूसरे कोने तक ७,००,००० गांवों में बिखरे हुए करोड़ों मूक, अद्वैतन और भूखे प्राणियों की प्रतिनिधि हैं; यह बात गौण है कि ये लोग ब्रिटिश भारत के नाम से पुकारे जानेवाले प्रदेश के हैं अथवा भारतीय भारत अर्थात् देशी रुज्जों के। इसलिए महासभा के मत से, प्रत्येक हित जो रक्षा के लोग्य है, इन लाखों मूक प्राणियों के हित का साधक होना चाहिए। आप समय-समय पर विभिन्न हितों में प्रत्यक्ष विरोध देखते हैं; परन्तु, यदि वस्तुतः कोई वास्तविक विरोध हो तो, मैं महासभा की ओर से बिना किसी संकोच के यह बता देना चाहता हूं कि इन लाखों मूक प्राणियों के हित के लिए महासभा प्रत्येक हित का बलिदान कर देगी; क्योंकि वह आवश्यक रूप से किसानों की संस्था है और वह अधिकाधिक उनकी बनती जा रही है। आपको, और कदाचित् इस समिति के भारतीय

नदस्थों को भी, यह जानकर आश्चर्य होगा कि महासभा ने आज 'अखिल-भारतीय चर्खा-संघ' नामक अपनी संस्था द्वारा क़रीब दो हजार गांवोंकी लगभग ५० हजार स्त्रियों* को रोजगार में लगा रखा है, और इन स्त्रियों में सम्भवतः ५० प्रतिशत मुसलमान स्त्रियां हैं। उनमें हजारों अद्वृत कहाने वाली जातियों की भी महिलाएं हैं। इस तरह हम इस रचनात्मक कार्य के रूप में इन गांवों में प्रवेश कर चुके हैं और ७,००,००० गांवों में, प्रत्येक गांव में, प्रवेश करने का प्रयत्न किया जा रहा है। यह काम मनुष्य की शक्ति के बाहर का है; किन्तु मनुष्य के प्रयत्न से ही हो सकता है। इस प्रकार आप महासभा को इन सब गांवों में फैली हुई और उन्हें चर्खे का सन्देश सुनाती हुई देखेंगे।

महासभा का यह प्रतिनिधि-रूप होने से, जब मैं आपको उसका आदेश पढ़कर सुनाऊंगा तो आपको उससे आश्चर्य न होगा। मैं आशा करता हूं कि वह आपको विसगत एवं अप्रिय प्रतीत न होगा। आप भले ही ऐसा समझें कि महासभा जो दावा कर रही है वह सर्वथा असमर्थनीय है। जैसा भी कुछ है, मैं उसकी ओर से नम्र तरीके पर, किन्तु पूरी-पूरी दृढ़ता के साथ उस दावे को यहां पेश करूँगा। मैं अपने पूरे विश्वास और शक्ति के साथ उस दावे को पेश करने के लिए यहां आया हूं। यदि आप मुझे इसके विपरीत समझा सकेंगे और यह बता सकेंगे कि यह दावा इन लाखों मूक मनुष्यों के प्रतिकूल है तो मैं अपनी सम्मति पर पुनर्विचार करूँगा। मैं अपने विचारों में संशोधन करने को तैयार हूं; किन्तु महासभा के प्रतिनिधि की हैसियत से उपयोगी हो सकने के लिए यह आवश्यक है कि इस संशोधन के पूर्व मैं अपने मुखियाओं—महासभा के नेताओं—से इस सम्बन्ध में परामर्श कर लूँ। अब यहां पर मैं महासभा का वह आदेश आपको पढ़कर सुनाना चाहता

* चर्खा-संघ के ताजे आंकड़ों से मालूम होता है कि अब यह संख्या १,८०,००० ।

हूं, जिससे कि आप मुझपर लगाई गई मर्यादाओं को अच्छी तरह समझ सकें। कराची-महासभा ने यह प्रस्ताव पास किया था—

“यह महासभा अपनी कार्यसमिति और भारत सरकार में हुए अस्थाई समझौते पर विचार कर, उसे स्वीकार करती है और यह स्पष्ट कर देना चाहती है कि महासभा का पूर्ण स्वराज्य का ध्येय, जिसका अर्थ पूर्ण स्वतंत्रता है, ज्यों-का-त्यों कायम है। यदि ब्रिटिश सरकार के प्रतिनिधियों की किसी परिषद में महासभा के सम्मिलित होने का द्वार खुला रहे तो महासभा का प्रतिनिधि उक्त ध्येय की प्राप्ति का प्रयत्न करेगा, और खासकर सेना, अन्तर्राष्ट्रीय मामले, अर्थ-विभाग, राजस्व और आर्थिक नीति पर देश का पूर्ण अधिकार हो, और ब्रिटिश सरकार और भारत के बीच आर्थिक लेन-देन के सम्बन्ध में जांच-पड़ताल करने और भारत अथवा इंग्लैण्ड द्वारा उठाई जाने वाली कर्ज़ की ज़िम्मेवारी का निश्चय एक निष्पक्ष अदालत द्वारा करवाने और दोनों पक्षों में से किसी की भी इच्छा होने पर साझेदारी तोड़ देने का अधिकार रहे, इसका प्रयत्न करेगा। लेकिन महासभा के प्रतिनिधि को यह स्वतन्त्रता रहेगी कि वह ऐसे समझौते को स्वीकार कर ले, जो साफ तौर पर भारत के हित के लिए आवश्यक हो।”

इस प्रस्ताव के अनुसार प्रतिनिधि का निर्वाचित हुआ। इस आदेश को ध्यान में रखते हुए मैंने गोलमेज़-परिषद द्वारा नियुक्त उपसमितियों के अस्थाई निर्णयों का यथासाध्य ध्यानपूर्वक अध्ययन किया है। साथ ही मैंने प्रधानमंत्री के उस वक्तव्य का भी ध्यानपूर्वक अध्ययन किया है, जिसमें उन्होंने सम्राट्-सरकार की नीति बतलाई है। मेरे कथन में कुछ भूल हो तो वह दुरुस्त की जा सकती है; लेकिन जहां तक मैं समझ सकता हूं, महासभा का जो उद्देश्य और दावा है उससे यह वक्तव्य कहीं पीछे है। यह ठीक है कि मुझे ऐसे सुधार स्वीकार कर लेने की स्वतन्त्रता है, जो साफ तौर पर भारत के हित में हो; लेकिन वे सब उक्त आदेश में वर्णित मूल विषय के अनुकूल होने चाहिए।

यहां मे दिल्ली में भारत सरकार और महासभा में हुए उस समझौते की शर्तों का ख्याल करता हूं जो कि मेरे लिए एक पवित्र समझौता है। उस समझौते में महासभा ने संवशासन का सिद्धान्त स्वीकार कर लिया है, जिसका अर्थ यह है कि केन्द्रीय शासन में उत्तरदायित्व हो और साथ ही यह सिद्धान्त भी मान लिया है कि यदि भारत के हित से सम्बन्ध रखने वाले कुछ संरक्षण हों तो वे स्वीकार कर लिये जायं।

कल किसी सज्जन ने एक वाक्य कहा था। मैं उनका नाम तो भूल गया; किन्तु उस वाक्य का मुझपर गहरा अमर पड़ा। उन्होंने कहा “हम केवल राजनैतिक विधान नहीं चाहते।” मैं नहीं जानता कि इस वाक्य से उनका भी वह अभिप्राय था, जो तुरन्त ही मेरे मन में उठा; किन्तु मैंने तुरन्त ही दिल में कहा, इस वाक्य ने मुझे अच्छा विचार दिया है। यह सच है कि किसी भी ऐसे सबंध राजनैतिक विधान से, जिसके पढ़ने से तो यह मालूम हो कि भारत की जो कुछ राजनैतिक आकांक्षाएं थीं, वे इससे मिल गईं, किन्तु वास्तव में उसमें मिलता कुछ न हो तो न तो महासभा ही, न व्यक्तिगत रूप से मैं ही उससे सन्तुष्ट हो सकता हूं। यदि हम पूर्ण स्वतन्त्रता के लिए तुले हुए हैं तो इसका कारण किसी प्रकार की अहम्मन्यता नहीं है, न इसका यही कारण है कि हम चाहते हैं कि ससार के सामने यह ढिंढोरा पीटते फिरें कि हमने अंग्रेज जनता से अब अपना सब सम्बन्ध-विच्छेद कर लिया है। ऐसी कोई बात नहीं है। उसके विपरीत स्वयं महासभा के इस आदेश में आप देखेंगे कि वह एक साझेदारी की कल्पना करती है, वह ब्रिटिश जनता से बराबरी के सम्बन्ध की कल्पना करती है; किन्तु वह सम्बन्ध ऐसा होना चाहिए, जो दो बिलकुल समान राष्ट्रों में होता है। एक समय था, जब मैं अपने को ब्रिटिश प्रजा समझने और कहलाने में गौरव समझता था; पर अब तो कई वर्षों से मैंने अपने को ब्रिटिश-प्रजा कहना छोड़ दिया है। मैं तो अब अपने को ब्रिटिश-प्रजा कहलाने की अपेक्षा बाही कहलाना अच्छा समझता हूं। पर एक आकांक्षा मेरे मन में रही है, अब भी है कि मैं

ब्रिटिश साम्राज्य का नहीं, बल्कि ब्रिटिश राष्ट्रसंघ का, यदि सभव हो तो, एक साफेदारी में और ईश्वर ने चाहा तो अविभाज्य साफेदारी में, नागरिक बनूँ। किन्तु ऐसी साफेदारी में हर्गिज नहीं, जो एक राष्ट्र ने दूसरे राष्ट्र पर जबर्दस्ती लादी हो। इसलिए आप देखेंगे कि महासभा ने यह दावा किया है कि दोनों पक्षों को यह सम्बन्ध-विच्छेद करने, साफेदारी तोड़ देने का अधिकार रहे। इसलिए वह साफेदारी आवश्यक रूप से दोनों के लिए हितकारक होनी चाहिए। यद्यपि विचारणीय विषय से यह असंगत होगा; किन्तु मेरे लिए असंगत नहीं। यदि मैं यह कहूँ, जैसा कि मैंने अन्यत्र भी कहा है कि मैं आज जिम्मेदार अंग्रेज-राजनीतिज्ञों के, अपनी आमदनी के अन्दर खर्च चला लेने के, घरेलू मामलों में पूर्ण रूप से फसे रहने की बात को अच्छी तरह समझ सकता हूँ। हम उनसे इससे कम किसी बात की आशा नहीं कर सकते थे और जब मैं लन्दन की ओर रवाना हो रहा था, मुझे ख्याल आया कि क्या हम इस समिति के सदस्य इस समय ब्रिटिश-मन्त्रियों के सिर पर बोझ न होंगे? क्या हम दखलन्दाज न होंगे? फिर भी मैंने अपने आप से कहा कि यह सम्भव है कि हम दखलन्दाज न हों। सम्भव है कि अपने घरेलू मामलों में फंसे रहने पर भी ब्रिटिश मंत्री स्वयं यह अनुभव करें कि गोलमेज़-परिषद् की कार्रवाई उनके लिए प्रधानतः आवश्यक है। हां, तलवार के बल पर भारत पर कब्जा रखा जा सकता है; किन्तु इंग्लैण्ड की समृद्धि के लिए, ग्रेटब्रिटेन की आर्थिक स्वतन्त्रता के लिए क्या हितकर होगा? एक गुलाम किन्तु बागी हिन्दुस्तान, या ब्रिटेन की आपत्तियों में हिस्सा बनाने वाला और उसकी मुसीबतों में कन्वे-से-कन्धा भिड़ाकर उसकी सहायता करने वाला प्रतिष्ठित साफेदार भारत?

हां, यदि आवश्यकता हुई, तो केवल अपनी इच्छा से, संसार की किसी एक जाति अथवा अकेले एक व्यक्ति की स्वार्थ-साधना के लिए नहीं, बरन् प्रत्यक्षतः समस्त संसार के लाभ के लिए भारत इंग्लैण्ड के साथ-साथ लड़ेगा। यदि मैं अपने देश के लिए स्वतन्त्रता चाहता हूँ तो

आप विश्वास रखिए कि यदि मैं उसकी प्राप्ति में सहायक हो सकता हूँ तो उस देश का निवासी होने के कारण, जिसमें संसार की एक पंचमांश मनुष्य-जाति निवास करती है, मैं उसे इसलिए नहीं चाहता कि मैं संसार की किसी जाति अथवा व्यक्ति को चूसूँ। यदि मैं अपने देश के लिए स्वतन्त्रता चाहूँ तो मैं उसके लिए उपयुक्त न होऊँगा यदि मैं प्रत्येक जाति के, चाहे वह गरीब हो या शक्तिशाली, वैसी ही स्वतन्त्रता के समान अधिकार को स्वीकार न करूँ। और इसलिए जब मैं आपके सुन्दर द्वीप के निकट पहुँचने लगा तो मैंने अपने मन में कहा—सम्भव है संयोग से यह सम्भव हो जाय कि मैं ब्रिटिश-मन्त्रियों को यह विश्वास करा सकूँ कि शक्ति के बल से अधिकृत नहीं, वरन् प्रेमरूपी रेशमी डोरी में बंधा हुआ भारत, आपके एक साल के बजट को ही नहीं, अनेक वर्षों के बजट को ठीक करने में सच्चा सहायक सिद्ध होगा। ऐसे दो राष्ट्र यदि मिल जायं तो क्या नहीं कर सकते—जिनमें एक मुट्ठीभर होने पर भी बहादुर है, तथा जिसकी बहादुरियों का लेखा कदाचित अनुपम है, जो गुलामी की प्रथा से युद्ध करने के लिए प्रसिद्ध है और जिसका एक बार नहीं, अगणित बार कमज़ोरों की रक्षा करने का दावा है; और दूसरा एक अत्यन्त प्राचीन राष्ट्र है, करोड़ों की आबादी वाला है, शानदार भूतकाल जिसके पीछे है, हाल में जो दो महान इस्लाम और हिन्दू संस्कृतियों का प्रतिनिधि है, जिसमें एक बहुत बड़ी तादाद में ईसाई आबादी भी है तथा जिसमें संख्या में अंगुलियों पर गिने जाने योग्य, किन्तु परोपकार और व्यवसाय में बढ़े हुए पारसी हैं। भारतवर्ष में इन सब संस्कृतियों का केन्द्रीकरण हुआ है। यह कल्पना कर लें कि ईश्वर यहां एकत्रित हिन्दू और मुसलमान प्रतिनिधियों को ऐसी सद्बुद्धि देता है कि वे आपसी मतभेद को भूलकर आपस में सम्मानप्रद समझौता कर लेते हैं। वह देश और यह देश दोनों एकसाथ लीजिए। मैं फिर अपने से और आपसे यह प्रश्न करता हूँ कि क्या एक स्वाधीन भारत, ग्रेटब्रिटेन की तरह पूर्ण स्वतन्त्र भारत, और ब्रिटेन इन दोनों देशों की सम्मानप्रद

पाखेदारी दोनों के लिए लाभप्रद नहीं हो सकती ? क्या वह इस महान राष्ट्र के घरेलू मामलों तक मे सहायक नहीं हो सकता ? मे इस आशा के पवन लेकर यहा पहुंचा हूं और अभी तक उस सुख-स्वप्न को कायम रख रहा हूं ।

इतना कह चुकने पर कदाचित् अब मेरे लिए विशेष कुछ कहने को नहीं रह जाता । फिर आप लोग तफसीली बाते तथ करते रहेंगे प्रौर मुझे आपको यह बताने की जरूरत न रहेगी कि सेना के नियन्त्रण, प्रन्तराष्ट्रीय मामलों और अर्थ-विभाग पर अधिकार तथा राजस्व और प्रार्थिक नीति के संचालन आदि से मेरा क्या आशय है ! मे तो आर्थिक लेन-देन के प्रश्न की तफसील में, जिसे कल एक मित्र ने अत्यन्त पवित्र प्रश्न बताया था, नहीं पड़ना चाहता । मे उनके विचार से सहमत नहीं है । यदि किसी साखेदार का हिसाब होता हो तो उसके लेखे-जोखे की जांच और जोड़-तोड़ की आवश्यकता रहती है, और महासभा यह कहकर किसी अशिष्टाचरण की दोषी न बनेगी कि राष्ट्र अपने तईं यह समझ ले कि वह कितनी जिम्मेवाली अपने सिर पर लेगा और कितनी नहीं उसे लेनी चाहिए । इस जांच और निरीक्षण की मांग केवल भारत के ही हित के लिए नहीं, बरन् दोनों देशो के हित के लिए है । मुझे निश्चय है कि ब्रिटिश जनता भारत पर कोई ऐसा बोझ नहीं लादना चाहती, जो न्यायतः उसे नहीं उठाना चाहिए, और महासभा की ओर से यहा मैं यह घोषित कर देना चाहता हूं कि महासभा किसी भी ऐसे दावे या जिम्मेदारी से इन्कार न करेगी, जो न्यायतः उसे उठानी चाहिए । यदि हमें समस्त संसार का विश्वासपात्र बनकर एक प्रतिष्ठित राष्ट्र की तरह रहता है तो उचित कर्जे की हम एक-एक पाई अपने खून तक से चुकायगे ,

मै नहीं समझता कि आपको महासभा के इस प्रस्ताव की तफसील में ले जाऊं और उसकी प्रत्येक धारा का महासभा के शब्दों मे अर्थ समझाऊं । यदि ईश्वर ने चाहा कि समिति आगे की कार्रवाई में, जैसे-

जैसे वह आगे बढ़ती जाय, मैं भाग लेता रहूँ तो मैं आपको इन धाराओं का आशय समझा सकूँगा। कार्रवाई के दौरान में मैं आपको सरक्षणों का आशय भी बतलाऊंगा; लेकिन मैं समझता हूँ कि मैं काफी बोल चुका हूँ और लार्ड चांसलर महाशय, आपके उदार अनुग्रह से, इस समिति का काफी समय ले चुका हूँ। वास्तव में मैंने इतना समय लेने का ख्याल न किया था; लेकिन मैंने ग्रनुभव किया कि मैं जिस उद्देश्य से यहा आया हूँ उसके प्रति न्याय न करूँगा, यदि मैं इस समय भी भेरे हृदय में जो कुछ है वह सब निकाल कर इस समिति और ब्रिटिश राष्ट्र के सामने जिसके लिए हम भारतीय प्रतिनिधि आज मेहमान हैं, न रख दूँ। मैं यह विश्वास लेकर यहा से जाना पसन्द रहूँगा कि ब्रिटेन और भारत में मैं बराबर की साफेदारी का नाता जोड़ सका।

मैं यह कहने के सिवा और अधिक कुछ नहीं कर सकना कि जब-तक मैं यहा रहूँगा, मैं ईश्वर ने बराबर यही प्रार्थना करता रहूँगा कि यह उद्देश्य सफल हो। लार्ड चांसलर महाशय, मैंने लगभग ४५ मिनट ले लिये; लेकिन आपने मुझे नहीं रोका, अतः आपके इस सौजन्य के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं इस अनुग्रह का अधिकारी नहीं था, इसलिए मैं आपको पुनः धन्यवाद देता हूँ।

२ :

धारा-सभाएँ

लार्ड चांसलर महाशय, मैं बड़ी हिचकिचाहट के साथ इस बहस में भाग ले रहा हूँ। इसके पहले कि उन बहुत-सी बातों पर, जो बहस के लिए यहाँ नोट की गई हैं, विचार करने के लिए आगे बढ़ूँ, मैं आपकी इजाजत से उस भाव के बोझ से अपने को हलका कर लेना

चाहता हूं जो सोमवार से मुझे क्लेश पहुंचा रहा है। मैं उन बहसों को, जो इस समिति मे होती रही हैं, बड़े गौर से देखता रहा हूं। मैंने प्रतिनिधियों की सूची का अध्ययन करने का प्रयत्न किया, जो पहले नहीं कर पाया था, और सबसे पहला दुखद भाव जो मेरे मन मे पैदा हुआ वह यह कि हम लोग राष्ट्र के, जिसका प्रतिनिधित्व हो करना चाहिए, चुने हुए प्रतिनिधि नहीं हैं, बल्कि हम लोग सरकार के चुने हुए हैं। मैं भारत के भिन्न-भिन्न पक्षों और दलों को अनुभव से जानता हूं, इसलिए जब मैं सूची पर गौर करता हूं तो मैं देखता हूं कि यहां ऐसे कुछ व्यक्तियों का अभाव है, जिनकी उपस्थिति आवश्यक थी। इससे मैं प्रतिनिधियों के चुनाव के सम्बन्ध मे अस्वाभाविकता के भाव से दुखी हूं।

अस्वाभाविकता अनुभव करने का मेरा दूसरा कारण यह है कि इन कार्रवाइयों का अन्त होगा और ये हमे वास्तव मे किसी ओर ले जायंगी, यह मुझे दिखाई नहीं पड़ता है। यदि हम लोग इसी प्रकार से आगे बढ़े तो मैं नहीं समझता कि इस समिति मे उठे हुए बहुत-से प्रश्नों पर बहस कर चुकने के बाद हम किसी नतीजे पर पहुंच सकेंगे।

इसलिए, लाडू चान्सलर महोदय, सबसे पहले मैं अपनी हार्दिक सहानुभूति आपके साथ प्रकट करूँगा कि आप बड़े धैर्य और सौजन्य से पेश आ रहे हैं। मैं सचमुच आपको इस कष्ट के लिए, जो आप इस समिति में उठा रहे हैं, धन्यवाद देता हूं और आगा करता हूं कि आपका और हमारा काम पूरा होने पर, मेरे लिए यह सम्भव होगा कि हम लोगों को कुछ वास्तविक परिणाम देखने योग्य बनाने या विवर किये जाने पर मैं फिर आपको वधाई दूँ।

क्या मैं यहां पर सम्राट् के सलाहकारों के लिलाफ एक नम्र और विनीत शिकायत कर सकता हूं? हम लोगों को समुद्र-पार से लाकर इकट्ठा करके—और मैं जानता हूं कि इस बात को जानते हुए कि बिना किसी अपवाद के हममें से सब लोग उसी तरह अपने कामों में संलग्न हैं,

जैसे कि वे स्वयं हैं, हम लोग अपने-अपने कामों को छोड़ कर यहा इकट्ठे हुए हैं—क्या यह उनके लिए सम्भव नहीं कि वे हमें रास्ता दिखावें? क्या मैं आपके द्वारा उनसे दरखास्त नहीं कर सकता कि वे हमें बतावें कि उनके विचार क्या हैं? क्या मैं आपके सामने यह कहने का साहस करूँ कि मैं प्रसन्न होऊंगा और मेरा खयाल है कि यही ठीक तरीका होगा कि वे हम लोगों की सम्मति लेने के लिए हमारे सामने अपने निश्चित प्रस्ताव रखें? यदि ऐसा किया गया तो मुझे इसमें सन्देह नहीं कि हम लोग किसी-न-किसी निर्णय पर पहुंच सकेंगे, फिर वह चाहे अच्छा हो या बुरा, सन्तोषजनक हो अथवा असन्तोषजनक। इसके विपरीत यदि हम लोग इस समिति को बहस-मुबाहिम की समिति बना दे, जिसका हरेक सदस्य जुदे-जुदे मुद्दों पर धारा-प्रवाह भापणा दे तो मैं नहीं समझता कि हम लोग उस ध्येय की कोई सेवा कर सकेंगे और उसे आगे बढ़ा सकेंगे, जिसके लिए कि हम लोग यहा इकट्ठे हुए हैं।

मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि यदि आप कर सकें तो यह लाभदायक होगा कि एक उप-समिति मुकर्रर कर दी जाय, जो किसी नतीजे पर पहुंचने के लिए आपको कुछ विचार दे सके, जिससे हमारी कार्रवाई उचित समय में खत्म हो जाय। मैंने केवल आपके तथा सदस्यों के विचार के लिए ही इन सूचनाओं को आपके सामने रखा है, जिससे कदाचित् आप कृपा कर सम्राट् के सलाहकारों के सामने ये सूचनाएं विचारार्थ पेश करें।

मैं चाहता हूँ कि वे हमें रास्ता बतावें और अपनी योजनाएं सबके सामने रखें। मैं चाहता हूँ कि वे हमें बतावें कि मान लीजिए, यदि हम लोग उन्हें अपने भाग्य का निपटारा करने के लिए पंच नियुक्त करें तो वे क्या करेंगे? यदि वे हमारी राय और मशवरा मांगने की भलमनसा-हृत दिखावेंगे तो हम लोग अपनी-अपनी राय देंगे। यह वास्तव में एक अच्छा उपाय होगा, वनिस्वत इसके कि हम लोग निराशाजनक अनिश्चितता तथा असीम विलम्ब की अवस्था में पड़े रहें।

इतना कहने के बाद अब मैं 'दूसरे शीर्षक' के अन्तर्गत विचारणीय प्रश्नों पर कुछ तजवीज पेश करने का साहस करूँगा। मेरी वही कठिनाई है, जिसका सामना सर तेजवहादुर सप्रू को करना पड़ा। यदि मैं उन्हें ठीक-ठाक समझा हूँ तो उनका कहना है कि वह इस बात से परेशान हो गए कि उनसे विभिन्न शीर्षकान्तर्गत सूक्ष्म-सूक्ष्म बातों पर बोलने को तो कहा गया; किन्तु उन्हें यह न बताया गया कि वास्तव में मताधिकार क्या होगा व उनकी तरह उसी कठिनाई का सामना मुझे भी करना पड़ेगा। लेकिन मेरे सामने एक दूसरी कठिनाई और भी है। मैं उप-समिति के सामने महासभा के आदेश को पेश कर चुका हूँ। उसी आदेश के अनुसार मुझे प्रत्येक उप-शीर्षक पर बहस करनी होगी। इसलिए इन उप-शीर्षकों में से कुछ पर मैं महासभा के आदेश के अनुसार अपनी तजवीज और सम्मति पेश करूँगा। यदि उप-समिति इस बात को नहीं जानती कि उसका उद्देश्य क्या है तो मेरी सम्मति का, जो मैं दूँगा, उप-समिति के लिए, वास्तव में कोई मूल्य नहीं होगा। उक्त आदेश की हृष्टि में ही मेरी राय की क्रीमत हो सकती है। जब मैं उन शीर्षकों पर विचार करूँगा तब मेरा अर्थ स्पष्ट हो जायगा।

उप-शीर्षक (१) के सम्बन्ध में जब कि मेरी सहानुभूति व्यापक रूप में डा० अम्बेडकर के साथ है, मेरी बुद्धि सर्वथा श्री गोविन जोन्स नथा सर सुलतान अहमद की ओर जाती है। यदि हमारी उप-समिति एक-विचार की होती, जिसके सदस्य मत देकर निर्णय करने के अधिकारी होते तो उस दशा में मैं डा० अम्बेडकर के साथ बहुत दूर तक जा सकता था; लेकिन हमारी स्थिति वैसी नहीं है। वर्तमान उप-समिति बड़ी बेमेल है, उसका प्रत्येक सदस्य या सदस्या पूर्ण स्वतन्त्र और अपने विचार प्रकट करने का या की अधिकारी या अधिकारिणी है। ऐसी दशा में मेरी नम्र सम्मति में हमें रियासतों से यह कहने का अधिकार नहीं है कि वे क्या करें और क्या न करें। ये रियासतें बड़ी उदारता के साथ हमारी सहायता करने के लिए आगे आई हैं और कहती हैं-

कि वे हमारे साथ संघ में शामिल होंगी, और कदाचित् अपने वे कुछ अधिकार भी छोड़ देने के लिए तैयार हो जायं, जिनका विपरीत दशा में वे अकेले ही उपभोग करतीं। उस हालत में मैं इसके सिवा और कुछ नहीं कर सकता कि सर सुलतान अहमद की इस राय का, जिसकी कि श्री गोविन जोन्स ने भी ताईद की है, समर्थन करूँ कि अधिक-से अधिक हम जो कर सकते हैं वह यही है कि हम रियासतों से विनय करें और उन्हें अपनी निजी कठिनाइया बतावें; किन्तु इसके साथ ही मैं यह ख्याल करता हूँ कि हमें उनकी खास कठिनाइयों को भी समझ लेना चाहिए।

इसलिए मैं उन महान नरेशों के विचार के विचारार्थ एक या दो सूचनाएं पेश करने का साहस करूँगा और यह निवेदन करूँगा जनता का, जनता की ओर से निर्वाचित, समाज की निम्नातिनिम्न श्रेणी का एक प्रतिनिधि होने की हैसियत से। मैं उनसे विनती करूँगा कि पे जो कोई भी योजना तैयार करे और समिति के सामने स्वीकृति के लिए पेश करे, उनके लिए उचित होगा कि वे उस योजना में प्रजा का भी ध्यान रखें। मैं यह ख्याल करता हूँ और जानता हूँ कि उनके हृदयों में उनकी प्रजा का हित है। मैं जानता हूँ, वे उनके हितों की रक्षा का उत्साह के साथ दावा करते हैं। किन्तु यदि सब बातें ठीक हुई तो वे 'प्रजाकीय भारत'—यदि ब्रिटिश भारत को मैं यह नाम दूँ—के साथ अधिकाधिक सम्पर्क में आवेगे और उस भारत के निवासियों के साथ उसी तरह समान हित स्थापित करना चाहेंगे, जिस प्रकार 'प्रजाकीय भारत' 'नरेशों के भारत' के साथ समान हित स्थापित करना चाहेगा। अन्त में, कुछ भी हो, दोनों भारतों में वस्तुतः कोई भी तात्त्विक या सञ्चा भेद नहीं है। यदि कोई एक जीवित शरीर को दो हिस्सों में बांट सकता हो तो आप भारत को दो हिस्सों में बांट सकते हैं। अज्ञात समय से वह एक देश की तरह रहता आया है और कोई भी कृत्रिम सीमा उसे विभाजित कर नहीं सकती। नरेशों की

प्रशंसा मे यह कहना ही पड़ेगा कि जिस समय उन्होंने साफ तौर से और साहस के साथ अपने आप को संघ-शासन के पक्ष में घोषित किया, उस समय उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि वे भी उसी रक्त के हैं, जिसके कि हम—वे भी हमारे ही भाई-बन्ध हैं। वे इसके विपरीत कर ही कैसे सकते थे ? हमारे-उनके बीच इसके सिवा और कोई अन्तर नहीं कि हम सामान्य व्यक्ति हैं और ईश्वर ने उन्हें विषिष्ट पुरुष, नरेश, बनाया है। मैं उनकी भलाई चाहता हूँ, मैं उनकी सब प्रकार की वृद्धि चाहता हूँ और मैं प्रार्थना करता हूँ कि उनकी सुख-समृद्धि का उपयोग उनकी अपनी जनता, उनकी अपनी प्रजा की प्रगति में हो ।

मैं इससे आगे न जाऊँगा; जा नहीं सकता । मैं उनसे एक प्रार्थना कर सकता हूँ। हम जानते हैं कि उनके लिए छूट है कि वे संघ-योजना में शारीक हों या न हों । यह हमारा काम है कि हम उनके संघ में आने का मार्ग सुगम कर दें; उनका काम यह है कि वे खुली भुजाओं में उनका स्वागत करने का हमारा मार्ग सुगम कर दें ।

मैं जानता हूँ कि 'दो और लो' की इस भावना के बिना हम संघ-शासन की किसी निश्चित योजना पर न पहुँच सकेंगे और यदि पहुँचे भी तो अन्त में झगड़ कर तितर-बितर हो जायेंगे । इसलिए मैं यह अधिक पसन्द करूँगा कि जबतक हम हृदय से उस बात को न चाहें, तबतक किसी संघ-योजना में शारीक न हों । यदि हम उसमें शारीक हों तो पूरे हृदय से हों ।

दूसरे शीर्षक के विषय मे मैं देखता हूँ कि अपात्रता पर ही विचार किया गया है कि किसी प्रकार की अपात्रता होनी चाहिए अथवा नहीं ? यद्यपि मैं जन-सत्तावादी होने का दावा करता हूँ, फिर भी निस्सकोच कह सकता हूँ कि उम्मेदवार के लिए कुछ अपात्रता (Disqualification) निर्धारित करने अथवा किसी सदस्य को अलग करने के लिए कोई अपात्रता निश्चित करने में मत-दाता के अधिकार का कोई विरोध नहीं होता । यह अपात्रता क्या होनी चाहिए, इस विषय पर मैं अभी

चर्चा नहीं करना चाहता। अभी तो मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूँ कि अपात्रता के विचार और सिद्धान्त का मैं पूरा समर्थन करूँगा।

मैं 'नैतिक पतन' शब्द से डरता नहीं, विपरीत इसके मैं उमे अच्छा मानता हूँ। अवश्य ही गहरे-से-गहरे विचार के बाद निर्धारित शब्दों पर कठिनाइयां तो होगी ही; किन्तु न्यायाधीशों का काम इन कठिनाइयों को दूर करना न होगा तो और क्या होगा? कठिनाई पड़ने पर न्यायाधीश हमारी सहायता करेंगे और 'नैतिक पतन' में किन-किन बातों का समावेश है और किन का नहीं, यह वे हमे बतावेंगे। यदि संयोग से मुझ-जैसे सविनय भंग करने वाले व्यक्ति के कार्य को 'नैतिक पतन' समझा जायगा तो मैं उस निर्णय को स्वीकार कर लूँगा। मैं अपात्र अथवा अयोग्य ठहरा दिये जाने की परवा नहीं करता। कई लोगों को कठिनाइयां भी सहनी पड़ती हैं; किन्तु इससे मैं यह नहीं कहना चाहता कि किसी प्रकार की अपात्रता होनी ही नहीं चाहिए और यदि हो तो उससे मतदाता के अधिकार का अपहरण होता है। यदि हम कोई कसौटी अथवा आयु की मर्यादा रखना चाहें तो मैं समझता हूँ कि हमे चारित्र्य की मर्यादा भी रखनी चाहिए।

तीसरा विषय प्रत्यक्ष (Direct) और अप्रत्यक्ष (Indirect) चुनाव का है। अप्रत्यक्ष चुनाव का जहा तक सिद्धान्त से मतलब है उसपर मुझे अपने साथ सहमत होते देखने के लिए, मैं चाहता हूँ कि लार्ड पील यहां उपस्थित होते। मैं जानकार नहीं हूँ, केवल एक सामान्य व्यक्ति की तरह बोल रहा हूँ; किन्तु 'अप्रत्यक्ष चुनाव' शब्द से मैं डरता नहीं। मैं नहीं जानता कि इसका कोई पारिभाषिक अर्थ है। यदि कोई ऐसा अर्थ हो तो मैं उससे सर्वथा अपरिचित हूँ। मैं इसका क्या अर्थ करता हूँ, वह मैं स्वयं बता देना चाहता हूँ। यदि उसे ही अप्रत्यक्ष चुनाव भी कहा जाता हो तो मैं निश्चयपूर्वक उसके लिए चारों ओर धूमकर उसके पक्ष में बोलूँगा और संभवतः इस प्रकार के पक्ष में बहुत-सा लोकमन भी तैयार कर लूँगा। मैं बालिग मताधिकार से बंधा हुआ हूँ, किसी भी

तरह हो, कांग्रेसवादियों ने उसे स्वीकार किया है। बालिग मताधिकार अनेक कारणों से एक यह है कि वह मुझे सबकी—केवल मुसलमानों की ही नहीं, प्रत्युत अद्भूत, ईसाई, मजदूर तथा अन्य सब वर्गों की—उचित आकाशाश्रयों की पूर्ति के लिए समर्थ बनाता है।

जिस व्यक्ति के पास धन है वह मत दे सकता है; किन्तु जिस व्यक्ति के पास चरित्र है; पर धन अथवा अक्षर-ज्ञान नहीं, वह मत नहीं दे सकता अथवा जो व्यक्ति सारे दिन पसीना बहाकर ईमानदारी से काम करता है, वह गरीब होने के अपराध के कारण मत न दे सके, यह कल्पना ही मुझसे नहीं सही जा सकती। यह असह्य बात है और गरीब-से-गरीब ग्रामवासी के साथ रहकर और उनमें मिलकर और अद्भूत समझे जाने में अपना गौरव मानते हुए मैं जानता हूँ कि इन गरीब लोगों में, स्वयं अद्भूतों में, मानवता के गुन्दर-से-सुन्दर नमूने मिल सकते हैं। अद्भूत भाई को मत न मिले इसकी ग्रेपेक्षा में अपना मत छोड़ देना कही अधिक पसन्द करूँगा।

मैं अक्षर-ज्ञान के उस सिद्धान्त पर मोहित नहीं कि मत-दाता को कम-से-कम लिखने, पढ़ने और गणित का बोध होना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि मेरे भाइयों को लिखने, पढ़ने और गणित का ज्ञान प्राप्त हो; किन्तु उसके साथ ही मैं जानता हूँ कि यदि उन्हें मत देने का अधिकारी बनने के लिए पहले लिखने, पढ़ने और गणित का ज्ञान प्राप्त कर लेना आवश्यक हो तो मुझे अनन्त काल तक प्रतीक्षा करनी होगी; और मैं इतने समय तक प्रतीक्षा करने के लिए तैयार नहीं हूँ। मैं जानता हूँ कि इनमें के करोड़ों व्यक्तियों में मत देने की शक्ति है; किन्तु हम यदि इन सबको मताधिकार दे तो उन सबको मतदाताओं की सूची में दाखिल करना और व्यवस्थित निर्वाचन-मण्डल तैयार करना सर्वथा असम्भव नहीं तो अत्यन्त कठिन अवश्य होगा।

मैं लार्ड पील की इस आशंका से सहमत हूँ कि यदि हमारे निर्वाचन-मण्डल इतने बड़े हों कि हमारी उनतक पहुँच न हो सके तो उम्मेदवार

स्वयं इस महान लोकसमूह के संसर्ग में बारम्बार न आ सकेगा और उसका मत न जान सकेगा। यद्यपि व्यवस्थापिका सभा के सम्मान की मैने कभी आकांक्षा नहीं की, फिर भी इन निर्वाचन-मण्डलों का कुछ काम मुझे करना पड़ा है, और इसलिए मैं जानता हूँ कि यह कितना कठिन काम है। जो लोग इन व्यवस्थापिका सभाओं के सदस्य रह चुके हैं, उनके अनुभव से भी मैं परिचित हूँ।

इसलिए हमने महासभा में एक योजना तैयार की है। यद्यपि वर्तमान सरकार ने हमपर उद्घतपने से प्रतियोगी सरकार स्थापित करने का आरोप किया है, तो भी मैं इस आरोप को अपने ढंग से स्वीकार किये लेता हूँ। यद्यपि हमने प्रतियोगी सरकार स्थापित नहीं की है, फिर भी किसी दिन वर्तमान सरकार को अलग कर देने और उचित समय पर विकास-क्रम से इस सरकार को—शासन को—हमारे अपने हाथों में ले लेने की हमारी आकांक्षा ग्रवश्य है।

पिछले चौदह वर्ष से राष्ट्रीय महामना के प्रस्ताव बनान का काम करते रहने से और वीम वर्ष तक दक्षिण अफरीका मे ऐसी ही संस्था का यही काम करने से मुझे जो अनुभव हुआ है, वह यदि मैं यहा बताऊं तो आपको इसमे कुछ आपत्ति न होगी। महासभा के विधान मे हमने प्रायः बालिग मताधिकार रखा है। हमने नाम मात्र की चार आना वार्षिक फीस लगा रखनी है। यहां भी यह फीस रखने मे मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं लार्ड पील के इस दूसरे भय मे भी सहमत हूँ कि अपने गरीब देश में हमें यह भी खतरा है कि केवल चुनाव पर ही प्रचुर धन वरबाद न छो जाय। मैं इसे टालना चाहता हूँ और इसलिए मैं तो वह रकम वसूल भी कर लूँगा। यदि मुझे यह समझाया जाय कि चार आना भी बोझ हो पड़ेगा, तो मैं वह मान लूँगा और उसे छोड़ दूँगा। जो हो, कांग्रेस-संस्था मे तो हमने वह रखा है।

हमारी एक दूसरी बात भी जानने योग्य है। मत देने की कार्य-पद्धति के सम्बन्ध मे मैं जो कुछ जानता हूँ, उससे मालूम होता है कि

मतदाताओं की सूची तैयार करने वाले जिन्हें मत देने का अधिकारी मानें उन सबका नाम सूची में लिखने के लिए वाध्य हैं; इसलिए किसी की मत देने की इच्छा हो अथवा न हो, किर भी वह अपना नाम सूची में आया हुआ देखता है। ऐसे ही एक दिन मैंने डर्बन (नेट्राल) में अपना नाम मतदाताओं की सूची में देखा। वहां की व्यवस्थापिका सभा की स्थिति पर प्रभाव डालने की मेरी जरा भी इच्छा न थी, और इसलिए मैंने अपना नाम मतदाताओं की सूची में शामिल करवाने का जरा भी ख्याल न किया था; किन्तु किसी उम्मेदवार को जब मेरे मत या वोट की आवश्यकता हुई, तब उसने मेरा ध्यान इस बात की ओर खीचा कि मेरा नाम मतदाताओं की सूची में है। तबसे मुझे मालूम हुआ कि मत-दाताओं की सूची किस प्रकार तैयार की जाती है।

इसलिए हमारी योजना ऐसी हो कि जिसे मत देना हो वह मत प्राप्त कर सकता है। जिसे मत की आवश्यकता हो उसे वह प्राप्त करने की छँटी है और वय-मर्यादा तथा सबके लिए समान रूप से लायू कोई अन्य गति हो तो उसे स्वीकार कर लाखों पुरुष और उसी तरह स्त्रियां भी मतदाताओं की सूची में अपना नाम लिखवा सकती हैं। मेरा ख्याल है कि इस प्रकार की योजना मतदाताओं की सूची को व्यवस्थित मर्यादा में रख सकेगी।

इतना होने पर भी हमारे पास लाखों मनुष्य आवेगे, इसलिए गांवों का सम्बन्ध प्रधान अथवा बड़ी व्यवस्थापिका सभा से जोड़ने के लिए कुछ-न-कुछ किये जाने की आवश्यकता रह जाती है। हमारे यहां बड़ी व्यवस्थापिका सभा से मिलती-जुलती महासमिति (आल इण्डिया कांग्रेस कमेटी) है। प्रान्तीय व्यवस्थापिका सभाओं से मिलती-जुलती हमारे यहां प्रान्तीय समितियां हैं और छोटी-मोटी अन्य व्यवस्थापिका सभाएं भी हमारे पास हैं और हमारा शासन भी है। हमारी अपनी कार्य-समिति भी है। यह बिलकुल सच है कि इसके पीछे हमारे पास संगीतों का बल नहीं है; किन्तु अपने निर्णयों को आगे बढ़ाने और लोगों से

उनका पालन कराने का जो बल हमारे पास है, वह उससे कहीं अधिक उत्तम एवं बढ़ा-चढ़ा है। अभी तक हमारे सामने ऐसी कठिनाइयां नहीं आई हैं, जिन्हे हम हल न कर सके हो। मैं यह नहीं कह सकता कि सब अवसरों पर हम निर्णयों का पूरी-पूरी तरह से पालन करा सके हैं किन्तु हम पूरे ४७ वर्ष तक काम करते हुए आगे बढ़ते चले आये हैं और प्रतिवर्ष इस महासभा की ऊचाई अधिक-से-अधिक बढ़ती गई है।

मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारी प्रान्तिक समितियों को अपने निर्वाचनों के विषय में उपनियम बनाने की पूर्ण स्वतन्त्रता है। मूल आधार अर्थात् मतदाताओं की पात्रता (Qualifications) को वे बिल-कुल नहीं बदल सकती; किन्तु अन्य सब वाते वे अपनी इच्छानुसार कर सकती हैं।

इसलिए मैं केवल एक प्रान्त का, जहां ऐसा होता है, उदाहरण दूँगा। वहा गाव अपनी-अपनी छोटी समितिया चुन लेते हैं। ये समितियां ताल्लुका समिति चुनती हैं और ये ताल्लुका-समितियां फिर जिला समिति का चुनाव करती हैं और जिला समितिया प्रान्तिक समिति का चुनाव करती है। प्रान्तिक समितिया अपने सदस्य बड़ी व्यवस्थापक सभा में—यदि महासमिति को मैं यह नाम दूँ तो—भेजते हैं। इस प्रकार हम यह सब कर सके हैं। मैं इस वात की परवा नहीं करता कि इस योजना में हम ऐसा ही करेगे या कुछ और; किन्तु हमारे यहां ७,००,००० गांव हैं, इनका दिग्दर्शन मैंने अवश्य किया है। मेरा विश्वास है कि इन ७,००,००० गावों में देशी राज्यों का भी समावेश हो जाता है। यदि मैं इसमें भूलता होऊँ तो बताये जाने पर मैं उसे दुरुस्त कर लूँगा; किन्तु मैं नम्रतापूर्वक कहूँगा कि 'प्रजाकीय भारत' में ५,००,००० या कुछ अधिक गांव होंगे। हम यह ५,००,००० घटक (Units) बना दें। प्रत्येक घटक अपने-अपने प्रतिनिधि चुनेगा और आप चाहें तो इन प्रतिनिधियों का निर्वाचक मण्डल बड़ी अथवा सघ-व्यवस्थापिका सभा के प्रतिनिधि चुन देगा। मैंने तो आपको योजना की केवल रूप-रेखा बता दी है।

आपको यदि यह पसन्द हो, तो तफसील की बातें पूरी की जा सकती हैं। यदि हमें वालिग मताधिकार रखना है तो मैंने जो योजना आपको बताई है, उससे मिलती-जुलती किसी योजना का हमें आश्रय लेना होगा। जहां-जहां उसके अनुसार काम हुआ है, मैं आपको अपना ही प्रभाग दे सकता हूं कि वहां उसके बड़े सुन्दर परिणाम निकले हैं, और इन जुदे-जुदे प्रतिनिधियों के द्वारा गरीब ग्रामीण के साथ सम्बन्ध स्थापित करने में किसी तरह की कठिनई प्रतीत नहीं हुई। यह व्यवस्था बड़ी सरलता से चलती रही है और जहां लोगों ने उसे ईमानदारी से चलाया है वहां वह बड़ी तेजी से और निःसन्देह बिना किसी उल्लेखनीय खर्च के चली है। मैं कल्पना ही नहीं कर सकता कि इस योजना के अनुसार उम्मेदवार को चुनाव के लिए साठ हजार या एक लाख तक खर्च करने की सम्भावना हो। ऐसे कई उदाहरण में जानता हूं, जिनमें चुनाव का खर्च लगभग एक लाख रुपये तक पहुंच गया था, जो कि मेरे ख्याल से संसार के सबसे निर्धन देश के लिए अत्याचार था।

इस विषय पर चर्चा करते हुए मैं द्विखण्ड-व्यवस्थापिका सभा (Bi-Cameral Legislature) के सम्बन्ध में मेरा जैसा भी कुछ मत है, वह आपके सामने रख देना चाहता हूं। यदि आपकी भावुकता को चोट न पहुंचे तो मैं कहूंगा कि इस विषय में मैं श्री जोशी के साथ सहमत हूं। निश्चय ही मुझे दो व्यवस्थापिका सभाओं का मोह नहीं है, न मैंने उनको स्वीकार ही किया है। मुझे इस बात का जरा भी भय नहीं है कि प्रजाकीय व्यवस्थापिका सभा स्वतन्त्र रूप से जल्दी में कानून पास कर देगी और पीछे से उसके लिए उसे पछताना पड़ेगा। प्रजाकीय व्यवस्थापिका सभा को बदनाम करके उसे उड़ा देना मुझे पसन्द नहीं है। मेरा ख्याल है कि प्रजाकीय व्यवस्थापिका सभा अपनी सम्हाल रख सकती है और, क्योंकि इस समय में ससार के सबसे गरीब देश का विचार कर रहा हूं, इसलिए हम जितना कम-से-कम खर्च करें, उतना ही अच्छा है। मैं एक अगण के लिए भी इस विचार से सहमत नहीं हो

सकता कि प्रजाकीय व्यवस्थापिका सभा के ऊपर यदि कोई दूसरी बड़ी व्यवस्थापिका सभा न हुई तो वह देश को बरबाद कर देगी। मुझे ऐसा कोई भय नहीं है। इसके विपरीत मुझे यह आशाका है कि जब कभी प्रजाकीय सभा और बड़ी सभा में मतभेद होगा तो दोनों में घनघोर संग्राम मच जायगा। कुछ भी 'हो, यद्यपि मैं इस विप्रय में कोई निरणायक तरीका अख्लित्यार नहीं करता, फिर भी मेरी यह निश्चित राय है कि हम केवल एक व्यवस्थापिका सभा से काम चला सकते हैं और इससे लाभ ही होगा। यदि हम अपने मन में एक सभा से काम चला लेने के लिए विश्वास पैदा कर सकें तो हम निश्चय ही एक बहुत बड़े खर्च से बच जायंगे। मैं लार्ड पील के इस विचार से सर्वथा सहमत हूँ कि पहले के उदाहरणों के सम्बन्ध में हमें चिन्ता करने की आवश्यकता नहीं। हम स्वयं एक नया उदाहरण पैदा करेंगे। हमारा देश एक महाद्वीप है। मनुष्य की किसी भी दो जीवित संस्थाओं में पूर्ण समानता जैसी कोई वस्तु है ही नहीं। हमारी अपनी विशेष परिस्थिति है और हमारी अपनी विशेष मनोरचना है। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि दूसरे उदा-हरणों का विचार किये बिना ही हमें कई बातों में अपने लिए नया रास्ता निकालना पड़ेगा। इसलिए मैं समझता हूँ कि यदि हम एक ही व्यवस्थापिका सभा के तरीके की आजमाइश करें तो हम गलत रास्ते पर न जायंगे। मानव-बुद्धि से जितना सम्भव हो सके उतनी पूर्ण इसे अवश्य बनाइए; किन्तु एक ही सभा से सन्तोष कीजिए। मेरे इस प्रकार के विचार होने से तीसरी और चौथी उपधारा पर मेरे लिए विशेष आवश्यकता नहीं रह जाती।

अब मैं पांचवीं उपधारा—विशेष वर्गों के विशेष निवाचिक-संघ द्वारा प्रतिनिधित्व—पर आता हूँ। यहां मैं महासभा की ओर से अपने विचार प्रकट करता हूँ। महासभा ने हिन्दू-मुस्लिम-सिक्ख समस्या को विशेष व्यवहार से हल करने के लिए अपने आप को तैयार कर लिया है। इसके लिए सबल ऐतिहासिक कारण हैं। किन्तु महासभा इस सिद्धान्त

को किसी भी शक्ति या रूप में आगे ले जाने के लिए तैयार नहीं है। विशेष हितों की सूची मैंने ध्यान से सुनी है। अछूतों के विषय में डा० अम्बेडकर का क्या कहना है, यह मैं अभी तक अच्छी तरह समझ नहीं सका हूँ; किन्तु अद्यतों के हितों का प्रतिनिधित्व करने में महासभा डा० अम्बेडकर के साथ अवश्य हिस्सा लेगी। भारत के एक कोने से दूसरे कोने तक महासभा को जितना दूसरी किसी स्थान पर अथवा व्यक्ति का हित प्रिय है, उतना ही प्रिय उसे अद्यतों का हित है। इसलिए इससे आगे किसी भी विशेष प्रतिनिधित्व का मैं जोरों से विरोध करूँगा। बालिंग मताधिकार में मजदूर तथा ऐसे ही अन्य वर्गों के लिए विशेष प्रतिनिधित्व की कोई आवश्यकता नहीं, और न जमीदारों के लिए ही निश्चित रूप से इसकी जरूरत है; इसका कारण मैं आपको बताऊँगा। जमीदारों को उनकी जायदाद से बचित करने की, महासभा की तथा मूक कगालों की जरा भी इच्छा नहीं है। वे तो चाहते हैं कि जमीदार अपने किसानों के रक्षक बने। मैं समझता हूँ कि जमीदारों को तो इसी विचार में अपना गौरव मानना चाहिए कि उनके किसान—ये लाखों ग्रामवासी—बाहर से आने वाले दूसरे लोगों अथवा अपने में से किसी की अपेक्षा जमीदारों को अपना प्रतिनिधि चुनना पसन्द करेंगे।

इसनिए नतीजा यह होगा कि जमीदारों को अपने किसानों के साथ मिलना होगा, उनका और अपना एक समान—हित स्थापित करना होगा। इससे बढ़कर अच्छी बात और क्या हो सकती है? किन्तु यदि जमीदार, दो सभा हों तो दोनों में से एक में, अथवा एक सभा हो तो उसमें अपने विशेष प्रतिनिधित्व की माग पर ज़ोर दें। तो निःसन्देह वे हमारे बीच एक अप्रिय विवाद उत्पन्न कर देंगे। मैं आशा करता हूँ कि जमीदार अथवा ऐसे किसी अन्य वर्ग की ओर से इस प्रकार की कोई मांग न की जायगी।

अब मैं अपने अंग्रेज मित्रों की ओर आता हूँ। श्री गेविन जोन्स स्वभावतः ही उनके प्रतिनिधि होने का दावा करते हैं। मैं उन्हें नम्रता-

पूर्वक सूचित करूँगा कि अभी तक वे विशेष अधिकार भोगते रहे हैं। यह विदेशी सरकार जितने दे सकती थी, वे सब सरकारण वे पा चुके हैं, और उदारतापूर्वक पा चुके हैं। अब यदि वे भारत की सर्वसाधारण जनता के साथ अपने हितों को मिला दे तो उन्हें किसी प्रकार का भय न होगा। श्री गेविन जोन्स ने कहा है कि उन्हें भय लगता है और इसके लिए एक पत्र पढ़कर भी सुनाया है। मैंने वह पत्र नहीं पढ़ा है। सम्भव है कि कुछ भारतीय यह कहे—“हा, अवश्य, यदि यूरोपियन अग्रेज हमारे द्वारा चुने जाना चाहेगे तो हम उन्हें न चुनेगे।” लेकिन मैं श्री गेविन जोन्स को अपने साथ लेकर देश के एक छोर से दूसरे छोर तक धूमूगा और उन्हें बताऊंगा कि यदि वे हमारे साथी बनकर रहना चाहेगे तो एक भारतीय की अपेक्षा उनको पहले चुना जायगा। चार्ली-एण्ड्रयूज का उदाहरण लीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि वे भारत के किसी भी निर्वाचन-सघ की ओर से बिना किसी दिक्कत के चुन लिये जायगे। उनसे पूछिए कि एक छोर से दूसरे छोर तक सारे देश ने उन्हें खुली भुजाओं से स्वीकार कर लिया है या नहीं? मैं ऐसे कई उदाहरण दे सकता हूँ। मैं अग्रेजों से प्रार्थना करता हूँ कि वे एक बार भारतीय जनता के सद्भाव पर जीवित रह कर देखे और अपने अधिकारों के लिए विशेष अधिकार अथवा सरकारण की मांग न करें जो कि कार्य साधने का एक गलत तरीका है। मैं यह चाहता हूँ और इसके लिए उनसे आजिजी करता हूँ कि यदि वे भारत में रहे तो हमारे होकर रहे। मैं यह अवश्य महसूस करता हूँ कि किसी भी योजना में, जो महासभा स्वीकार करे, किसी भी हालत में, विशेष हितों की रक्षा के लिए कोई स्थान नहीं है। बालिग-मताधिकार मिलने से विशेष हितों एवं वर्गों की रक्षा अपने-आप हो जाती है।

ईसाइयों के सम्बन्ध में एक सज्जन का जो कि अब हमारे साथ नहीं है प्रमाण दूँ। उन्होंने कहा था, “हम कोई खास संरक्षण नहीं चाहते।” मेरे पास ईसाई संस्थाओं के पत्र भी हैं, जिनमें वे कहती हैं कि

उन्हें यास सरकार की आवश्यकता नहीं, वे जो कुन्द्र भी प्रियों गरण्डग्राह प्राप्त करेंगे वह अपनी नम्र सेवाओं के बल पर प्राप्त सरकार होगा।

अब मैं एक अत्यन्त नाजुक विषय अर्थात् वफादारी की शपथ पर आता हूँ। इस सम्बन्ध में मैं अभी कोई सम्मति न दे सकूँगा, क्योंकि इसके पहले मैं यह जान लेना चाहता हूँ कि इसका रूप वरा होगा। यदि वह पूर्ण स्वतन्त्रता हो और भारत को सम्पूर्ण स्वराज्य मिलता हो तो स्वभावतः ही वफादारी की शपथ का एक ही रूप हो जाता है। और यदि भारत को पराधीन रहना है तो उसमें मेरे लिए स्थान नहीं है। इसलिए वफादारी की शपथ के प्रश्न पर आज सम्मति देना मेरे लिए सभव नहीं है।

अब अन्तिम प्रश्न लीजिए। प्रत्येक सभा में यदि सरकार द्वारा नामजद सदस्यों की व्यवस्था हो तो वह कौमी होनी चाहिए? काग्रस-वादियों ने जो योजना तैयार की है, उसमें नामजद सदस्यों के लिए कोई स्थान नहीं है। विशेषज्ञों अथवा जिनकी सलाह मागी जाय, उनके आने की वात में समझ सकता हूँ। वे अपनी सलाह देंगे और लौट जायंगे। उनके मत देने की आवश्यकता का मैं जरा भी अधिकार नहीं देखता। यदि हम विशुद्ध प्रजातन्त्रयुक्त संस्था चाहते हों तो उसमें तो जनता के प्रतिनिधि ही मत दें सकते हैं। इसलिए जिस योजना में सरकार के नामजद सदस्यों की गुजाइश हो, उसका मैं समर्यान नहीं कर सकता। किन्तु यह वात मुझे फिर पावती उपधारा पर लाती है। मान लीजिए कि मेरे दिमाग में यह हो—क्योंकि महासभा में भी हमने ऐसा ही रखा है—और हम चाहते भी हैं कि स्विया चुनी जायं, अग्रेज चुने जाय, अद्वृत भी अवश्य चुने जाय और ईमाई भी चुने जाय। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि ये वहन बड़े अल्पसंख्यक वर्ग हैं; फिर भी प्रल्पसंख्यक हैं, और मान लिया जाय कि निर्वाचक-मंडल अपने अधिकारों का ऐसा दुरुपयोग करे कि स्वियों, अग्रेजों, अद्वृतों अथवा जमीदारों को न चुने और उनके द्वारा कृत्य का, कोई उचित कारण न हो, तो मैं विधान में ऐसी धारा

रखूगा, जिससे यह निर्वाचित व्यवस्थापिका-सभा उन्हे निर्वाचित अथवा नामजद कर सके। किन्तु मैं जानता हूँ कि यह चुनाव उनका होना चाहिए जो चुने जाने चाहिए थे पर चुने न गये हो। कदाचित् मेरे कथन का अर्थ स्पष्ट न हुआ हो, इसलिए मैं एक उदाहरण देता हूँ : हमारी एक प्रान्तीय समिति का ठीक ऐसा नियम है कि एक अमुक निश्चित संख्या में मुसलमान स्त्रियों और अद्धूतों का चुनाव निर्वाचित मण्डल के लिए अनिवार्यतः आवश्यक है। और यदि वह ऐसा न करे तो पूर्व-निर्वाचित समिति मे जो स्त्रियां, मुसलमान और अद्धूत उम्मेदवार होते हैं, उन्हीं मे से निर्वाचन करती हैं; और इस प्रकार उक्त वर्ग की संख्या पूरी की जाती है। यह तरीका है, जो हम काम मे ला रहे हैं। निर्वाचिक-मण्डल इस प्रकार दुर्ब्यवहार न करे, इसके लिए यदि कोई प्रतिबन्धक नियम बनाया जाय तो मैं उसका विरोध न करूँगा, इसके विपरीत उसका स्वागत करूँगा। किन्तु पहले तो मैं निर्वाचित मण्डल पर यह विश्वास रखूँगा कि वे सब वर्गों के प्रतिनिधि चुनेगे और सम्बन्धी अथवा सजातीयता के अन्ध-भक्त न बन जायगे। मैं आपको विश्वास दिला देना चाहता हूँ कि महासभा की मनोवृत्ति जाति-पाति के भेदभाव तथा ऊच-नीच की नीति के सर्वथा विपरीत है। महासभा सम्मूर्ण समानता के भावों का पोषण कर रही है।

लाईं मेंकी मद्राशय, मैंने इतना समय लिया, इसके लिए मुझ खंड है, और मुझ आपने इतना अवकाश देने की उदारता दिखाई, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ।*

*उम भापग पर यह बहस हुई—

मर अकबर हैदरी—मैं एक सवाल पूछूँ ? जो ५,००,००० गांव या निर्वाचन-भेत्र है, वहा वे पहले प्रान्तिक कौसिल के लिए अपने प्रतिनिधि चुनेगे और तब प्रान्तिक कौसिले संघीय धारासभाओं के प्रतिनिधि चुनेगी, अथवा प्रान्तिक कौसिलों और संघीय धारासभा के निर्वाचन-भेत्र पृथक्-पृथक् रहेंगे ?

: ३ :

दो कसौटियाँ

जबसे मैं लन्दन आया हूँ, मुझे सर्वत्र मित्रता और सच्चे प्रेम ही का अनुभव हुआ है। नित्यप्रति मेरे नये-नये मित्र बनते जा रहे हैं; किन्तु आपने (श्री ए० फेनर ब्रोकवे ने) मुझे यह याद दिलाई है कि आवश्यकता के समय आप हमारे मित्र रहे हैं और वास्तव में आवश्यकता के समय जो काम आवे, वही सच्चे मित्र कहाते हैं। जब ऐसा प्रतीत होता था कि भारत का, या यों कहिए महासभावादियों का इस पृथिवी पर रहने वाले प्रायः सभी ने साथ छोड़ दिया है, उस समय आपने दृढ़तापूर्वक महासभा का साथ दिया और महासभा की जो स्थिति थी, उसे अपनी स्थिति समझा। आपने महासभा के कार्यक्रम में अपने विश्वास को आज फिर से ताजा किया है और ऐसा करके आपने मेरे बोझ को हलका किया है।

गांधीजी—महाशय, सर अकबर हैदरी के जवाब में प्रथम तो मैं यह कहना चाहता हूँ कि यदि मेरी योजना के सामान्य सिद्धान्त हम स्वीकार कर लें तो वस्तुतः ये सब बातें बिना किसी भी कठिनाई के तय हो सकती हैं। लेकिन सर अकबर हैदरी ने जो खास प्रश्न पूछा है, उसके जवाब में मैं कहूँगा कि जिस योजना का मैं प्रसार कर रहा हूँ उसमें गांवों के द्वारा निर्वाचकों अथवा मतदाताओं का चुनाव होगा—कुल गांव एक आदमी को चुनेगा और कहेगा कि “तुम हमारे लिए अथवा हमारी तरफ से मत दोगे।” और वह आदमी प्रान्तिक कौसिलों या मध्यवर्ती धारासभा के चुनाव के लिए उनका एजेन्ट हो जावेगा।

सर अकबर हैदरी—तब वह आदमी दुहेरी स्थिति में रहेगा, प्रान्तिक

महासभा के प्रतिनिधि की हैसियत से जो सन्देश देने के लिए मैं यहां भेजा गया हूँ, वह सन्देश आपको मुनाना ठीक वैसी ही बात होवी जैसा कि काशी को गगाजल ले जाना। महासभा के दावे के औचित्य अथवा अनौचित्य के बारे में आप सब जानते हैं और मेरा हठ विश्वास है कि आपके हाथों में महासभा का दावा बिलकुल सुरक्षित है। आपने आज के अपने बर्ताव से महासभा के जरिये भारतीय गावों के करोड़ों मूक और अधपेट रहनेवाले प्राणियों के साथ की अपनी मित्रता पर मुहर लगा दी है।

यह कल्पना की जाती है कि आप एक दावत में शरीक हुए हैं। मैं अप्रेजी दावतों से खाने से नहीं, पर देखने से ही परिचित हूँ और जब मैंने इस भेजा को देखा तो मैंने अनुभव किया कि आपने दावत के नाम पर कितनी कुर्बानी की है। मुझे आशा है कि चाय का समय आने तक त्याग की यह भावना कायम रहेगी, जब आप अपने लिए कुछ बढ़िगा-बढ़िगा चीजें काम में ला सकेंगे, जो अंतेजी होटलों और विश्राम-गृहों में आपको मिला करती हैं। किन्तु इस प्रकट विनोद के

कौसिलों के और साथ ही केन्द्रीय धारासभा के चुनाव में भी वह मत देगा ?

गांधीजी—वह ऐसा कर सकेगा; लेकिन आज तो मैं सिर्फ केन्द्रीय धारासभा के चुनाव की बाबत कह रहा था।

सर अकबर हैदरी—इस प्रकार निर्वाचित प्रान्तिक कौसिल के द्वारा केन्द्रीय धारासभा के चुनाव के किसी भी विचार को क्या आप स्वीकार न करेंगे ?

गांधीजी—मैं उसे अस्वीकार नहीं करता; लेकिन वही स्वयं मुझे पसन्द नहीं आता। अगर 'अप्रत्यक्ष चुनाव' का यही विशिष्ट अर्थ हो तो मैं उसे स्वीकार नहीं करता। मैं तो 'अप्रत्यक्ष चुनाव' का शब्द-व्यवहार अस्पष्ट रूप में कर रहा हूँ। अगर इसका पारिभाषिक (Technical) अर्थ ऐसा हो तो मैं उसे नहीं जानता।

पीछे गम्भीरता भी विद्यमान है। मुझे मालूम है कि आपने कुछ त्याग किया है। आपमें कुछ लोगों ने भारत की स्वाधीनता के कायं का प्रतिपादन करने के लिए 'स्वाधीनता' शब्द का पूर्णतया अंग्रेजी अर्थ समझते हुए बहुत कुछ त्याग किया है; किन्तु सम्भव है यदि आप भारत का पक्ष-प्रतिपादन करते रहे तो आपको और भी अधिक कुर्बानियां करनी पड़े। जब मैंने यहाँ आना स्वीकार किया तो मेरे मन में किसी प्रकार का भ्रम न था। जिस दिन मैंने लन्दन में प्रवेश किया, उस दिन आपने-मेरे मुह से सुना होगा कि मेरे लन्दन आने के प्रबलतम कारणों में से एक कारण यह था कि मैंने एक सम्माननीय अंग्रेज के साथ जो वादा कर लिया था उसे मुझे पूरा करना था। उस वादे के अनुसार ही जिन अंग्रेज स्त्री-पुरुषों से मैं मिलता हूँ, उन्हें अपनी शक्ति-भर यह बतलाने की कोशिश करता हूँ कि जिस बात को महासभा चाहती है, उसे पाने के लिए भारत मुस्तहक है। साथ ही मैं यह बताने की भी कोशिश कर रहा हूँ कि महासभा का निश्चय है और मैं महासभा के आज्ञापत्र में वर्णित प्रत्येक बात की माग करके महासभा के सम्मान की, भारतवर्ष के सम्मान की, रक्षा करने के लिए यहाँ आया हूँ। महासभा के दावे में सिवाय उस हृद तक जिसकी आज्ञापत्र में अनुमति दी गई है, कुछ भी कमी करने का अधिकार मुझे नहीं है। मैं यह अनुभव करता हूँ कि मेरा काम कठिन है, करीब-करीब मनुष्य की शक्ति के बाहर का है। भारतवर्ष की मौजूदा स्थिति के विषय में यहाँ कितना अधिक अज्ञान फैला हुआ है! वहाँ के सच्चे इतिहास के सम्बन्ध में भी बहुत अधिक अज्ञान फैला हुआ है।

जब मैं यहाँ आनेवाला था तो मुझे शान्तिधर्म के उपासक (Quaker) एक नौजवान मित्र ने याद दिलाई थी कि मेरा यहाँ आना फिजूल होगा, कारण कि यहाँ आप लोगों को बचपन से वास्तविक इतिहास नहीं बल्कि झूठा इतिहास सिखाया गया है। ज्यों-ज्यों मैं अंग्रेज स्त्री-पुरुषों के सम्पर्क में आता हूँ, उस मित्र द्वारा कहे गये सत्य

को मूर्त्तिमान रूप में देखता हूं। उनके लिए यह समझना महा कठिन, प्रायः असम्भव-सा है कि कम-से-कम भारतवासी तो यही मानते हैं कि भारत में अप्रेज़ी शासन का कुल परिणाम राष्ट्र के लिए उपयोगी साबित होने की अपेक्षा हानिकर ही साबित हुआ है। अप्रेजो के सम्पर्क से होनेवाली भारत की भलाइयों की ओर निर्वेश करना फिज़ूल है। अधिक महत्त्व की बात तो यह है कि हानि-लाभ दोनों को विचार कर यह मालूम किया जाय कि भारत को क्या-क्या भुगतना पड़ा है।

मैंने दो अचूक कसौटियाँ निश्चित की हैं। क्या यह सही है या नहीं कि आज भारत दुनिया भर में सबसे गरीब देश है और उसमें छः महीने लाखों आदमी बेकार रहते हैं? इसी तरह क्या यह सही है या नहीं कि भारत को सत्त्वहीन देश बना दिया गया है; अनिवार्य निःशस्त्रीकरण के द्वारा ही नहीं, बल्कि ऐसी अनेक सुविधाओं से वचित रखकर जिनका एक स्वतंत्र देश के नागरिक सदा उपयोग कर सकते हैं?

यदि जाच करने पर आपको पता चले कि इन दोनों परीक्षाओं में इंग्लैंड असफल हुआ है—मैं यह नहीं कहता कि बिलकुल ही असफल हुआ है, बल्कि एक बड़ी हद तक असफल हुआ है—तो क्या अवतंक वह वक्त नहीं आया है कि इंग्लैंड अपनी नीति बदले?

जैसा कि एक मित्र ने कहा है और जैसा कि स्वर्गीय लोकमान्य तिलक ने हजारों ही सभा-मंचों पर से बार-बार कहा है, “स्वतंत्रता और स्वाधीनता भारत का जन्मसिद्ध अधिकार है।” मेरे लिए यह सिद्ध करना आवश्यक नहीं है कि ब्रिटिश-शासन अन्त में ब्रिटिश कुशासन ही साबित हुआ है। मेरे लिए इतना कह देना ही काफी है कि चाहे कुशासन हो चाहे सुशासन, भारत तत्काल स्वाधीनता प्राप्त करने का अधिकारी है; भारत के करोड़ों बेजबानों की ओर से इसकी माँग की गई है।

जवाब में यह कहना कोई जवाब नहीं है कि भारत में कुछ ऐसे भी

लोग हैं जो 'स्वाधीनता' और 'स्वतंत्रता' शब्दों तक से डरते हैं। हममें से, मैं कवूल करता हूँ कि कुछ ऐसे हैं जो, यदि भारत से तथाकथित 'ब्रिटिश-संरक्षण' हटा लिया जाय तो भी भारत की स्वाधीनता के बारे में बात करने से डरेंगे। किन्तु मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि क्षुधापीड़ित लाखों भारतीयों और राजनीति समझनेवाले लोगों को ऐसा कोई भय नहीं है और वे स्वतंत्रता की कीमत चुकाने को तैयार हैं। किन्तु जबतक महासभा अपने वर्तमान कार्यकर्ताओं को नहीं बदलती और अपनी मौजूदा नीति में उसकी श्रद्धा है, तबतक उसकी कुछ सुनिश्चित मर्यादाएँ हैं। यदि दूसरों की जानें लेकर, शासकों का खून बहाकर भारत की आजादी प्राप्त की जाती हो तो हम आजादी नहीं चाहते। किन्तु उस आजादी की प्राप्ति के लिए राष्ट्र को हमें अगर कुर्बानी करने की आवश्यकता हुई तो आप देखेंगे कि हम भारत में अपने खून की गंगा बहा देने में भी सकोच न करेंगे—उस स्वाधीनता के लिए जो हमें अबतक नहीं मिली है, हम यह सब करने को तैयार हैं। जैसा कि आपने मुझे याद दिलाया मैं यह जानता हूँ कि मैं आपके बीच में अजनबी आदमी नहीं हूँ, बल्कि आपका एक सहयोगी हूँ। मैं जानता हूँ कि आपकी ओर से मुझे यह पक्का विश्वास है कि जहाँ तक आपका और उनका, जिनका आप प्रतिनिधित्व करते हैं, सम्बन्ध है, आप हमारा साथ देंगे और भारतवर्ष को एक बार फिर यह बता देंगे कि आप आवश्यकता के समय काम आनेवाले मित्र हैं और इसलिए सच्चे मित्र हैं।

आपने जो मेरा बड़ा भारी स्वागत किया है, उसके लिए मैं आपको एक बार फिर धन्यवाद देता हूँ। मैं यह जानता हूँ कि यह मेरा सम्मान नहीं है, आपने यह सम्मान उन सिद्धान्तों के प्रति प्रकट किया है, जो मैं आशा करता हूँ मुझे और आप दोनों को ही प्रिय हैं। सम्भव है वे मुझसे भी आपको अधिक प्रिय हों। मुझे आशा है कि आपकी प्रार्थनाओं और आपके सहयोग के बल पर मैं उन सिद्धान्तों से कभी विमुख न होऊंगा, जिनकी मैं आज घोषणा कर रहा हूँ।

: ४ :

अल्पसंख्यक जातियाँ

प्रधान मन्त्री और मित्रो, बड़े खेद और उससे भी अधिक आत्म-
म्लानि के साथ मैं विभिन्न दलों के प्रतिनिधियों से स्थानगी बातचीत
द्वारा साम्प्रदायिक प्रश्न का एक सर्वमान्य निपटारा करने में सर्वथा
असफल होने की घोषणा करता हूँ। मैं आपसे और अन्य सहयोगियों से
एक सप्ताह के बहुमूल्य समय को नष्ट करने के लिए क्षमा मांगता हूँ।
मुझे संतोष इसी बात में है कि जब मैंने बातचीत का भार अपने ऊपर
लिया था, तब मैं जानता था कि इसमें सफलता की अधिक आशा नहीं
है। इसके अतिरिक्त मैं नहीं समझता कि इस समस्या को हल करने का
कोई प्रयत्न मैंने बाकी रखा हो।

परन्तु यह कहना कि बातचीत विलकुल असफल रही—जो
कि हमारे लिए बड़ी लज्जा की बात है—सम्पूर्ण सत्य नहीं है।
असफलता के कारण तो इस भारतीय प्रतिनिधि-मण्डल के संगठन में
अन्तर्हित है। हममें से प्रायः सभी उन दलों या मंडलों के चुने हुए प्रति-
निधि नहीं हैं, जिनका प्रतिनिधि हमको समझा जाता है। हम सब यहाँ
सरकार द्वारा नामज्ञद हो कर आये हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ वे सज्जन
भी नहीं हैं, जिनकी उपस्थिति इस प्रश्न के निपटारे के लिए नितान्त
आवश्यक है। श्राप मुझे क्षमा करेगे यदि मैं यह कह दूँ कि अल्पसंख्यक
समिति के अधिवेशन के लिए अभी उपयुक्त समय नहीं आया है। इसमें
वास्तविकता का अभाव इस कारण है कि अभी हम यह भी नहीं जानते
कि हमें क्या मिलने वाला है। यदि हमको निश्चित रूप से मालूम हो
जाता कि जो हम चाहते हैं वह हमें मिलने वाला है तो हम ऐसी निष्कृष्ट
खींचतान में उसे ढुकराने के पहले पचास बार आगा-पीछा सोचते, जैसा

कि हम तब करेगे जब हमें यह कह दिया जाय कि उसका मिलना वर्तमान प्रतिनिधियों की साम्प्रदायिक उलझन को सर्वमान्य रूप से सुलझाने की योग्यता पर निर्भर है। साम्प्रदायिक प्रश्न का निपटारा तो स्वराज्य-विधान की रचना के बाद ही हो सकता है, पहले नहीं; क्योंकि इस प्रश्न पर उत्पन्न हुआ हमारा मतभेद हमारी गुलामी के कारण अत्यन्त जटिल हो गया है, चाहे उसके कारण उत्पन्न न भी हुआ हो। मुझे इसमें तनिक भी सन्देह नहीं है कि हमारा साम्प्रदायिक मतभेद-रूपी वर्फ का पहाड़ स्वतन्त्रतारूपी सूर्य के ताप में पिघल जायगा।

इसलिए मैं यह प्रस्ताव करने का साहस करता हूँ कि अल्पसंख्यक समिति अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी जाय और विधान की मौलिक बातें जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी तय कर ली जाय। इमीं बीच में साम्प्रदायिक समस्या को उचित रूप से हल करने के लिए खानगी प्रयत्न जारी रहेगा और जारी रहना चाहिए। केवल इस बात का व्यान रहे कि वह विधान-रचना के कार्य में बाधक न हो जाय। अतः इस प्रश्न में हटा कर हमें अपना ध्यान विधान-रचना के मुख्य भाग पर केन्द्रीभूत करना चाहिए।

मैं समिति को यह भी बतला दूँ कि मेरी असफलता से इस प्रश्न का सर्वमान्य निपटारा करने की आशाओं का अन्त नहीं हो गया है। मेरी असफलता का अर्थ यह भी नहीं है कि मेरी हार हो गई, क्योंकि हार जैसा शब्द तो मेरे शब्दकोश में ही नहीं है। असफलता स्वीकार करने में मेरा तात्पर्य केवल यहीं है कि जिस विशेष प्रयत्न के लिए मैंने एक सप्ताह का अवकाश मागा और जो आपने उदारतापूर्वक मुझे दिया, उसमें मैं असफल रहा।

इस असफलता को मैं सफलता की सीढ़ी बनाने का प्रयास करूँगा और लोगों से भी ऐसा ही करने के लिए अनुरोध करूँगा। परन्तु यदि गोलमेज़-परिषद् की समाप्ति तक भी निपटारे के हमारे सारे प्रयत्न असफल रहे तो मैं भावी विधान में एक ऐसी धारा जोड़ने की तजीबीज़

पेश करूँगा, जिससे तमाम भागों की जांच करके अनिश्चित बातों पर अपना अन्तिम फैसला देने वाली एक कानूनी पचायत की नियुक्ति हो जाय।

समिति को यह भी नहीं समझता चाहिए कि खानगी बातचीत के लिए दिया गया समय अर्थही नष्ट हुआ है। आपको यह जान कर हर्ष होगा कि बहुत से मित्र, जो प्रतिनिधि नहीं हैं, इस प्रश्न में दिल-चस्पी ले रहे हैं। इन मित्रों में सर जियोफे कॉरबेट का नाम उल्लेखनीय है। इन्होंने पजाब के पुनर्विभाजन की योजना प्रस्तुत की है, जो मेरे विचार में अध्ययन करने योग्य है, हालांकि वह सबको मान्य नहीं है। मैंने सर जियोफे से प्रार्थना की है कि वे अपनी योजना को विस्तारपूर्वक सब प्रतिनिधियों के सामने रखें। हमारे सिक्ख प्रतिनिधियों ने भी एक योजना बनाई है, जो विचार करने योग्य है। सर ह्यूबर्ट कारने भी कल रात को एक ऐसी नूतन योजना का निर्माण किया है, जिसके अनुसार पजाब में दो धारासभाएँ हों—ओटी मुसलमानों की मागों को मन्तुष्ट करने के लिए और बड़ी जिसमें मिक्खों की मागों को सन्तुष्ट किया जा सके। यद्यपि मैं द्विखण्ड-धारासभा-प्रणाली से सहमत नहीं हूँ, परन्तु सर ह्यूबर्ट की योजना ने मुझे काफी आकर्षित किया है। मैं इनसे भी प्रार्थना करूँगा कि वे उसको वैसे ही उत्साह के साथ बढ़ाते रहें जैसे उत्साह के साथ उन्होंने हमारी खानगी बातचीत में योग दिया है जिसके लिए मैं उनका अत्यन्त आभारी हूँ।

अन्त में मैं महासभा के विचार आपके सामने स्पष्टतया रख देना आवश्यक समझता हूँ; क्योंकि मेरा इन मन्त्रणाओं में भाग लेने का एक मात्र कारण यही है कि मैं उसका प्रतिनिधि हूँ। यद्यपि लोगों को, खास कर इंग्लैण्ड में, ऐसा प्रतीत न होता हो, परन्तु महासभा सम्पूर्ण राष्ट्र की प्रतिनिधि होने का दावा करती है और निश्चय ही वह ऐसी मूक जनता की प्रतिनिधि है, जिसमें अगणित अछूत, जो दलित होने की

अपेक्षा दबाये हुए अधिक हैं—और उनसे भी अधिक हतभाग्य तथा उपेक्षित अवनत जातियां भी शामिल हैं।

महासभा की नीति सक्षेप में यह है। मैं महासभा का प्रस्ताव आपको पढ़कर सुनाता हूँ।

महासभा ने शुरू से ही विशुद्ध राष्ट्रीयता को अपना आदर्श माना है और वह साम्प्रदायिक भेदभावों को हटाने में प्रयत्नशील रही है। लाहौर-महासभा में पास किया हुआ निम्नलिखित प्रस्ताव उसकी राष्ट्रीयता का सर्वोच्च परिचायक है।

“चूंकि नेहरू-रिपोर्ट रद्द हो चुकी है, कौमी सवालों के बारे में महासभा की नीति की घोषणा करना अनावश्यक है, क्योंकि महासभा का विश्वास है कि स्वतन्त्र भारत में कौमी सवालों का हल सिर्फ विशुद्ध राष्ट्रीय ढंग से ही किया जा सकता है। लेकिन चूंकि खास कर सिक्खों ने और साधारणतया मुसलमानों तथा दूसरी अल्पसंख्यक कौमों ने नेहरू-रिपोर्ट में प्रस्तावित कौमी सवालों के हल के प्रति असन्तोष व्यक्त किया है, यह महासभा मिक्खों, मुसलमानों और दूसरी अल्पसंख्यक कौमों को विश्वास दिलाती है कि इस सवाल का कोई भी ऐसा हल भावी शासन-विधान के लिए महासभा को तबतक मज़ूर न होगा, जबतक कि उसके सम्बन्धित दलों को पूरा मन्तोप न होता हो।

“इसी कारण कौमी सवाल का कौमी हल पेश करने की जिम्मेदारी से महासभा वरी हो गई है। लेकिन राष्ट्र के इनिहास के इस नाजुक अवसर पर यह अनुभव किया गया कि कार्य-समिति को देश की स्वीकृति के लिए एक ऐसा हल मुझाना चाहिए, जो देखने में कौमी होते हुए भी राष्ट्रीयता के अधिक-से-अधिक निकट हो और आम तौर पर उन सब कौमों को मंजूर हो, जिनका इससे सम्बन्ध है। इसलिए पूरी-पूरी और निर्बाध वहस के बाद कार्यसमिति ने सर्वसम्मति से नीचे लिखी योजना पास की है—

“१. (अ) विधान की मौलिक अधिकार से सम्बन्धित धारा में उन-

उन क्रीमों के लिए यह आश्वासन भी शामिल हो कि उनकी संस्कृति, भाषा, धर्मग्रन्थ, शिक्षा, पेशा और धार्मिक व्यवहार तथा धार्मिक इनाम या जागीर वर्गेरा की रक्षा की जायगी ।

“(ब) विधान मे खास शर्तें शामिल करके उनके द्वारा व्यक्तिगत कानूनों की रक्षा की जायगी ।

“(स) विभिन्न प्रान्तों में अल्पसंख्यक जातियों के राजनीतिक और दूसरे हक्कों की रक्षा करना सध-शासन का दायित्व होगा और यह काम उनके अधिकार-धेत्र की सीमा के अन्दर होगा ।

“२. तमाम बालिग स्त्री-पुरुष मताधिकार के अधिकारी होंगे ।

नोट—कराची-महासभा के प्रस्ताव द्वारा कार्यसमिति बालिग मताधिकार के लिए बध चुकी है, अतः वह किसी दूसरे प्रकार के मताधिकार को स्वीकार नहीं कर सकती । लेकिन कुछ स्थानों में जो गलतफहमा फैली हुई है, उसे ध्यान मे रखते हुए समिति यह स्पष्ट कर देना चाहती है, किसी भी हालत मे मताधिकार एक समान होगा और इतना व्यापक होगा कि चुनाव की सूची मे प्रत्येक क्रीम की आवादी का अनुपात उसमें स्पष्ट दिखाई पडे ।

“३. (अ) हिन्दुस्नान के भावी शासन-विधान मे प्रतिनिधित्व का आधार संयुक्त निर्वाचन होगा ।

“(ब) सिन्ध के हिन्दुओं, आसाम के मुसलमानों और सरहदी सूबे तथा पजाव के सिक्खों और किसी भी प्रान्त के हिन्दू और मुसलमानों के लिए, जहां उनकी संख्या आवादी का फी सैकड़ा २५ से कम है, संघीय और प्रान्तीय धारासभाओं मे आवादी के आधार पर स्थान सुरक्षित रखने जायेंगे और उन्हें अधिक स्थानों के लिए उम्मीदवार के रूप में खड़े होने का अधिकार होगा ।

“४. निष्पक्ष लोकसेवा कमीशनों द्वारा नियुक्तियां की जायेंगी, ये कमीशन सेवकों की कम-से-कम योग्यता निश्चित करेंगे और लोक-सेवा की कार्यक्षमता का तथा देश की सार्वजनिक नौकरियों में तमाम क्रीमों

को समान अवसर और पर्याप्त भाग देने के सिद्धान्त का पूरा ख्याल रखेंगे।

“५. संघीय और प्रान्तीय मन्त्रि-मण्डल के निर्माण में अत्पसंख्यक जातियों के हित प्रचलित रूढ़ि के अनुसार मान्य होंगे।

“६. सरहदी सूबे और बलूचिस्तान में उसी प्रकार का शासन और व्यवस्था होगी, जैसी अन्य प्रान्तों में हो।

“७. सिन्ध को अलग प्रान्त बना दिया जाय, बशर्ते कि सिन्ध के लोग पृथक् प्रान्त का आर्थिक भार बहन करने को तैयार हो।

“८. देश का भावी शासन-विधान संघीय होगा। शेष अधिकार मध्यीय इकाइयों (Federating Units) के हिस्से रहेंगे, बशर्ते कि अधिक परीक्षा करने पर यह हिन्दुस्नान के अधिक-से-अधिक हित के प्रतिकूल सिद्ध न हो।

“कार्यसमिति ने उक्त योजना को विशुद्ध सम्प्रदायवाद और विशुद्ध राष्ट्रवाद के आधार पर किये गये प्रम्तावों के बीच समझौते के रूप में स्वीकार किया है। इसलिए जहा एक और कार्यसमिति यह आशा रखती है कि सारा राष्ट्र इस योजना का समर्थन करेगा, वहा दूसरी और अतिवादी लोगों को, जो इसे कबूल नहीं कर सकते यह विश्वास दिलाती है कि समिति सहर्ष दूसरी किसी भी ऐसी योजना को बिना किसी हिचक के स्वीकार करेगी जैसी कि वह लाहौर वाले प्रस्ताव से बंधी हुई है, जो तमाम सम्बन्धित दलों को स्वीकृत होगी।”

यह महासभा का प्रस्ताव है।

अब यदि राष्ट्रीय निपटारा असभव हो और महासभा की योजना अस्वीकृत हो तो मुझे इस बात की स्वतन्त्रता है कि मैं ऐसी अन्य न्यायोचित योजना से सहमत हो जाऊँ, जो सब जातियों को मान्य हो। इस सम्बन्ध में महासभा की नीति अधिक-से-अधिक समझौताशील है; और कम-से-कम जहां वह सहायता नहीं कर सकेगी, वहां वह रोड़े भी

नहीं अटकायगी। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि आपसी पचायत की किसी भी योजना का महासभा पूर्णतया समर्थन करेगी।

मेरे लिए ऐसा कहा गया प्रीत होता है कि मैं अद्वृतों को धारा-सभाओं में स्थान देने के विरुद्ध हूँ। यह सत्य का गला घोटना है। जा कुछ मैंने कहा है और जो मैं फिर दोहराता हूँ वह यह कि मैं उनका विशेष प्रतिनिधित्व देने के पक्ष में नहीं हूँ। मुझे विश्वास है कि इससे उनका कोई भला नहीं हो सकता, उल्टा नुकसान ही होगा। महासभा बालिग मताधिकार स्वीकार कर चुकी है, जिसमें करोड़ों अद्वृत मतदाता हो सकते हैं। यह अनुभव मालूम होता है कि जब द्वूषाद्वृत दूर होती जा रही है तब इन मतदाताओं के नामजद प्रतिनिधियों का दूसरे बहिष्कार कर देंगे। धारासभाओं में चुनाव से अधिक जिस बात की इनको आवश्यकता है वह है सामाजिक तथा धार्मिक अत्याचारों से रक्षा। कानून से भी अधिक शक्तिशाली रुद्धियों ने उनको इतना नीचा गिरा दिया है कि प्रत्येक विचारवान हिन्दू को उससे लज्जित हो कर प्रायश्चित करना चाहिए। अतएव मैं ऐसे कठोर कानून के पक्ष में हूँ, जो मेरे इन देश भाइयों पर उच्च कहलाने वाली जातियों द्वारा किये जाने वाले तमाम अत्याचारों को जुर्म करार दे। परमात्मा का धन्यवाद है कि हिन्दुओं की भावनाओं में परिवर्तन हो रहा है और अल्प-काल ही में द्वूषाद्वृत हमारे पाप-पूर्ग भूतकाल का एक अवशिष्ट चिह्न मात्र रह जायगी।

: ५ :

संघ-न्यायालय

लार्ड चान्सलर तथा साथी प्रतिनिधिगण, मुझे इस विषय पर, जिसे इस वाद विवाद ने बड़ा पारिभाषिक बना दिया है, बोलने में बहुत हिच-किचाहट मालूम हो रही है; परन्तु मैं अनुभव करता हूँ कि मेरा आपके तथा जिस महासभा का मैं प्रतिनिधि हूँ उसके प्रति एक कर्तव्य है। मैं

जानता हूँ कि महासभा की संघ-न्यायालय के प्रश्न पर एक निश्चित नीति है, जो मुझे भय है कि यहा अनेक प्रतिनिधियों को अप्रिय मालूम होगी। कुछ भी हो, वह एक जिम्मेदार संस्था की नीति है इसलिए मेरे विचार में यह आवश्यक है कि मैं उसे आपके सामने रख दूँ।

मैं देखता हूँ कि इन वादविवादों का आधार यदि पूर्ण अविश्वास नहीं तो बहुत कुछ हमारा स्वयं अपने ही में यह अविश्वास है कि राष्ट्रीय सरकार अपनी कार्रवाही निष्पक्ष रूप से नहीं कर सकेगी। सांप्रदायिक उलझन भी इसे प्रभावित कर रही है। दूसरी ओर महासभा अपनी नीति का आधार श्रद्धा तथा इस विश्वास को मानती है कि जब हमें अधिकार मिलेगे तब हमें अपनी जिम्मेदारियों का भी ज्ञान हो जायगा और साम्प्रदायिक मतभेद अपने आप मिट जायगा। परन्तु यदि ऐसा न भी हो तो भी महासभा बड़े-से-बड़ा खतरा उठा लेगी; क्योंकि ऐसे खतरे उठाये बिना हम वास्तविक उत्तरदायित्व को सभालने के योग्य न हो सकेंगे। जबतक हमारे दिमाग में यह भाव बना रहेगा कि हमें सलाह के लिए तथा नाजुक परिस्थिति में अपना काम चलाने के लिए किसी बाहरी शक्ति के सहारे रहना है, तबतक मेरी राय में हमपर कोई जिम्मेदारी नहीं है।

यह बात भी उलझन में डालने वाली है कि हम बिना यह जाने कि हमारा ध्येय क्या है, इस त्रिभव पर बहस करने का प्रयत्न कर रहे हैं। यदि फौजें स्वराज्य सरकार के मातहत नहीं रहें तो मैं एक राय दूगा; परन्तु यदि वे हमारे ही अविकार में रहें तो मेरी राय दूसरी होगी। मैं इस आधार पर चल रहा हूँ कि यदि हमें वास्तविक जिम्मेदारी मिलने वाली हो फौजों पर हमारा, अर्थात् सच पूछिए तो राष्ट्रीय अधिकार रहेगा। डा० अम्बेदकर ने जो कठिनाई उपस्थित की है, उसमें उनके साथ मेरी भी पूर्ण सहानुभूति है। सबसे ऊँची अदालत का फैसला लेना बड़ी अच्छी बात है; परन्तु यदि उस अदालत की आज्ञाएं स्वयं उसीकी कब्जहरी के बाहर कोई बक्तव्य न रखती हों तो ऐसी अदालत

पर सारा राष्ट्र और सारा संसार हँसेगा । फिर उस आज्ञा का क्या होगा ? श्री जिन्ना ने जो कहा, वह मेरी समझ में आ गया कि इस कार्य के लिए सैनिक शक्ति होगी; परन्तु उस हालत में आज्ञा का पालन कराने वाला तो सभ्राट् (Crown) होगा । तब मैं कहूँगा कि हाइकोर्ट अथवा संघ-न्यायालय सभ्राट् के ही अधीन रहें । मेरे विचार से यदि हमें जिम्मेदार बनना है तो सर्वोच्च न्यायालय को स्वराज्य-सरकार के ही मातहत रहना पड़ेगा और उसकी आज्ञाओं को अमल में लाने का काम भी उसे ही—स्वराज्य-सरकार को—ठीक करना पड़ेगा । डा० अम्बेदकर को जो भय है उससे मैं तो नहीं डरता हूँ; परन्तु मेरी समझ में उनकी आपत्ति अवश्य कुछ तथ्य रखती है; क्योंकि जो अदालत न्याय करे उसे यह भी भरोसा होना चाहिए कि जिनपर उसके फैसलों का असर पड़ता है वे उनको मानेंगे । इसलिए मैं राय दूँगा कि न्यायाधीशों को यह भी अधिकार होना चाहिए कि वे फैसलों के सम्बन्ध की बातों को बाकायदा चलाने के लिए नियम भी बना सकें । ज़रूर ही उनका पालन करवाना अदालत के हाथ मे नहीं रहेगा; बल्कि कार्यकारिणी-विभाग के हाथों में रहेगा; परन्तु कार्यकारिणी-विभाग को इस अदालत के बनाये हुए नियमों के अनुसार ही कार्य करना होगा ।

हम यह कल्पना करने लगे हैं कि यह विधान इस अदालत की रचना के सम्बन्ध की छोटी-से-छोटी बातें तक हमारे सामने रख देगा । मैं विनयपूर्वक इस विचार से अपना पूर्ण मतभेद जाहिर करता हूँ । मेरे विचार से यह विधान हमें संघ-न्यायालय का खाका बना देगा और उसका अधिकार-क्षेत्र निश्चित कर देगा; परन्तु बाकी तमाम बातें संघ-सरकार के ऊपर छोड़ दी जायगी कि वह उनको पूरा कर ले । मैं इस बात को कभी ख्याल मे नहीं ला सकता कि यह विधान इन बातों को भी तय कर देगा कि न्यायाधीशों को कितने साल नौकरी करना है, आया उनको ७० वर्ष की अयवा ६५ अथवा ६० अथवा ६४ वर्ष की अवस्था पर इस्तीफा देना या रिटायर होना है; मेरी राय में तो

ये बातें संघ-शासन ही निश्चित करेगा। हम प्रत्येक वाक्य के अखीर मे सम्राट् (Crown) शब्द अवश्य ले आते हैं। मे यह मानता हूँ कि महासभा के विचार से सम्राट् का कोई सवाल ही नहीं है। भारतवर्ष को तो पूर्ण स्वाधीनता का उपभोग करना है और यदि वह पूर्ण स्वाधीनता का उपभोग करने लगे तो जो कोई भी सर्वोच्च सत्ता होगी, वही न्यायाधीशों की नियुक्ति तथा आज जो सम्राट् के अधिकार की बातें हैं, उन सबकी जिम्मेवार होगी।

महासभा का यह मौलिक सिद्धान्त है कि विधान का रूप चाहे जैसा हो भारत मे हमारी अपनी प्रीवी-कौसिल होगी। प्रीवी-कौसिल वास्तव में सबसे अधिक महत्व की बातों मे, निर्धन लोगो की रक्षा तभी कर सकेगी, जब उसके फाटक दीनातिदीन जनो के लिए भी खुले रहेंगे। और मेरे विचार मे यदि यहाँ की—इंग्लैण्ड की—प्रीवी-कौसिल महत्वपूर्ण विषयो मे हमारी क्रिस्मत का फैसला करने वाली हो तो ऐसा होना असम्भव है। इस सम्बन्ध मे भी मे अपने यहाँ के न्यायाधीशों की बुद्धिमत्तापूर्ण तथा सर्वथा निष्पक्ष फैसला देने की योग्यता मे पूर्ण विश्वास रखने की सलाह दूँगा। मे जानता हूँ कि हम बड़ी जोखिम उठा रहे हैं। यहाँ की प्रीवी-कौसिल एक प्राचीन संस्था है जिसकी बड़ी प्रतिष्ठा तथा बड़ा मान है; परन्तु इस प्रीवी-कौसिल के प्रति अपने आदर को स्वीकार करते हुए भी मे कभी यह विश्वास नहीं कर सकता कि हम अपनी निजी ऐसी प्रीवी-कौसिल न बना सकेंगे जिसके गौरव को सारा ससार स्वीकार करे। इंग्लैण्ड को बड़ी सुचारू सस्थाओं का अभिमान हो सकता है; परन्तु इसका यह अर्थ नहीं है कि हम भी उन सस्थाओं मे बधे रहे। यदि हमे इंग्लैण्ड से कुछ सीखना है तो यही कि हम स्वयं भी ऐसी सस्थाए स्थापित कर सके, वरना जिस राष्ट्र के हम प्रनिनिधि है उसकी उन्नति की कोई आशा नहीं है। इसलिए मे आप सबसे प्रार्थना करूँगा कि इस समय हम अपने मे पूर्ण विश्वास रखें। हमारा प्रारभ भले

ही छोटा हो ; परन्तु यदि हमारे हृदयों में सचाई और ईमानदारी के साथ फँसला देने की शक्ति है तो किर कोई परवाह नहीं, यदि हमारे देश में इंग्लैण्ड के न्यायाधीशों-जैसी न्याय-परम्परा—जिसका उनको संसार में अभिमान है—न हो ।

इस प्रकार मेरी राय में इस सघ-न्यायालय को अधिक-से-अधिक अधिकार होने चाहिए और वह केवल उन्ही मामलों का फैसला न करे, जिनका संघ-कानून (Federal Laws) से सम्बन्ध है । संघ-कानून जरूर रहेंगे; परन्तु उसको इतना अधिकार होना चाहिए कि भारत के किसी भी भाग में होने वाले मामलों पर वह फैसले दे सके ।

अब यह प्रश्न है कि देशी नरेशों की प्रजा की क्या स्थिति रहेगी और उनका क्या होगा ? देशी नरेश जो कुछ कहें, उसको ध्यान में रखते हुए मैं बड़े सम्मान तथा बड़ी हिचकिचाहट के साथ सलाह दूँगा कि यदि इस कानफँस का कुछ फल निकले तो कोई बात ऐसी होनी चाहिए, जो सारे भारत के लिए तथा सारे भारतवासियों के लिए एक-सी हो, फिर चाहे वे रियासतों के रहने वाले हों या भारत के अन्य भागों के । यदि हम सबमें कोई समान बात है तो अवश्य ही सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) को सबके समान अधिकारों की रक्षा करनी होगी । मैं नहीं कह सकता कि ये अधिकार क्या हो सकते हैं और क्या नहीं हो सकते । चूंकि देशी नरेश स्वयं अपनी श्रेणी के ही प्रतिनिधि बनकर नहीं आये हैं, बल्कि उन्होंने अपनी प्रजा के प्रतिनिधित्व की भी बड़ी भारी जिम्मेदारी अपने सिर पर ले रखी है, इसलिए मैं विनम्र तथा हार्दिक प्रार्थना करूँगा कि उनको स्वयं ही कोई ऐसी योजना बना देनी चाहिए, जिससे उनकी प्रजा को यह अनुभव हो कि यद्यपि इस परिषद् में उनका कोई प्रतिनिधि नहीं है, तो भी उनके विचार इन माननीय नरेशों के ही द्वारा भली प्रकार प्रकट किये जायंगे ।

जहाँ तक तनख्वाहों का सवाल है, आप लोग शायद हँसेंगे, परन्तु महासभा का, जो एक गरीब राष्ट्र की प्रतिनिधि है, विश्वास है कि इस

सम्बन्ध में हमारा धन के लिहाज से एक दरिद्र राष्ट्र का—वर्तमान धनकुवेर इंग्लैण्ड से सर्वदा करना असम्भव है। भारतवर्ष जिसकी औसत आय ३ पैस प्रतिदिन है, वैसी तत्त्वाहों को वर्दाश्त नहीं कर सकता जो यहाँ दी जाती है। मैं रामभृता हूँ कि यदि हमे भारत में स्वाधीनतापूर्वक राज्य करना है तो इस बात को भूल जाना पड़ेगा। जब-तक अग्रेजी तलवार वहा मौजूद है, तबतक भले ही इन दीन मनुष्यों को निचोड़ कर १०,००० रु० या ५,००० रु० या २०,००० रु० मासिक तत्त्वाहं दी जा सके। मैं नहीं समझता कि मेरा देश इतना गिर गया है, जो करोड़ों भारतीयों के जैसा जीवन विताते हुए भी भारत की सचाई के साथ सेवा करने वाले जन पर्याप्त सख्ता में उत्तम न कर सके। मैं इस बात को स्वीकार नहीं कर सकता कि कानूनी योग्यता को ईमानदार रहने के लिए भारी कीमत देने की आवश्यकता है।

इसके में लिए थ्री मोतीलाल नेहरू, सी० आर० दास, मनमोहन घोष, बदरस्तीन तथ्यबंजी इत्यादि की याद आपको दिलाता हूँ, जिन्होंने अपनी कानूनी लियाकत विलकुल मुफ्त वाटी और अपने देश की बड़ी अच्छी तथा विश्वस्त सेवा की। आप शायद मुझे ताना देंगे कि वे लोग इस कारण ऐसा कर सके थे कि वे अपने व्यवसाय में बड़ी लम्बी-लम्बी फीस लेते थे। मैं इस तर्क को इस कारण नहीं मान सकता कि मनमोहन घोष के सिवा मेरा और सबसे परिचय रहा है। यह नहीं कहा जा सकता कि अधिक रूपये होने की वजह से इन लोगों ने भारत को आवश्यकता पड़ने पर अपनी योग्यता उदारतापूर्वक दी हो। उसका उनकी आराम तथा विलास से रहने की योग्यता से कोई सम्बन्ध नहीं है। मैंने उनको बड़े संतोष से दीनतापूर्वक जीवन निर्वाह करते देखा है। इस समय चाहे जो स्थिति हो, मैं अब भी आपको कई ऐसे प्रसिद्ध वकील बतला सकता हूँ, जो यदि राष्ट्रीय हितों के लिए आगे न बढ़े होते तो भारत के विभिन्न भागों में हाईकोर्ट के न्यायाधीशों के आसन पर बैठे हुए होते। इसलिए मुझे पूर्ण विश्वास है कि जब हम अपने कानून स्वयं बनाने लगेंगे तो हम

देशभक्ति के भावो से प्रेरित होकर तथा भारत के करोड़ो निवासियों की दीन अवस्था को ध्यान में रखते हुए ऐसा करेगे।

मैं एक बात और कह कर समाप्त करूँगा। यह ध्यान में रखते हुए चाहे जो नाम आप उसे दें, महासभा के विचार से यह संघ-न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय ऐसी ऊँची अदालत का स्थान ग्रहण करेगा, जिसके ऊपर भारत का कोई निवासी न जा सके। मेरी राय में उसका अधिकार-क्षेत्र भी अपरिमित होगा। सबीय बातों से जहाँ तक सम्बन्ध है, उसका अधिकार-क्षेत्र इतना ही विस्तृत होगा, जितने से देशी नरेश सहमत हो। परन्तु मैं यह ख्याल कभी नहीं कर सकता कि हमारे यहाँ दो सर्वोच्च न्यायालय रहें : एक तो केवल संघ-कानून की बातों के लिए और दूसरा अन्य सब बातों के लिए, जो संघ-शासन या संघ-सरकार के अन्तर्गत न आती हो।

इस समय जैसी बातें हो रही हैं उससे मालूम होता है कि संघ-सरकार कम-से-कम विषयों से ताल्लुक रखेगी और अधिक महत्वपूर्ण बातें संघ-शासन से बाहर ही रहेंगी। इन संघ की बातों पर यदि सर्वोच्च न्यायालय फैसला नहीं देगा तो और कौन देगा? इसलिए इस सर्वोच्च न्यायालय का दोहरा अधिकार होगा और यदि आवश्यकता हो तो तिहरा अधिकार होगा। जितनी अधिक शक्ति हम इस संघ-न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय को देंगे, उतने ही अधिक विश्वास का संचार हम संसार में तथा स्वयं अपने राष्ट्र में कर सकेंगे।

मुझे खेद है कि मैंने परिषद के समय की यह बहुमूल्य घड़ियां नी हैं ; परन्तु मैंने अनुभव किया कि संघ-न्यायालय के प्रश्न पर बोलने की अनिच्छा रखते हुए भी मैं उन विचारों को आपके सामने रख दूँ जो महासभावादी वर्षों से रखते चले आये हैं और जिनको हम भारत के एक कोने से दूमरे कोने तक यदि फैला सकें तो फैलाना चाहते हैं। मैं जानता हूँ कि मुझे किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। लगभग सारे प्रमिन्द्र वकील मेरे खिलाफ हैं और जहाँ तक इस न्यायालय

की तनख्वाहों तथा इसके अधिकार का सवाल है वहा तक शायद नरेश भी मेरे विरोधी हैं। परन्तु यदि मैं संघ-न्यायालय-सम्बन्धी महासभा के तथा अपने विचारों को, जिनका हम जोरों से प्रतिपादन करते हैं, आपके सामने न रखूँ तो अपने कर्तव्य से गिरने का दोषी होऊँगा।

: ६ :

जनतन्त्र की हत्या

प्रधानमंत्री तथा प्रतिनिधि-बन्धुओं, मैं अत्यधिक सकोच और लज्जा के साथ अल्पसंख्यक जातियों के प्रश्न की चर्चा में भाग ले रहा हूँ। कुछ अल्पसंख्यक जातियों की ओर से प्रतिनिधियों के पास भेजे हुए और आज सुबह ही मिले हुए आवेदनपत्र (Memorandum) को मैं उचित ध्यान और एकाग्रता से नहीं पढ़ सका हूँ। इसके पहले कि उक्त आवेदन-पत्र के सम्बन्ध में मैं कुछ शब्द कहूँ, मैं अत्यन्त आदर और सम्मान के साथ, आपकी आज्ञा से, आपकी इस समिति के सामने पेश किये गये इस विचार के साथ कि जातिगत प्रश्न को हल करने की असमर्थता के कारण विधान-रचना के कार्य की प्रगति रुक रही है और ऐसा कोई विधान बनाये जाने के पहले इस प्रश्न का हल हो जाना एक अनिवार्य शर्त है, अपना मतभेद प्रकट करना चाहता हूँ। इस समिति की बैठक के आरम्भ में ही मैंने कह दिया था कि मैं इस विचार से सहमत नहीं हूँ। उसके बाद अबतक मुझे जो अनुभव प्राप्त हुआ है, उससे मेरा यह विचार और हृद हो गया है, और आप मुझे यह कहने के लिए क्षमा करेंगे कि गत वर्ष इस कठिनाई के सम्बन्ध में आपने जो जोर दिया और इस वर्ष फिर उसे दुहराया, उसीका यह कारण है कि विभिन्न जातियों को अपने पूरे बल के साथ अपनी-अपनी मांग को रखने का उत्तेजन

मिला। यदि उन्होंने इसके विपरीत किया होता तो वह मनुष्य-स्वभाव के विरुद्ध होता। सबने यही सोचा कि अपनी मांगे चाहे जैसी हो, उनपर पूरा-पूरा आग्रह करने का यही समय है, और मैं इस बात को फिर दुहराने का साहस करता हूँ कि मुझे इसमें कोई सन्देह नहीं है कि आपके इस प्रश्न पर दिये गये जोर के ही कारण इसका उद्देश्य विफल हो गया है। यह उत्तेजन मिलने के कारण ही हम किसी समझौते पर न आ सके। इसलिए सर चिमनलाल सीतलवाद के इस विचार के साथ मैं पूर्णतः सहमत हूँ कि यही प्रश्न कोई आधाररूप नहीं है, यही प्रश्न मध्यविन्दु नहीं है, प्रत्युत मध्यविन्दु तो है विधान-रचना।

मुझे पूरा विश्वास है कि आपने इस गोलमेज़ा-परिषद् को नभा हम लोगों को, यहा ६,००० मील दूर से अपना घर और कामकाज छुड़ाकर साम्प्रदायिक अथवा जातिगत प्रश्न हल करने के लिए नहीं बुलाया है बल्कि आपने हमे एकत्र किया—आपने जानबूझकर यह धोषित किया कि हम लोग यहा निर्मित किये गये हैं—विधान-रचना की क्रिया में भाग लेने के लिए और आपने यह भी धोषित किया है कि आपके आतिथ्य-शील देश को छोड़ने के पहले हमे इस बात का निश्चय हो जायगा कि भारत की स्वतन्त्रता के लिए हम सम्मान और प्रतिष्ठायुक्त ढांचा तैयार कर चुके हैं और अब उसपर केवल 'हाउस आव कामन्स' और 'हाउस आव लार्ड्स' की सम्मति मिलना ही शेष रह गया है।

किन्तु इस समय एक सर्वथा जुदी परिस्थिति का हमे सामना करना पड़ रहा है और वह यह कि चूंकि हम किसी जातिगत समझौते पर नहीं आ सके, इसलिए विधान-रचना का कुछ काम नहीं होगा, और अन्तिम उपाय की तरह विधान और उससे उद्भावित सब बातों के सम्बन्ध में सम्माट-सरकार की नीति को आप धोषित कर देंगे। मैं यह महसूस किये बिना नहीं रह सकता कि जो परिषद् इतने होहल्ले के साथ और इतने अधिक लोगों के मन और हृदय में आशा उत्पन्न करके की गई थी, उसका यह दुखद अन्त होगा।

इस आवेदन-पत्र* पर आते हुए, सर ह्यूबर्ट कार ने मुझे जो धन्यवाद दिया है वह मैं स्वीकार करता हूँ। उनका यह कहना ठीक है कि इस बोझ को अपने कधों पर उठाते समय मैंने जो शब्द कहे थे, यदि वे न कहे होते और किसी प्रकार का समझौता करने में मैं सर्वथा असफल न हुआ होता, तो वे अन्य अल्पसंख्यक जातियों के साथ मिलकर इस समिति के विचार और अन्त में सम्भाट-सरकार की स्वीकृति के लिए जो अत्यन्त सराहनीय योजना पेश कर सके हैं, वह न कर सकते।

सर ह्यूबर्ट कार तथा उनके साथियों को इससे वस्तुतः जो सन्तोष हुआ है, वह मैं उनसे न छीनूँगा; किन्तु मेरे विचार में उन्होंने जो कुछ किया है, वह ऐसा ही है जैसा कि मुर्दे के पास बैठना और उसकी लाश की चीरफाड़ करने का भारी पराक्रम करना।

भारत की सबसे बड़ी और प्रधान राजनैतिक संस्था के प्रतिनिधि की हैसियत से सम्भाट-सरकार से, उन मित्रों से जो अपने नाम के सामने दी गई छोटी-छोटी जातियों के प्रतिनिधि बनना चाहते हैं, और अवश्य ही सारे संसार से, मैं बिना किसी हिचकिचाहट के यह कह देना चाहता हूँ कि इसमें कोई सन्देह नहीं कि यह योजना उत्तरदायित्व-पूर्ण शासन अर्थात् स्वराज्य-प्राप्ति के लिए नहीं है, प्रत्युत नौकरशाही की सत्ता में भाग लेने के लिए बनाई गई है।

यदि यही इरादा हो—और सारे आवेदन-पत्र में यही इरादा व्याप्त है—तो मैं उनकी सफलता चाहता हूँ; परन्तु राष्ट्रीय महासभा उससे माफ अलग हो जाती है। किसी ऐसे प्रस्ताव या योजना पर, जिससे

*छोटी अल्पसंख्यक जातियों और मुसलमानों में परस्पर-स्वीकृत कथित योजना। ह्यूबर्ट कार ने अपने भाषण में, गांधीजी को उक्त प्रश्न के निपटारे की असफलता के लिए कटाक्षपूर्वक धन्यवाद दिया था, क्योंकि उनके (सर ह्यूबर्ट के) मत से उनकी इस असफलता के परिणाम-स्वरूप ही अल्पसंख्यक जातियां आपस में मिल सकीं।

कि खुनी हवा में उगने वाला स्वतन्त्रता और स्वराज्य का वृक्ष कभी उग न सकता हो, अपनी सहमति प्रकट करने की अपेक्षा महासभा चाहे जितने वर्ष जंगल में भटकना स्वीकार कर लेगी।

मुझे यह सुनकर आश्चर्य होता है कि सर ह्यू बर्ट कार हमें बताते हैं कि उन्होंने जो योजना तैयार की है, वह केवल कुछ ही दिनों के लिए, अस्थाई अथवा कामचलाऊ, होने के कारण हमारे राष्ट्र-हित के लिए हानिकर न होगी, प्रत्युत दस वर्ष के अन्त में हम सब एक-दूसरे से मिलते और आपस में आलिंगन करते दिखाई देंगे। मेरा राजनीतिक अनुभव इससे सर्वथा विरुद्ध बात सिखाता है। यदि इस उत्तरदायित्वपूर्ण शासन का, जब भी कभी वह आवे, शुभ मुहूर्त में आरम्भ करना हो तो जैसा कि इस योजना से होता है, उसकी चीरफाड़ न होनी चाहिए; जो ऐसी चीरफाड़ है, जिसे कोई राष्ट्रीय सरकार सह नहीं सकती। H १२३.२५५ | G १४ H २७२२

पर इस योजना की चौका देने वाली बात तो यह है और प्रधान मन्त्री महोदय ! मुझे आश्चर्य है कि स्वयं आपने भी इस बात का उल्लेख इस भाँति किया है मानो यह बात निर्विवाद तथ्य है कि यह योजना ११॥ करोड़ लोगों को अथवा भारत की आबादी के लगभग ४६ प्रतिशत को मान्य है। ये अक बहुत गलत हैं, इसका आपको जीता-जागता प्रमाण मिल चुका है। स्त्रियों की ओर से विशेष प्रति-निधित्व की मांग से सर्वथा असहमति प्राप सुन चुके हैं। और स्त्रियां भारत की आबादी का आधा हिस्सा हैं, इसलिए इस ४६ प्रतिशत में कुछ कभी हो जाती है। बिन्तु इतना ही नहीं है। महासभा नगण्य संस्था हो सकती है; किन्तु मैने बिना किसी हिचकिचाहट के यह दावा किया है, और बिना किसी शर्म के उसे फिर दुहराता हूँ कि महासभा केवल ब्रिटिश भारत की नहीं, प्रत्युत सम्पूर्ण भारत की आबादी के ८५ अथवा ६५ प्रतिशत की प्रतिनिधि होने का दावा करती है।

इसपर चाहे जितने प्रश्न खड़े किये जाने पर भी मे अपने पूरे बल के साथ इस दावे को दुहराता हूँ कि महासभा अपनी सेवा के अधिकार से भारत के किसान कहे जाने वाले वर्ग की प्रतिनिधि है। यदि सरकार चुनौती देकर कहे कि भारत मे लोकमत की गिनती की जाय तो मे उस चुनौती को स्वीकार कर लूगा, और तब आप तुरन्त ही देख लेंगे कि महासभा इनकी प्रतिनिधि है या नहीं। लेकिन मे एक कदम और आगे जाता हूँ। इस समय यदि आप भारत की जेलों के रजिस्टरों की जाच करे तो आपको मालूम होगा कि इन रजिस्टरों मे महासभा मुसलमानों की बहुत बड़ी संख्या की प्रतिनिधि थी और है। गत वर्ष महासभा के झण्डे के नीचे हजारों मुसलमान जेल गये थे। आज भी महासभा के रजिस्टर पर कई हजार मुसलमान और इसी तरह कई हजार अद्यूत और कई हजार भारतीय ईसाई उसके सदस्य हैं। मे नहीं जानता कि कोई भी ऐसी जाति है जो महासभा की सदस्य न हो। नवाब साहब छतारी के प्रति पूर्ण सम्मान प्रकट करते हुए मे कहना चाहता हूँ कि जमीदार, मिलमालिक और लखपति तक उसके सदस्य हैं। मे स्वीकार करता हूँ कि वे धीरे-धीरे और सावधानी से महासभा की ओर आ रहे हैं, किन्तु महासभा उनकी सेवा करने का भी प्रयत्न करती है। निःसन्देह महासभा मजदूरों की भी प्रतिनिधि है ही। इसलिए यह जो कहा जाता है कि इस आवेदन-पत्र मे निर्धारित सूचनाएं ११। करोड़ से अधिक लोगों को स्वीकृत होंगी, उसे बहुत अधिक मर्यादा और सावधानी के साथ स्वीकार करना चाहिए।

एक शब्द और कह कर मे इसे समाप्त करूँगा मुझे आशा है कि साम्प्रदायिक समस्या की जो योजना महासभा ने तैयार की है, वह आपके सामने आ चुकी है और सदस्यों मे वितरित कर दी गई है। मे साहसपूर्वक कह सकता हूँ कि इस सम्बन्ध मे मेरे जितनी योजनायें देखी हैं, उन सबमे वह अत्यधिक व्यावहारिक योजना है। किन्तु मे इसमें भूल भी कर सकता हूँ। मे स्वीकार करता हूँ कि इस मेज़ के सामने बैठे

हुए अपनी-अपनी जाति के प्रतिनिधियों को यह योजना पसन्द नहीं है; किन्तु भारत में इन्हीं जातियों के प्रतिनिधि उसे स्वीकार कर चुके हैं। यह केवल एक ही दिमाग की उपज नहीं, प्रत्युत एक समिति की कृति है, जिसमें कई महत्वपूर्ण दलों के प्रतिनिधि थे। इसलिए महासभा की ओर से आपके पास यह योजना है; किन्तु महासभा ने यह भी सूचना की है कि इस प्रश्न के निर्णय के लिए एक निष्पक्ष पञ्चायत की आवश्यकता है। पञ्चायत के द्वारा सारे सासार में अदालत ने अपने मतभेद मिटाये हैं, और महासभा भी पञ्चायती अदालत के किसी भी निर्णय को स्वीकार करने के लिए हमेशा तैयार है। मैंने स्वयं यह सूचित करने का साहस किया है कि सरकार एक न्याय-मण्डल नियुक्त करे, जो इस मामले की जाच कर उसपर अपना निर्णय दे। परन्तु इन बातों में से किसी को कोई भी बात स्वीकृत न हो। और यदि इसी शर्त पर विधान-रचना होती हो तो मैं कहूँगा कि मर ह्यूर्बर्ट कार तथा अन्य सदस्यों द्वारा पेश की गई इस योजना को स्वीकार करने की अपेक्षा इस उत्तरदायी शासन नामधारी शासन में दूर रहना ही हमारे लिए कही अधिक अच्छा है।

मैंने पहले जो कहा है, उसीको फिर दुहराता हूँ कि महासभा कोई भी ऐसी योजना, जो हिन्दू, मुसलमान और सिखों को स्वीकृत होगी, स्वीकृत करने के लिए सदैव तैयार रहेगी; किन्तु अन्य अल्पसंख्यक जातियों के विशेष प्रतिनिधित्व अथवा विशेष निर्वाचन-मण्डल की योजना का वह कभी समर्थन न करेगी। मौलिक अधिकार और नागरिक स्वतन्त्रता-सम्बन्धी विशेष धाराओं अथवा सरक्षणों को महासभा सदैव स्वीकृत करेगी। निर्वाचिकों की सूची में दाखिल होकर सर्वमान्य निर्वाचिक मण्डल से मत मांगने का सबके लिए खुला अधिकार होगा। मेरी नम्र सम्मति के अनुसार सर ह्यूर्बर्ट कार की योजना उत्तरदायित्वपूर्ण शासन एवं राष्ट्रीयता के मूल पर ही आधात करने वाली है। यदि भारत को इस प्रकार काट-काट कर जुदे किये हुए अनेक वर्गों के प्रतिनिधि मिलने वाले झों तो उस भारत की क्या दशा होगी यह भगवान ही जाने! वह और

केवल वही अग्रेज सम्पूर्ण भारत की सेवा कर सकेगा, जो केवल अंग्रेजों द्वारा नहीं, प्रत्युत सर्वमान्य निर्वाचिक मण्डल द्वारा निर्वाचित होगा। स्वयं इस विचार से ही प्रकट होता है कि उत्तरदायी शासन को सदैव राष्ट्रीय भावना के—आबादी के द५ प्रतिशत किसानों के—हितविरोधी इम वर्ग के साथ लड़ना होगा। मैं तो इस बात की कल्पना भी नहीं कर सकता। यदि हम उत्तरदायी शासन की स्थापना करना चाहते हों। और यदि हम वास्तविक स्वतन्त्रता प्राप्त करने वाले हों तो मैं यह सूचित करने का साहस करता हूँ कि इन कथित विशेष वर्गों के प्रत्येक व्यक्ति का यह गौरवपूर्ण अधिकार और कर्तव्य होना चाहिए कि वह सर्वमान्य निर्वाचिक की सम्मति और निर्वाचन के खुले ढार से व्यवस्थापिका में प्रवेश करे। आप जानते हैं कि महासभा बालिग मताधिकार से बंधी हुई है और इस बालिग मताधिकार के कारण सबके लिए निर्वाचिक मूची में दाखिल होने का मार्ग खुला रहेगा। कोई भी व्यक्ति इससे अधिक नहीं माग सकता।

अन्य अल्पसंख्यक जातियों के दावे को मैं समझ सकता हूँ; किन्तु अद्यूतों की ओर से पेश किया गया दावा तो मेरे लिए 'सबसे अधिक निर्दय धाव' है। इसका अर्थ यह हुआ कि अस्पृश्यता का कलंक सदैव के लिए कायम रहने वाला है। भारत की स्वतंत्रता-प्राप्त करने के लिए भी मैं अद्यूतों के वास्तविक हित को न बेचूगा। मैं स्वयं अद्यूतों के विशाल समुदाय का प्रतिनिधि होने का दावा करता हूँ। यहां मैं केवल महासभा की ओर से ही नहीं बोलता, प्रत्युत स्वयं अपनी ओर से भी बोलता हूँ और दावे के साथ कहता हूँ कि यदि सब अद्यूतों का मत लिया जाय तो मुझे उनके मत मिलेंगे और मेरा नम्बर सबके ऊपर होगा। मैं भारत के एक छोर से दूसरे छोर तक दौरा करके अद्यूतों से कहूँगा कि अस्पृश्यता जो कि उनका नहीं प्रत्युत कटूर एवं रुढ़िवादी हिन्दुओं का कलंक है, दूर करने का उपाय पृथक निर्वाचिक मण्डल अथवा व्यवस्थापिका-सभाओं में विशेष रक्षित स्थान नहीं है। इस समिति को और समस्त संसार को

यह जान लेना चाहिए कि आज हिन्दू समाज-सुधारकोंका ऐसा समूह भौजूद है जो कि अस्पृश्यता के इस कलक को धोने के लिए प्रतिज्ञाबद्ध है। हम नहीं चाहते कि हमारे रजिस्टरों में और हमारी मर्दुंमशुमारी में अद्यूत नाम की जुदी जाति लिखी जाय। सिक्ख सदैव के लिए सिक्ख, मुसल-मान हमेशा के लिए मुसलमान और अग्रेज सदा के लिए अग्रेज रह सकते हैं। किन्तु क्या अद्यूत भी हमेशा के लिए अद्यूत रहेगे? अस्पृश्यता जीवित रहे, इसकी अपेक्षा में यह अधिक अच्छा समझूँगा कि हिन्दू धर्म द्वाव जाय। इसलिए डा० अम्बेदकर की अद्यूतों को ऊचा उठा देखने की उनकी इच्छा तथा योग्यता के प्रति अपना पूरा सम्मान प्रकट करते हुए भी मैं अत्यन्त नव्रतापूर्वक कहूँगा कि उन्होंने जो कुछ किया है, अत्यन्त भूल अथवा भ्रम के वश में होकर किया है और कदाचित् उन्हे जो कदु अनुभव हुए होंगे, उनके कारण उनकी विवेक-शक्ति पर पर्दा पड़ गया है। मुझे यह कहना पड़ता है, इसका मुझे दुःख है; किन्तु यदि मैं यह न कहूँ तो अद्यूतों का हित जो मेरे लिए प्राणों के समान है, उसके प्रति मैं सच्चा न होऊँगा। सारे संसार के राज्य के बदने भी मैं उनके अधिकारों को न छोड़ूँगा। मैं अपने उत्तरदायित्व का पूरा ध्यान रखता हूँ, जब मैं कहता हूँ कि डा० अम्बेदकर जब सारे भारत के अद्यूतों के नाम पर बोलना चाहते हैं, तब उनका यह दावा उचित नहीं है। इससे हिन्दू धर्म में जो विभाग हो जायेंगे वह मैं जरा भी सन्तोष के साथ देख नहीं सकता। अद्यूत यदि मुसलमान अथवा ईसाई हो जाय, तो मुझे उसकी कुछ परवा नहीं; मैं वह सह लूँगा। किन्तु प्रत्येक गाव में यदि हिन्दुओं के दो भाग हो जायं तो हिन्दू समाज की जो दशा होगी वह मुझसे न सही जा सकेगी। जो लोग अद्यूतों के राजनीतिक अधिकारों की बात करते हैं वे भारत को नहीं पहचानते और हिन्दू समाज आज किस प्रकार बना हुआ है यह नहीं जानते। इसलिए मैं अपनी पूरी शक्ति से यह कहूँ कि इस बात का विरोध करने वाला यदि मैं अकेला होऊँ तो भी मैं अपने प्राणों की बाजी लगा कर भी इसका विरोध करूँगा।

: ७ :

सेना

लार्ड चान्सलर महोदय तथा प्रतिनिधि-वन्धुओं, में जानता हूँ कि इस सबसे अधिक महत्व के प्रश्न पर महासभा का मत प्रकट करने मेरे कन्धों पर बड़ी जवरदस्त जिम्मेदारी है। मैं इस अवसर पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ, क्योंकि अब तो मैं इसमे आ फँसा हूँ। मैं नहीं जानता कि इस चर्चा या बहस की रिपोर्ट तैयार होगी अथवा नहीं। मैं यह भी नहीं जानता कि ये बहसे एकदम बन्द हो जायेंगी अथवा प्रागे बढ़ाई जायेंगी। मैं तो यहां, यदि आवश्यकता हो तो शीतकाल बिताने के इरादे से आया था; इसलिए समय का तो कोई प्रश्न ही नहीं, यदि सयोग से मित्रता-पूर्ण बातचीत और विचार-विनिमय से महासभा का उद्देश्य पूर्ण होता हो। मैं यहां जानबूझ कर इसी इरादे से भेजा गया हूँ कि चाहे इस परिषद में खुली चर्चा करके, अथवा मन्त्रियों एवं यहां के लोकमत पर प्रभाव रखने वाले सार्वजनिक व्यक्तियों तथा भारत के जीवन-मरण के प्रश्न पर दिलचस्पी रखनेवाले सबके साथ खानगी बातचीत करके सम्मानयुक्त समझौते का प्रत्येक सम्भव उपाय खोजने का प्रयत्न करूँ। इसलिए महासभा की उस नीति से बंधे होने के कारण, जो कि आप सबको विदित है, मेरा यह फ़र्ज है कि मैं समझौते का एक भी उपाय शेष न छोड़ू। महासभा अपने लक्ष्य पर जल्दी-से-जल्दी पहुँचने के लिए तुली हुई है और इन सब विषयों पर अपने निश्चित मत रखती है। अधिक हकीकत कहूँ तो उत्तरदायी शासन से आनेवाली सब प्रकार की जिम्मेदारी को उठाने के लिए वह आज भी तैयार है, अपने-आपको उसके लिए आज योग्य समझती है।

यह स्थिति होने के कारण मैंने ख्याल किया कि इस अत्यधिक महत्वपूर्ण प्रश्न पर यथासम्भव नम्रतापूर्वक और संक्षेप-से-संक्षेप में

महासभा का मत प्रदर्शित किये बिना मैं इसकी चर्चा समाप्त होने नहीं दे सकता।

जैसा कि आप सब जानते हैं, महासभा की मांग यह है कि भारत को पूरा-पूरा उत्तरदायित्व सौंप दिया जाय। इसका अर्थ यह है, और वह महासभा के प्रस्ताव में स्पष्ट कर दिया है, कि रक्षणा अर्थात् सेना और बाह्य सम्बन्धों पर उसका पूरा अधिकार होना चाहिए; किन्तु उसमें समझौतों की भी गुजायश है। मैं यह अनुभव करता हूँ कि इस महत्त्व-पूर्ण विषय में उत्तरदायित्व न मांग कर भी हम उत्तरदायी शासन पा जायंगे, यह ख्याल कर हमें अपने को और सासार को धोखा न देना चाहिए। मेरा ख्याल है कि जिस राष्ट्र का अपने रक्षणा-सैन्य पर और अपनी बाह्य नीति अथवा बाह्य सम्बन्धों पर अधिकार न हो, वह मुश्किल से ही उत्तरदायी राष्ट्र कहा जा सकता है। यदि राष्ट्र के रक्षणा पर—सेना पर—किसी बाहर के व्यक्ति का, फिर चाहे वह कितना ही उसका मित्र क्यों न हो, अकुश हो तो वह राष्ट्र निश्चय ही उत्तरदायित्वपूर्ण शासित राष्ट्र नहीं कहा जा सकता। यह बात हमारे अग्रेज-शिक्षकों ने अगणित बार हमें सिखाई है, और इसलिए कुछ अग्रेज मित्रों ने जब यह सुना कि हमें उत्तरदायी शासन तो मिलेगा; किन्तु हमारी अपनी रक्षणा-सेना पर हमारा अधिकार न होगा, अथवा हम उसकी मांग न करेंगे तो इसपर उन्होंने मुझे ताना भी दिया।

इसलिए मैं यहा अत्यन्त आदरपूर्वक महासभा की ओर से सेना पर, रक्षणा-सैन्य पर और बाह्य सम्बन्धों पर पूर्ण अधिकार का दावा करने के लिए आया हूँ। मैंने इसमें बाह्य सम्बन्ध का भी समावेश कर दिया है, जिससे कि इस विषय पर जब सर तेजबहादुर सप्रू बोलें तो मुझे न बोलना पड़े।

हम इस निर्णय पर पूरा-पूरा विचार करके पहुँचे हैं। उत्तरदायित्व हाथ में लेते समय यदि हमें ये अधिकार न मिलें, क्योंकि हम इसके लिए योग्य नहीं समझे गये; तो मैं उस समय की कल्पना नहीं कर सकता,

क्योंकि जब हम अन्य विषयों मे उत्तरदायित्व का उपयोग करेंगे तो अकस्मात् हम अपने रक्षण-संन्धि पर अधिकार रखने के योग्य हो जायेंगे।

मैं चाहता हूँ कि कुछ क्षण देकर यह समिति इस बात को समझ ले कि इस समय इस सेना का क्या अर्थ है। मेरे मतानुसार यह सेना, फिर वाहे वह भारतीय हो अथवा अंग्रेजी, वस्तुतः देश पर अधिकार जमाये रखने के लिए है। इस सेना के सैनिक सिक्ख हों या गोरखे, पठान हों या मद्रासी अथवा राजपूत, चाहे जो कोई भी हों, जबतक वे विदेशी सरकार द्वारा नियन्त्रित सेना मे हैं, मेरे लिए सब विदेशी हैं। मैं उनसे बोल नहीं सकता। बहुत सैनिक मेरे पास चोरी से छिपकर आये हैं और मुझे उनसे बोलने तक मे डर लगता था क्योंकि उन्हें इस बात का भय था कि कही कोई उनकी रिपोर्ट न कर दे। जहा वे रखे जाते हैं, साधारणतः हमारा वहा जा सकना सम्भव नहीं है। उन्हें यह भी सिखाया जाता है कि वे हमें अपना देश भाई न समझें। जो ससार के किसी देश मे नहीं हैं, वह यहा है, और वह यह कि उनके—सैनिकों के—और सर्वसाधारण जनता के बीच कोई सम्पर्क नहीं है। भारतीय जीवन के प्रत्येक भाग के सर्सर्ग मे आने का, और जितनों के साथ सम्भव हो सके उन सबसे परिचय करने का प्रयत्न करने वाले व्यक्ति की हैसियत मे मे इस समिति के सामने अपनी साक्षी देता हूँ, यह मेरे अकेले का ही निजी अनुभव नहीं, प्रत्युत सैकड़ों और हजारो महासभावादियों का यह अनुभव है कि इन सैनिकों और हमारे बीच एक पूरी दीवार खड़ी कर दी गई है।

इसलिए मैं इस बात को अच्छी तरह जानता हूँ कि इस उत्तरदायित्व को एकदम अपने कन्धों पर लेना और इस मेना पर, अंग्रेज-सैनिकों की तो बात ही क्या, अधिकार रखना हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। मुझे दुःख के साथ कहना पड़ना है कि यह अभागी और दुःखद स्थिति हमारे शासकों ने हमारे लिए पैदा की है। इतना होने पर भी हमें यह जिम्मेदारी ले लेनी चाहिए।

इसके बाद सेना का अंग्रेजी विभाग है। अंग्रेजी सेना का उद्देश्य क्या है? प्रत्येक भारतीय बालक जानता है कि अंग्रेजी और साथ ही भारतीय सेना यहां पर अंग्रेजों के स्वार्यों की रक्षा के लिए और विदेशियों के हमलों को रोकने अथवा उनका मुकाबला करने के लिए रखी गई। मुझे इसके लिए खेद है कि मुझे यह गब्द कहने पड़ते हैं; किन्तु मैंने निरन्तर यही बात देखी है, और इसका प्रनुभव किया है; और सत्य को मैंने जैसा देखा और माना है वैसा प्रकट न करूँ तो अपने अंग्रेज मित्रों के प्रति भी अन्याय होगा। तीसरे, इस सेना का उद्देश्य है वर्तमान सरकार के विरुद्ध बगावत को दबाना।

इस सेना के ये मुख्य काम हैं, और इसलिए इस सम्बन्ध में अंग्रेजों का जो दृष्टिकोण है, उससे मुझे कुछ आश्चर्य नहीं होता। यदि मैं अंग्रेज होता और मेरी भी दूसरे देशों पर शासन करने की महत्वाकांक्षा होती तो मैं भी ठीक ऐसा ही करता। मैं भारतीयों को पकड़ कर सैनिकों की तरह शिक्षा देता, उन्हे अपना वफादार होना सिखाता, इतना वफादार कि मेरा हुक्म पाते ही मेरे बताये किसी भी व्यक्ति पर गोली चला दें। जिन लोगों ने जलियांवाला बाग में लोगों पर गोलियां चलाईं वे हमारे ही देशवासी नहीं तो और कौन थे?

अंग्रेजी सेना के भारत में रखे जाने का यही उद्देश्य है कि वह इन विभिन्न भारतीय सैनिकों के बीच अच्छी तरह समतौल रखती है। वह अंग्रेज अधिकारियों और अंग्रेजों के प्राणों की रक्षा करती है जो कि उसे करनी ही चाहिए। यदि मैं यह तत्त्व स्वीकर कर लूँ कि भारत पर अंग्रेजों का अधिकार करना उचित था, और कोई परवा नहीं, स्थिति कैसी ही परिवर्तित क्यों न हो, आज भी उसपर अंग्रेजों का अपना अधिकार कायम रखना और आगे के लिए भी जारी रहने देना उचित है तो फिर मुझे कोई शिकायत रहे ही नहीं।

इस प्रकार जिस प्रश्न को सर नेजबहादुर मप्रू और इसी तरह पण्डित

मदनमोहन मालवीय ने टाल दिया, उसका उत्तर देने मे मुझे कोई आपत्ति नहीं है। उक्त दोनों ने यह कहा कि विशेषज्ञ न होने के कारण वे यह नहीं बता सकते कि किस हद तक यह सेना घटाई जा सकती है या घटा दी जानी चाहिए। किन्तु मेरे सामने ऐसी कोई कठिनाई नहीं है। मुझे यह बताने मे कोई दिक्कत नहीं है कि इस सेना का क्या होना चाहिए। मे यह बात जोर के साथ कहूँगा कि विदेशी शासन से विरासत मे मिले हुए भयकर विधनों के साथ भारत के शासन को छलाने का उत्तरदायित्व मे अपने कंधों पर ले सकूँ, इसके पूर्व यदि यह सेना मेरे अधिकार मे न आवे तो इस सारी मेना को तोड़ अथवा बिखेर देना चाहिए।

इसलिए यह मेरी मौलिक स्थिति होने के कारण मे कहना चाहता हूँ कि यदि आप ब्रिटिश मन्त्रिगण तथा ब्रिटिश जनता सचमुच भारत के द्वारा भला चाहते हो, यदि आप हमे अभी सत्ता सौपने के लिए तैयार हो तो आप इस शर्त को आवश्यक एवं अनिवार्य समझे कि मेना पर हमारा पूरा-पूरा अधिकार होना चाहिए।

किन्तु मे आपसे कह चुका हूँ कि इसमे जो खतरा है वह मे जानता हूँ। मे यह अच्छी तरह जानता हूँ कि यह सेना मेरा आदेश नहीं मानेगी। मे जानता हूँ कि अंग्रेज सेनाधिपति मेरी आज्ञा का पालन न करेगे; उसी तरह सिक्ख और अभिमानी राजपूत, कोई भी मेरा हुक्म न बजावेगे। किन्तु फिर भी मे अपेक्षा करता हूँ कि ब्रिटिश जनता की सद्भावना से मैं अपने आदेश एवं आज्ञा का पालन करा सकूँगा। यह अधिकार एवं अंकुश बदलने के समय वे इन्हीं सैनिकों को नया पाठ पढ़ाने के लिए वहां मौजूद रहेगे और उन्हें बतायेंगे कि इनके आदेशों का पालन करोगे तो अन्त में तो तुम अपने ही देश-भाइयों की सेवा करोगे। अंग्रेज सैनिकों से भी यह कहा जा सकेगा कि “अब तुम यहा अंग्रेजों के स्वार्थ और उनके प्राण बचाने के लिए नहीं, वरन् अपने

झी देश-भाइयो की सेवा करते हो। इम तरह तुम भारत की विदेशी हमलो से तथा उसी तरह आन्तरिक-विग्रह से रक्षा करने के लिए हो।” यह मेरा स्वप्न है। मैं जानता हूँ कि मैंग यह स्वान सच्चा न होगा। मैं ऐसा अनुभव करता हूँ; मेरे सामने इसका प्रमाण है; मेरी बुद्धि मुझे गवाही देती है कि आज और इस परिपद का चर्चा के परिणाम-स्वरूप मेरा यह स्वप्न सच्चा न होगा। किन्तु फिर भी मैं उस स्वान को पोषित करता रहूँगा। अपनी जिन्दगी भर इस स्वप्न को पोषित करना मुझे पसन्द होगा। किन्तु यह का वातावरण देखकर मैं जानता हूँ कि सम्भवतया मैं त्रिटिश जनता मे इस विचार एवं आदर्श का सचार नहीं कर सकता कि इस बात को उन्हे भी पोषित करते रहना चाहिए। इसी तरह मैं लाई अखिल की इच्छाओं का अर्थ करूँगा। इसी बात में येट ट्रिटेन को अपना गौरव मानना चाहिए, यह उसका कर्तव्य होना चाहिए कि इस समय वह हमे अपनी रक्षा करने के रहस्य बता दे। हमारे पर कतर देने के बाद एवं यह उसका कर्तव्य हो जाता है कि वह हमारे पर लौटा दे, जिनसे हम उसी तरह उठ मके जिस तरह वह उड़ता है। यही वास्तव मे मेरी महन्त्वकाला है और इसलिए मैं कहता हूँ कि यदि मैंना पर मुझे अधिकार न मिलेगा ता मैं अनन्तकाल तक प्रतीक्षा करना रहूँगा। मैं अपने-आपको यह धोखा देने ने इनकार करता हूँ कि यद्यपि मैं अपनी सेना का नियन्त्रण नहीं कर सकता, फिर भी मैं उत्तरदायी शासन चलाने के लिए तैयार हूँ।

आखिर भारत कोई ऐसा देश-तो है नहीं, जो कभी यह न जानता हो कि अपनी रक्षा किस तरह करनी चाहिए? इसके लिए उसके पास पूरी सामग्री मौजूद है। मुसलमानो को विदेशी हमले का कोडे डर है ही नहीं। सिक्ख इस बात को ही मानने से इनकार कर देंगे कि उन्हे कोई जीत सकता है और गुरखे में ज्योंही राष्ट्र-भावनाओं का विकास हो जायगा, त्योंही वह कह उठेगा, ‘मैं अकेला ही भारत की रक्षा कर सकूँगा।’ फिर हमारे यहां राजपूत हैं, जो ग्रीस की एक छोटी-मी थर्मा-

पोली नहीं, हजारों थर्मापोली के जन्मदाता कहे जाते हैं। यह बात हमें अग्रेज-इतिहासज्ञ कर्नल टाड ने बताई है। उन्होंने हमें बताया है कि राजपूताने की प्रत्येक धाटी एक थर्मापोली है। क्या इन लोगों को रक्षण-कला सिखाने की आवश्यकता है? मैं जानता हूँ कि यदि मैं अपने कन्धों पर उत्तरदायित्व उठाऊ तो ये सब लोग उसमे मेरा हाथ बटावेंगे। मैं यहां यह देखकर तीव्र वेदना अनुभव कर रहा हूँ कि हम लोग अभी तक साम्प्रदायिक प्रश्नों का निपटारा न कर सके; किन्तु इस प्रश्न का निपटारा जब कभी भी होगा, उसमे यह तो पूर्वनिर्धारित होना ही चाहिए कि हम एक-दूसरे पर विश्वास रखेंगे। चाहे शासन में प्राधान्य मुसलमानों का हो, चाहे सिक्खों का, चाहे हिन्दुओं का, वे मुसलमान, सिक्ख अथवा हिन्दू की तरह नहीं, प्रत्युत एक भारतीय की तरह शासन करेंगे। यदि हमें एक-दूसरे के प्रति अविश्वास रहेगा और हमें एक-दूसरे के हाथ कट मरना न होगा तो इसके लिए हमें अग्रेजों की ज़रूरत रहेगी। फिर उस दशा मेरे हमें उत्तरदायी शासन की बातचीत न करनी चाहिए।

कम-से-कम मेरे तो इस बात की कल्पना ही नहीं कर सकता कि सेना पर अधिकार हुए बिना ही उत्तरदायी शासन मिल गया है। मुझे अपने हृदय की नीची-से-नीची तह से ऐसा प्रतीत होता है कि यदि हमें उत्तरदायी शासन लेना हो और महासभा उत्तरदायी शासन चाहती है—उसका अर्थात् महासभा का अपने पर, जनसमूह पर और उन सब बहादुर मैनिक जातियों पर विश्वास है, इतना ही नहीं अग्रेजों पर भी उसका यह विश्वास है कि किसी दिन वे अपना कर्तव्य-पालन करेंगे और हमें पूरा अधिकार सौंप देंगे—तो हमें अग्रेजों में भारत के प्रति वह प्रेम फूक देना चाहिए, जिसमे कि भारत अपने पैरों पर खड़ा होने की शक्ति प्राप्त कर सके। यदि अग्रेज जनता का यह ख्याल हो कि ऐसा होने के लिए अभी एक शताब्दी की ज़रूरत है तो इस शताब्दी भर महासभा जंगलों में भटकती रहेगी और उसे उस भयंकर अग्नि-परीक्षा में होकर गुजरना होगा। आपदाओं के तूफ़ान और गलतफ़हमियों के बवण्डर का मुकाबला

करना होगा और—यदि आवश्यक हुआ और ईश्वर की इच्छा हुई तो—
गोलियों की बौछार भी सहनी होगी। यदि ऐसा हुआ तो इसका कारण
यह होगा कि हम एक-दूसरे पर विवास नहीं रख सकते और अंग्रेजों
और भारतीयों के हाष्ठिकोण जुदा-जुदा हैं।

यह मेरी मौलिक स्थिति है। मैं तक्फ़सील में नहीं जाना चाहता।
मुझमें जितनी शक्ति थी, उतने ज़ोर से मैंने यह बात रख दी। किन्तु
यदि यह बात स्वीकार कर ली जाय तो किसी भी निष्पक्ष व्यक्ति को
पसन्द आ जाने लायक एक के बाद एक संरक्षण बनाकर पेश करने जैसी
सूख मुझमें है, केवल यह बात दोनों पक्षों को स्वीकृत होनी चाहिए कि
मैं संरक्षण भारत के हितसाधक होंगे। किन्तु मैं तो इससे भी आगे जाना
और लार्ड अर्विन के इस कथन की पुष्टि करना चाहता हूँ—यद्यपि सम-
झौते में संरक्षणों के भारत के हितसाधक होने की ही बात है—कि वे
भारत और इंग्लैण्ड के परस्पर-हितसाधक होने चाहिए। मैं एक भी ऐसे
संरक्षण की कल्पना नहीं कर सकता जो केवल भारत के हित में होगा।
कोई भी ऐसा संरक्षण नहीं है, जो कि साथ ही क्रिटेन का भी हितसाधक
न हो, क्योंकि हम साफेदारी, इच्छित और सर्वथा बराबरी के दर्जे की
साफेदारी की कल्पना करते हैं।

जो कारण मैंने आज सेना पर पूरा अधिकार दिये जाने के लिए पेश
किये हैं, वे ही कारण बाह्य सम्बन्ध पर अधिकार प्राप्त करने के सम्बन्ध
में हैं।

बाह्य सम्बन्धों का वास्तविक अर्थ क्या है, इस सम्बन्ध में मेरी पूरी
जानकारी न होने के कारण और इस सम्बन्ध में गोलमेज़-परिषद् की
इन रिपोर्टों में बताई गई बातों का मुझे ज्ञान न होने से बाहरी मामले
और वैदेशिक सम्बन्ध का क्या अर्थ है, इस विषय का प्रथम पाठ पढ़ाने
के लिए मैंने अपने मित्र श्री आयंगर और सर तेजबहादुर सप्रू से पूछा।
उनके उत्तर मेरे पास मौजूद हैं। उनका कहना है कि इन शब्दों का अर्थ
फ़ौसी राज्यों देशी राज्यों, अन्तर्राष्ट्रीय बातों में दूसरे राष्ट्रों और

इंग्लैण्ड के उपनिवेशों के साथ का सम्बन्ध होता है। यदि बाह्य सम्बन्धों का यही अर्थ हो तो मैं समझता हूँ कि इस बोझ को उठाने और इस सम्बन्ध में अपना कर्तव्यपालन करने मे हम पूरे समर्थ हैं। निश्चय ही हम अपने ही सम्बन्धियों के साथ अपने ही पड़ोसियों और हमारे ही देश-बन्धु भारतीय नरेशों के साथ सुलह की शर्तें तय कर सकेंगे, अपने पड़ोसी अफगानों के साथ और समुद्र-पार जापानियों के साथ प्रगाढ़ मित्रता पैदा कर सकते हैं, और निश्चय ही उपनिवेश के साथ भी संधि कर सकते हैं। यदि उपनिवेश अपने यहां हमारे देशवासियों को पूर्ण आत्म-सम्मान के साथ न रहने देंगे तो हम उनसे निपट लेंगे।

सम्भव है कि मैं अपनी मूर्खता के कारण ऐसा कह रहा हूँ; किन्तु आप लोगों को समझ लेना चाहिए कि महासभा मे मेरे जैसे हजारों और लाखों मूर्ख पुरुष और स्त्रियां हैं; और मैं उन्हींकी ओर से आदर-पूर्वक यह दावा पेश करता हूँ और फिर कह देना चाहता हूँ कि जिन सरक्षणों की कल्पना की है, उन्हें स्वीकार कर हम अपने वचनों का अक्षरशः पालन करेंगे।

पण्डित मदनमोहन मालवीय ने सरक्षणों की रूपरेखा बता दी है। मैं उनके कथन के अधिकांश से सर्वथा सहमत हूँ; किन्तु कुछ यही एक-मात्र संरक्षण नहीं हैं। यदि अंग्रेज और भारतवासी मिलकर विचार करेंगे और मन मे त्रिना किसी प्रकार का पाप खें एक ही दिशा मे प्रयाण करेंगे तो मैं पूर्ण विश्वास के साथ कहता हूँ कि कदाचित् हम ऐसे सरक्षण तैयार कर सकेंगे, जो कि भारत और इंग्लैण्ड दोनों के लिए समानतः सम्मानपूर्ण होंगे, और जो प्रत्येक अग्रेज के प्राणों की और भारत द्वारा स्वीकृत उनके प्रत्येक हितों की सुरक्षा के लिए संरक्षण-रूप होंगे। लार्ड चान्सलर महोदय, इससे अधिक आगे मे जा नहीं सकता। इस सभा का समय लेने के लिए मैं सहस्र बार क्षमा मांगता हूँ; किन्तु दिन-प्रति-दिन यहां बैठने और इन चर्चाओं का सफल परिणाम किस प्रकार निकल सके, इसपर अहोरात्रि चिन्तन करते हुए मेरे हृदय में जो

भाव उठ रहा है, उसकी आप कल्पना कर सकते हैं। जो भावना मुझे प्रेरित कर रही है वह आप समझ सकते हैं। मेरी यह भावना अंग्रेजों के प्रति पूर्णतः सद्भाव की और अपने देशवासियों के प्रति पूर्णतः सेवाभाव की है।

: ८ :

व्यापारिक भेदभाव

लार्ड चान्सलर महाशय और भित्रो, श्री ब्रैंथोल ने जो अत्यन्त सौम्य वक्तव्य दिया है, उसके लिए मैं उनका अभिनन्दन करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि यदि इस सुन्दर वक्तव्य में उन्होंने दो भावनाओं का समावेश कर उसे न बिगाड़ने के लिए कोई तरीका निकाला होता तो अच्छा होता। उनकी प्रदर्शित एक भावना का अर्थ यह है कि यूरोपियन अथवा अंग्रेज जो मांग करते हैं, उसका कारण यह है कि उन्होंने भारत को कई लाभ पहुँचाये हैं। मैं चाहता हूँ कि यदि वे इस राय को टाल सके होते तो अच्छा होता। किन्तु उसके प्रकट हो चुकने के बाद उसपर सर पुरुषोत्तमदास ठाकुरदास ने उसका जो शिष्टतापूर्ण प्रत्युत्तर दिया और जैसा कि हमने सुना, अब सर फिरोज़ा सेठाने ने जिस प्रत्युत्तर का समर्थन किया, लार्ड रीडिंग ने जो आश्वर्य प्रकट किया है, उसकी जरा भी आवश्यकता न थी। मैं यह भी चाहता हूँ कि जिस बड़ी संस्था के वे प्रतिनिधि हैं, उसकी ओर से उन्होंने उक्त वक्तव्य में जो धमकी दी है, उसे भी यदि वे टाल गये होते तो अच्छा होता। उन्होंने कहा कि अंग्रेज भारत की राष्ट्रीय मागों का समर्थन इसी शर्त पर करेगे कि भारतीय राष्ट्रवादी उनकी बताई हुई अंग्रेजों की मांगों को स्वीकार करलें। कुछ ही दिन पहले हम इनकी ओर से की गई पृथक् निर्वाचिक-मंडल की मांग सुन चुके हैं, उसमें प्रकट होने वाली पृथकता की मनोवृत्ति, और

पृथक होना चाहने वालों के जिस समूह के विषय में मुझे उस दिन जो दुःखपूर्वक बोलना पड़ा था, उसमें सम्मिलित हो जाने की अप्रेज़ों की इच्छा भी इसमें शामिल है। पिछली परिषद में स्वीकृत प्रस्ताव के अध्ययन का मैं प्रयत्न किया है। यद्यपि आप उससे परिवर्ति हैं, फिर भी मैं उसे पुनः पढ़ देता चाहता हूँ, क्योंकि उसके संबंध में मुझे कुछ बातें कहनी होंगी। प्रस्ताव यह है—“अप्रेज़ व्यापारी-वर्ग के कहने से सबने यह सिद्धात समान्यतः स्वीकार किया है कि भारत में व्यापार करने वाले अप्रेज़ी व्यापारीवर्ग, फर्म्स और कम्पनियों के अधिकार और भारत में पैदा हुए प्रजाजन के अधिकार में कोई भेदभाव न होना चाहिए।”

प्रस्ताव के शेष भाग के पढ़ने की मुझे कुछ आवश्यकता नहीं। सर तेजवहादुर सपू और श्री जयकर के प्रति अत्यन्त आदरभाव रखते हुए भी मुझे अत्यन्य दुःख के साथ इस अमर्यादित प्रस्ताव के साथ मतभेद प्रदर्शित करना पड़ता है। इसलिए कल, जब सर तेजवहादुर सपू ने तुरन्त ही यह बात स्वीकार करली कि यह प्रस्ताव सन्दिग्ध है और उसमें मुधार की गुजायश है तो मुझे प्रसन्नता हुई। यदि आप इस प्रस्ताव का ध्यानपूर्वक अध्ययन करेंगे तो आपको प्रतीत होगा कि उसका रूप कितना व्यापक है! भारत में व्यापार करने वाले अप्रेज़-व्यापारीवर्ग, फर्म्स और कम्पनियों के अधिकार और भारत में पैदा हुए प्रजाजन के अधिकार में कोई भेदभाव न होगा। यदि मैं इसको ठीक समझा हूँ तो यह एक भयानक घस्तु है और कम-से-कम मैं तो इस तरह के प्रस्ताव से, भारत की भावी सरकार की तो बात ही क्या, महासभा तक को नहीं बांध सकता।

इसमें किसी तरह की भो योग्यता अथवा र्यादा का नामोनिशाम भी नहीं है। अप्रेज़-व्यापारीवर्ग के बिलकुल वही अधिकार कायम रहेंगे, जो कि भारत में पैदा हुए प्रजाजन के होंगे; इसलिए मानी जातीय भेदभाव, अथवा वैसी कोई बात ही न होगी, इस सम्बन्ध में

अंग्रेज व्यापारोंवर्ग भारतीय प्रजाजन के समान ही पूरे अधिकार भोगेंगे। मैं अपने पूरे बल के साथ कहता चाहता हूँ कि मैं तो इस सूत्र तक को सम्मति न दूँगा कि भारत में उत्पन्न सभी प्रजाजनों के अधिकार अविचल अथवा समान होंगे। इसका कारण मैं आपको अभी बताता हूँ।

मैं समझता हूँ, आप इस बात को तुरन्त स्वीकार कर लेगे कि मौजूदा सरकार ने जिन बातों की ओर दुर्लभ्य किया है, स्थिति में समानता लाने के लिए, भारत की भावी सरकार को उनके प्रति सतत् ध्यान रखना ही पड़ेगा; अर्थात्, जिन लोगों को प्रकृति अथवा स्वय सरकार की कृपा से धन-वैभव अथवा अन्य साधन-मुविधाएँ मिली हुई हैं, उनके मुकाबले में उसे भूखे मरने भारतीयों के प्रति मद्देय पक्षपात करना होगा। कदाचित् भावी सरकार को अपने मजदूरों को मुफ्त म देने के लिए मकान बनवा देना आवश्यक प्रतीत हो, उस समय सम्भव है भारत के धनिक लोग यह कहें कि 'यद्यपि हमें इस प्रकार के घरों की आवश्यकता नहीं है फिर भी यदि सरकार अपने मजदूरों के लिए घर बनवाती है तो हमें भी सहायता व साधन दे।' लेकिन सरकार के लिए ऐसा कर सकना सम्भव नहीं। उस अवस्था में वह अवश्य ही मजदूरों के लिए पक्षपात करेगी। उस समय उक्त प्रस्ताव में निर्धारित सूत्र के अनुसार धनिक लोग कहेंगे कि उनके विमुद्ध भेदभाव किया गया है।

इसलिए मैं साहसपूर्वक सूचित करता हूँ कि जब कि हम इस परिषद् में, जिस हद तक सम्राट् की सरकार भारत के भावी विधान की रचना में हमारी सहायता स्वीकार करती है, उस हद तक सहायता पहुँचाने का प्रयत्न कर रहे हैं, इस अमर्यादित सूत्र का स्वीकार किया जा सकना सम्भव हो नहीं सकता।

किन्तु यह कहने के बाद मैं अंग्रेज-व्यापारियों और यूरोपियन फ़स्ट्स की इस उचित मांग से सर्वथा सहमत हूँ कि उनके साथ किसी प्रकार

का जातीय पक्षपात न होना चाहिए। मैं, जिसे कि दक्षिण अफ्रीका की महान सरकार के साथ, उसके रम्भेद और भारतीयों के प्रति भेदभाव-मूलक कानून के विरोध में २० वर्ष तक लड़ना पड़ा था, भारत में अभी मौजूद अथवा भविष्य में आना चाहने वाले अंग्रेज-मित्रों के साथ उसी प्रकार के भेदभाव किये जाने की बात का कभी समर्थन नहीं कर सकता। मैं यह बात महासभा की ओर से भी कह रहा हूँ। महासभा का भी यही मत है।

इसनिंग उक्त सूत्र के बजाय, मैं कुछ ऐसा सूत्र सुझाता हूँ, जिसके लिए कि मुझे वर्षों तक जनरल स्मट्स के साथ लड़ने का सुख और सद्भाग्य प्राप्त हुआ था। उसमें परिवर्तन हो सकता है; किन्तु मैं तो उसे केवल इस ममिति के और विशेषतः अंग्रेज-मित्रों के विचार के लिए यहाँ पेश करता हूँ। वह इस प्रकार है—“स्वराज्य में भारत में उत्पन्न किसी भी नागरिक पर जो प्रतिबन्ध न लगाया गया होगा, वैसा कोई भी प्रतिबन्ध भारत में कानून के अनुसार रहने वाले अथवा प्रवेश करने वाले किसी भी व्यक्ति पर केवल—मैं ‘केवल’ शब्द पर जोर देता हूँ—जाति, रंग अथवा धर्म के कारण न लगाया जायगा।”

मैं समझता हूँ कि यह सबके लिए संतोषप्रद सूत्र है। कोई भी सरकार उसमें आगे जा नहीं सकती। मैं इस सूत्र के गर्भित अर्थ पर संक्षेप में अपने विचार प्रकट करना चाहता हूँ और मुझे खेद है कि गत वर्ष के सूत्र ने लार्ड रीडिंग ने जो अर्थ निकाला था, अथवा निकालना चाहा था, उससे यह गर्भित अर्थ भिन्न है। इस सूत्र में एक भी अंग्रेज तो क्या यूरोप के किसी भी निवासी के साथ, उसके अंग्रेज अथवा यूरोपियन होने के कारण कोई भेदभाव न होगा। मैं यहाँ अंग्रेज अथवा अन्य यूरोपियन अधवा अमेरिकन या जापानी के बीच कोई भेदभाव नहीं करता। त्रिटिश उपनिवेशों ने रंग और जाति-भेद के निश्चित आधार पर प्रतिबन्धक कानून बनाकर मेरी नन्ह-सम्मति में अपनी कानून की पुस्तक को जिस प्रकार दूषित किया है, मैं उसका अनुकरण न करूँगा।

मुझे यह विचार प्रिय है कि स्वतन्त्र भारत समस्त सासार को एक दूसरी ही तरह का पाठ पढ़ावेगा, एक दूसरे ही प्रकार का उदाहरण उसके सामने रखेगा। मैं यह कभी न चाहूँगा कि भारत सर्वथा एकाकी जीवन व्यतीत करे और इस प्रकार अपने चारों ओर गड़-कोट खड़े करके अपनी सीमा में किसी को प्रवेश अथवा व्यापार ही न करने दे। किन्तु इतना कहने के बाद जैसा कि मैं पहले कह चुका हूँ, 'स्थिति मे समानता लाने के लिए' की जाने योग्य कई बातें मेरे मन मे हैं। मुझे भय है कि पूजीपतियों, जमीदारों, ऊंची कही जाने वाली जातियों और ग्रन्त में वैज्ञानिक विद्वि से अंग्रेज-शासकों ने दीन, दलित पतियों को जिस कीचड़ मे फसा दिया है, उससे उन्हे निकालने के लिए भारत को आगामी अनेक वर्षों तक कानून बनाने मे सलग्न रहना पड़ेगा। यदि हमे इन लोगों को कीचड़ मे से निकालना हो तो अपना पर व्यवस्थित करने के लिए, इन लोगों का विचार पहले करना तथा जिस बोझ के नीचे वे कुचले जा रहे हैं, उससे उन्हे छुड़ाना भी राष्ट्रीय सरकार का कर्तव्य होगा। जो जमीदार, धनिक अथवा विशेष प्रधिकार-भोगी लोग—चाहे ने अंग्रेज हो या भारतीय—यदि यह देखे कि उनके साथ भेदभावपूर्ण वरताव होता है, तो मैं उनके प्रति सहानुभूति अवश्य प्रकट करूँगा, किन्तु मुझमे महायता हो सकती होगी तो भी, मैं सहायता न करूँगा, क्योंकि मैं तो इस क्रिया मे उनकी सहायता चाहूँगा और विना उनकी सहायता के इन लोगों को कीचड़ मे से बाहर न निकाल चकूगा।

यदि आप चाहे तो अन्त्यजों की दशा पर नजार डालिए और देखिए कि यदि कानून उनका सहायक बनकर उनके लिए कई कोसों का प्रदेश अलग कर दे तो उनकी क्या स्थिति हो जाती है? आज उनके पास जरा भी जमीन नहीं है। आज वे उच्च जाति के कहे जाने वाले लोगों की दया पर, और मुझे कहने दीजिए कि सरकार की दया पर, जीवित हैं। वे आज एक जगह से दूसरी जगह खदेढ़े जा सकते हैं; किन्तु इसकी न तो वे शिकायत कर सकते हैं, न कानून की सहायता प्राप्त कर सकते

है। इसलिए व्यवस्थापिका-सभा का पहला काम यह देखना होगा कि वह किस हद तक इनकी स्थिति समान करने के लिए, इन लोगों को शुक्त-हस्त से सहायतार्थ रकम दे।

सहायता की ये रकमें किनकी जेबों में से आयंगी? ईश्वर की जेबों में से नहीं। सरकार के लिए ईश्वर आकाश से रूपयों की वर्षा न करेगा। स्वभावतः यह रकम धनिक लोगों के पास से ही आयगी, जिनमें अंग्रेज भी शामिल हैं। क्या वे कहेंगे कि यह भेदभाव है? वे देख सकेंगे कि उनके साथ का यह भेदभाव उनके यूरोपियन होने के कारण नहीं है, बल्कि इसलिए है कि इनके पास पैसा है, और दूसरे के पास पैसा नहीं है। इसलिए यह धनिकों और गरीबों की लड़ाई होगी; और यदि इसी बात की अवशंका हो और यदि ये सब वर्ग करोड़ों मूँक प्राणियों के सिर पर बन्दूक तान कर कहें कि जबतक तुम हमारी मिल्कियत और हमारे अधिकार की अक्षुण्णता का निश्चित वचन नहीं दे देते, तबतक तुम्हें स्वराज्य न मिलेगा तो मुझे भय है कि राष्ट्रीय सरकार का जन्म ही न हो सकेगा।

मैं समझता हूँ कि महासभा का ध्येय और मैंने जो सूत्र बताया है उसका गर्भित अर्थ क्या है, इसका मैंने काफी परिचय करा दिया है। वे यह बात कभी न पावेंगे कि क्योंकि वे अंग्रेज, यूरोपियन, जापानी अथवा किसी अन्य जाति के हैं, इसलिए उनके साथ भेदभाव किया जाता है। जिन कारणों से उनके साथ भेदभाव किया जायगा, वे ही कारण भारत में उत्पन्न प्रजाजनों के साथ भी लागू होंगे।

मेरे पास जल्दी में तैयार किया हुआ और एक सूत्र है; इसलिए कि मैंने यहीं पर लार्ड रीडिंग और सर तेजबहादुर सप्रू का भाषण सुनते-सुनते ही तैयार किया है।

यह दूसरा सूत्र जो मेरे पास है, वह वर्तमान अधिकारों के सम्बन्ध में है—

“किसी भी न्यायार्जित अधिकार में, जो आमतौर पर राष्ट्र के

सर्वोच्च हितों के विरुद्ध न होगा, ऐसे अधिकारों पर लागू होने वाले कानून के सिवा और किसी तरह हस्तक्षेप न किया जायगा।”

आज अंग्रेजी सरकार के सिर पर कर्ज देना है। उसके आगामी सरकार के अपने सिर पर लेने-सम्बन्धी महासभा के प्रस्ताव में जो बात आप देखते हैं, निश्चय ही वह मेरे मन मे भी है। जिस प्रकार हमारी यह मांग है कि इस कर्ज को अपने सिर पर लेने के पूर्व निष्पक्ष न्याय-मण्डल द्वारा उसकी जांच होनी चाहिए, उसी तरह आवश्यकता होने पर वर्नमान अधिकारों की नियमानुसार जांच किये जाने की भी छट्टी होनी चाहिए। इसलिए प्रश्न कर्ज से इनकारी का नहीं है, वरन् उसकी जांच हो जाने के बाद स्वीकार करने का ही है। यहां हममे कुछ लोग ऐसे हैं, जिन्होंने यूरोपियन लोगों का, जो विशेषाधिकार तथा एकाधिकार भोग रहे हैं, अध्ययन किया है। किन्तु अकेले यूरोपियनों की बात नहीं है। भारतीयों में भी ऐसे लोग हैं—मेरे ध्यान मे निश्चय ही अनेक ऐसे भारतीय हैं—जो आज जिस भूमि पर कब्जा किये हुए हैं, वह उन्होंने प्रजा की किसी सेवा के बदले मे नहीं पाई है; मैं यह भी नहीं कह सकता। कि सरकार की सेवा के एवज मे वह उन्हे मिली है, क्योंकि मैं यह नहीं मानता कि उससे सरकार को कब लाभ पहुंचा है वरन् वह उन्हे दी रई है किसी अधिकारी की सेवा के बदले मे। और यदि आप मुझे कहें कि सरकार इन रिआयतों और विशेषाधिकारों की जांच न करेगी तो मैं आपसे फिर कहूँगा कि अकिञ्चनों की ओर से, दलितों की ओर से शासनतन्त्र चलाना असम्भव हो जायगा। इसलिए आप देखेगे कि इससे यूरोपियनों के सम्बन्ध मे कुछ भी नहीं कहा गया है। दूसरा सूत्र भी यूरोपियनों पर उतना ही लागू होता है, जितना भारतीयों पर; या थों कहिए जितना सर पुरुषोत्तमदास ठाकुरदास और सर फिरोज़ सेठना पर लागू होता है। यदि इन्होंने सरकारी अधिकारियों की सेवा करके कुछ लाभ उठाया होगा, मीलों अथवा कोसों जमीन प्राप्त की होगी तो यदि शासन की लगाम मेरे हाथ में होगी तो मैं तुरन्त ही वह उनके पास से

छड़ा लूंगा। वे भारतीय हैं, इसलिए मे उन्हे छोड़ न दूंगा; और उन्हीं ही तत्परता से मैं सर ह्यूवर्ट कार अथवा श्री ब्रेथोल के पास से भी धरवा लूंगा, फिर चाहे वे कितने ही प्रशंसायोग्य क्यों न हों और मेरे प्रति कितना ही मित्र-भाव न रखते हों। यह विश्वास मैं आपको दिला देना चाहता हूँ कि कानून किसी व्यक्ति के प्रति पक्षपात न करेगा। यह विश्वास दिलाने के बाद, इससे आगे मैं जा नहीं सकता। इसलिए 'न्यायाजित' शब्द का वास्तविक गर्भित अर्थ यह है कि प्रत्येक अधिकार अथवा हित निष्कलक और सीजर की स्त्री के समान सन्देह से परे होना चाहिए, और इससे जब ये सारी बातें सरकार की नजर मे आवें सो हम इनकी जांच की अपेक्षा रखेंगे।

इसके बाद 'राष्ट्र के सर्वोच्च हितों के विरुद्ध न हो' ये शब्द आते हैं। विचार मे कोई एकाधिकार ऐसे हैं जो निस्सन्देह न्यायतः प्राप्त हैं; पर राष्ट्र के सर्वोच्च हितों को हानि पहुंचा कर पैदा किये गये हैं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, इसमे आपको कुछ मनोरजन होगा, किन्तु उसके सम्बन्ध मे कुछ पक्षापक्षी के लिए अवकाश नहीं। इस नयी दिल्ली नामधारी सफेद हाथी को लीजिए। उसपर करोड़ों रुपये खर्च हुए हैं। मान लीजिए कि भावी सरकार इस निर्णय पर आवे कि यह सारेद हाथी अपने पास है, इसलिए इसका कुछ उपयोग होना चाहिए, कल्पना कीजिए कि पुरानी दिल्ली मे प्लेग अथवा हैजा फैला है और हमे गरीबों के लिए अस्पतालों की ज़रूरत है। इस स्थिति में हम क्या करें? क्या आप समझते हैं कि राष्ट्रीय सरकार अस्पताल या ऐसी चीज़ बनवा सकेगी? नहीं, ऐसी कोई बात न होगी। हम इन इमारतों पर अधिकार करेंगे, उन प्लेग-ग्रस्त रोगियों को उनमे रखेंगे, और उनका अस्पताल की तरह उपयोग करेंगे, क्योंकि मेरे मन से ये इमारते राष्ट्र के सर्वोच्च हितों के विरुद्ध हैं। वे भारतवर्ष के करोड़ों लोगों की स्थिति को प्रकट नहीं करती। वे तो इस मेज़ के पास बैठे हुए धनिक लोगों की शोभा बेने जैसी हो सकती हैं—भोपाल के नवाब साहब अथवा सर पुरुषोत्तमदास

ठाकुरदास, सर फ़िरोज़ा सेठना अथवा सर तेजबहादुर सप्रू के योग्य हो सकती हैं; किन्तु जिन लोगों के पास रात को सोने के लिए स्थान नहीं और खाने के लिए रोटी का टुकड़ा नहीं, उनकी दशा के साथ इनका जरा भी मेल नहीं हो सकता। यदि राष्ट्रीय सरकार इस निर्णय पर पहुंचै कि वह जगह अनावश्यक है तो इस बात की कुछ परवाह नहीं कि उसपर कितने ही अधिकार क्यों न हों, वे सब रद किये जाकर ये इमारतें ले ली जायगी और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि वे बिना किसी मुआवजे के ले ली जायगी, क्योंकि यदि आप इस सरकार से मुआवजा दिलाना चाहेंगे तो उसका अर्थ होगा माधो को देने के लिए ऊंधो से छीनना। यह एक असम्भव बात होगी।

महासभा जिस सरकार की कलना करती है, वैसी सरकार का अस्तित्व स्थापित होने वाला हो तो आपको यह कठबी गोली निगलनी होगी। इस विश्वास के धोखे में रखकर कि सब बातें सर्वथा ठीक होगी, मैं आपको धोखा नहीं देना चाहता। महासभा की ओर से मैं सारी बाजी आपके सामने रख देना चाहता हूँ। मैं मन में किसी तरह की कुछ बात छिपा कर नहीं रखना चाहता और इसके बाद यदि महासभा का दावा आपको स्वीकृत हो तो मुझे अत्यन्त आनन्द होगा, किन्तु यदि आपको वह स्वीकृत न हो, यदि आज मुझे ऐसा प्रतीत हो कि मैं आपके हृदय को स्पृशं कर अपनी बात आपसे नहीं मनवा सकता, तो जबतक आप सबका हृदय-परिवर्तन नहीं हो जाता और आप भारत के करोड़ों लोगों को यह अनुभव करने का मीका नहीं देते कि अन्त में उन्हें राष्ट्रीय सरकार मिल गई, तबतक महासभा को भटकते रहना और आपके मत-परिवर्तन का प्रयत्न करते रहना होगा।

प्रस्ताव की इन पक्षियों पर अभी तक किसी ने एक भी शब्द नहीं कहा है—

“यह स्वीकार किया गया कि भारत में यूरोपियन जातियों को फौजदारी मामलों में जो अधिकार हैं, वे क्रायम रहने चाहिए।

मुझे यह स्वीकार करना चाहिए कि इसके सब गमित अर्थों का मैं अव्ययन नहीं कर सका हूँ। मुझे यह कह सकने के लिए खुशी है कि कुछ दिनों से सर ह्यूबर्ट कार, श्री ब्रेन्थोल और कई मित्रों के साथ मैं मित्रापूरण और सानगी बातचीत चला रहा हूँ। उनके साथ इसी विषय की चर्चा कर रहा था और मैंने उनसे पूछा कि इन दोनों बातों का क्या अर्थ है? और उन्होंने कहा कि दूसरी जातियों के लिए भी यही बात है। मैं उनसे इस बात का निश्चय न कर सका कि दूसरी जाति के लिए भी वही बात होने का क्या अर्थ है। मेरा स्वयाल है, इसका यह अर्थ है कि दूसरी जातियां भी अपनी ही जाति की जूरी या पंच होने की मांग कर सकती हैं। इसका सम्बन्ध जूरी के ज़रिये होने वाले मुकद्दमों में है। मुझे भय है कि मैं इस सूत्र का समर्थन नहीं कर सकता।

मैं ऐसे अपवादों का समर्थन कर नहीं सकता—उनका साथ नहीं दे सकता। मेरा स्वयाल है कि राष्ट्रीय सरकार को ऐसे प्रतिबन्धों से जकड़ रखना सम्भव नहीं है। आज भावी भारतीय राष्ट्र का अंग बनने वाली सब जातियों को सद्भाव से श्रीगणेश करना चाहिए; परस्पर-विश्वास से आरम्भ करना चाहिए, अन्यथा आरम्भ ही न करना चाहिए। यदि हमसे कहा जाय कि हमें उत्तरदायी शासन सम्भवतः मिल ही नहीं सकता तो वह स्थिति समझ में आ सकती है। किन्तु हमसे कहा जाता है कि ये सब सरकार, ये सब अपवाद कायम रहने ही चाहिएं तो वह स्वतन्त्रता और उत्तरदायी शासन न होगा, वह तो केवल संरक्षण होगे। सरकार सारी सरकार को खा जायेंगे। यदि ये सब संरक्षण दिये जाने वाले हों और यहां की सब बातें मूर्त्त अथवा व्यावहारिक रूप बारण करने वाली हों, और हमसे कहा जाय कि तुम्हें उत्तरदायी शासन मिलने वाला है; तो वह सर्वथा बैसा ही उत्तरदायी शासन होगा, जैसा कि जेल में कैदियों का होता है। जेल की कोठरियों में ताला लगाने और बेलर के रवाना होते ही कैदियों का पूर्ण स्वराज्य हो जाता है। २१ वर्ग फुट अथवा ७ फुट लम्बी ३ फुट चौड़ी इस कोठरी के अन्दर

केंद्रियों का पूरा स्वराज्य होता है, जिसमें जेलर अपने-अपने अधिकार के संरक्षणों को लिये हुए आराम से बैठे हों।

इसलिए अपने अंग्रेज मित्रों से मैं प्रार्थना करता हूँ कि उन्हें अपने अधिकारों से संरक्षण की मांग का यह विचार वापस ले लेना चाहिए। मैं यह सूचित करने का साहस करता हूँ कि मैंने जो दो सूत्र पेश किये हैं, वे स्वीकार कर लिये जायं। इन्हें आप जिस तरह चाहें काट-छांट कर ठीक कर सकते हैं। यदि इनकी शब्द-योजना सन्तोषजनक न हो तो खुशी से दूसरे शब्द सुझाइए। किन्तु मैं साहस के साथ कहता हूँ कि इन निषेधात्मक सूत्रों से बाहर, जिनमें कि आपके विश्व कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाया गया है, आपको नहीं जाना चाहिए—क्या मैं कहूँ कि आप इसमें अधिक मांगने का साहस नहीं कर सकते? इतना तो हुआ वर्तमान अधिकारों और भावी व्यापार के सम्बन्ध में।

श्री जयकर कल मुख्य उद्योगों के सम्बन्ध में बातचीत कर रहे थे और उसमें उन्होंने जो विचार प्रकट किये हैं मैं उनसे अपनी पूरी सहमति प्रकट करना चाहता हूँ। महासभा की धारणा यह है कि मुख्य उद्योगों को सरकार स्वयं अधिकार में न ले, तो कम-से-कम उनके संचालन, व्यवहार और विकास में तो सरकार को आवाज का प्राप्तान्य होना ही चाहिए।

हिन्दुस्तान जैसे गरीब और पिछड़े हुए देश की इंग्लैण्ड जैसे अत्यधिक आगे बढ़े हुए उद्योग-प्रधान द्वीप से तुलना नहीं की जा सकती। मेरे विचार में आज जो बात ग्रेट ब्रिटेन के लिए हितकारी है, वही भारत के लिए विषरूप है। भारत को अपना ही अर्थशास्त्र, अपनी ही राजनीति, अपनी ही उद्योगपद्धति और अन्य सब अपना ही विकसित करना है। इसलिए मुख्य उद्योगों के सम्बन्ध में मुझे भय है कि अकेले इंग्लैण्ड को ही नहीं, अन्य देशों को यह प्रतीत होगा कि उनके साथ न्याय नहीं हो रहा है। किन्तु एक सरकार के स्त्रियालय 'न्याय' का क्या अर्थ है, यह मैं नहीं जानता।

तटवर्ती व्यापार के लिए भी महासभा को उसे पूर्णरूप से विकसित करने के प्रति पूरी-पूरी सहानुभूति तो है ही; किन्तु यदि तटवर्ती व्यापार-सम्बन्धी बिल अर्थात् मसविदे में यूरोपियन होने के कारण उनके साथ कुछ भेदभाव किया गया होगा तो मैं यूरोपियनों से मिल जाऊगा और उस मसविदे का, अथवा अग्रेजों के साथ अंग्रेज होने के कारण किये गये भेदभाव के प्रस्ताव का विरोध करूँगा। किन्तु अग्रेजों ने तो भारत में अत्यन्त विशाल स्वार्थ जमा रखे हैं। बगाल में मैंने नदी के मार्ग से बाफी गफर किया है और वर्षों पहले एरावती का प्रवास भी किया है। इसलिए इस व्यापार के सम्बन्ध में मैं कुछ जानता हूँ। इन जबर्दस्त अग्रेजी मण्डलों ने रिआयतों, विशेषाधिकारों और सरकार की कृपा द्वारा जो कम्पनिया खड़ी करली हैं और जो व्यापार जमा लिया है, उसका कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता।

चिट्ठाव और रगून के बीच एक नई स्थापित देशी कम्पनी के सम्बन्ध में आपमे से कुछ ने सुना होगा। इस कम्पनी के मुसलमान मालिक बड़ी मुश्किल से इसे चला रहे हैं। रगून में वे मुझे मिले और पूछने लग कि मुझसे कुछ हो सकता है या नहीं? इनके लिए मेरे हृदय में पूरा-पूरा सद्भाव तो उत्पन्न हुआ; किन्तु कुछ किया नहीं जा सकता था। क्या हो सकता था? उनके मुकाबले में जबर्दस्त ब्रिटिश इण्डिया नेवीगेशन कम्पनी खड़ी है। उसने इस उगती हुई कम्पनी को दबाने के लिए भाव में विलकुल कमी करदी है, और लगभग कुछ भी किराया लिये बिना मुसाफिरों को ले जाती है। मैं इस प्रकार के एक-के-बाद-एक अनेक उदाहरण दे सकता हूँ। इसलिए यह प्रश्न ही नहीं कि यह अग्रेजी कम्पनी होती तो वह भी ऐसा ही करती। मान लीजिए कि कोई हिन्दुस्तानी कम्पनी पूजी ले जाती हो—जिस प्रकार आज ऐसे भारतीय मौजूद हैं, जो अपनी पूजी को भारत में लगाने की अपेक्षा अपना द्वय भारत से बाहर लगाते हैं, मान लीजिए कि राष्ट्रीय सरकार सही नीति

यर नहीं चल रही है, इस भय से भारतीयों का कोई विशाल मण्डल अपना सब मुनाफा ले जाकर अपनी रकम को मुरक्खित रखने के लिए उसे किसी दूसरे देश मे लगाता है। मेरे साथ इससे एक कदम और आगे बढ़कर मान लीजिए कि ये हिन्दुस्तानी मालिक अतिशय वैज्ञानिक सम्पूर्ण और वृत्तिरहित सगठन करने के लिए यूरोपियनों के समान जितना सम्भव हो सके, कौशल का उपयोग करे और इन अमहाय कम्पनियों को अस्तित्व मे ही न आने दे, तो मैं अवश्य अपनी आवाज उठाऊगा और चिटगाव जैसी कम्पनी के सरक्षण के लिए कानून बनाऊगा।

कुछ मित्र ऐरावती मे अपने जहाज तक न चला सकते थे। उन्होंने मुझे इस बात का निश्चय कराने के लिए गुनिदिच्चत प्रमाण दिये कि यह बात सर्वथा अशक्य हो पड़ी थी। उन्हे परवाने (नाइमेन्स) मिल नहो सकते थे और मनुष्य जो साधारण सुविधाएं पाने का अधिकारी है, वे तक न मिल पानी थी। हममे मैं प्रत्येक जानता है कि पैसा क्या खरीद सकता है, सम्मान एवं प्रतिष्ठा क्या खरीद सकती है और जब ऐसी प्रतीष्ठा कायम हो जाय जो कि सब नन्हे पौधों को मार डालती है तो ६२ वर्ष पूर्व कहे हुए सर जान गोस्ट के शब्दों मे, “ऊचे वृक्ष मात्र को उडा देना पड़ता है। ऊचे-ऊचे वृक्षों को इन नन्हे पौधों को नहीं कुचल डालने देना चाहिए।” तट अथवा किनारे के व्यापार के सम्बन्ध में यही वास्तविक माग है। सम्भव है, इस सम्बन्धी मसविदे (विल) की भाषा अटपटी हो। इसकी चिन्ता नहीं, किन्तु मरा ख्याल है कि इसका सार-तत्व सर्वथा सही है।

नागरिक की व्याख्या करना अत्यन्त कठिन काम है। आज मैं महासभा की मनोदशा को जैसी समझता हू, उसे देखते हुए महासभा क्या उचित समझेगी अयवा मुझे क्या उचित प्रतीत होगा, यह मैं आज इसी क्षण कहने की जिम्मेदारी अपने सिर पर नहीं ले सकता। महासभा ऐसी है, जिसमे सर तेजबहादुर सप्रूत्या अन्य मिश्रो के साथ

बातचीत करना और उनके मन के विचार जानना चाहूँगा; क्योंकि मुझे यह स्वीकार करना चाहिए कि इस चर्चा अर्थात् वादविवाद से मैं मैं इस बात की तह तक पहुँच नहीं सका हूँ। मैंने महासभा की स्थिति को सर्वथा स्पष्ट कर दिया है कि हमें जातीय भेदभाव की ज़रा भी आवश्यकता नहीं है। किन्तु इस स्थिति को स्पष्ट कर देने के बाद 'नागरिक' शब्द की व्याख्या के विषय में महासभा के मत का तात्कालिक निर्णय करना शोग नहीं रह जाता। इसलिए 'नागरिक' शब्द के सम्बन्ध में मैं इनना ही कहूँगा कि अभी तुरन्त तो इस व्याख्या के सम्बन्ध में मैं अपना मत स्थगित रखता हूँ।

इनना कहाँ के बाद यह बात कहकर मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ कि यूरोपियन मित्रों को सन्तोष करा सकने जैसा सर्व-सम्मत सूत्र खोज निकालने के सम्बन्ध में मैं निराश नहीं हुआ हूँ। मैं समझता हूँ, जिस बातचीत में भाग लेने का मुझे सौभाग्य मिला था, वह अब भी जारी रहने वाली है। मेरी उपस्थिति की आवश्यकता होगी तो इस छोटी समिति की बैठक में भी अब भी हाजिर रहूँगा। इसे बढ़ाकर इसका खानगीपन कम करने और इसका सर्व-सम्मत आधार खोज निकालने का ही विचार है।

मैं फिर कहता हूँ कि जहाँ तक मैं समझ सका हूँ, मैं ऐसी कोई तफमीलवार योजना का विचार नहीं कर सकता, जो विधान में शामिल की जा सके। विधान में तो इसके जैसा कोई सूत्र ही दाखिल हो सकता है और वही सब अधिकारों का आधार माना जा सकता है।

आगे देखेंगे कि इसमें मरकारी तन्त्र द्वारा कुछ किये जाने की कल्पना नहीं है। सध-न्यायालय और सर्वोच्च-न्यायालय-सम्बन्धी अपनी आधा में प्रकट कर चुका हूँ। मेरे लिए सध-न्यायालय ही सर्वोच्च-न्यायालय है; यही अपील का अन्तिम न्यायालय है, जिसके आगे कोई भी अपील न हो सकेगी; यही मेरी प्रियी कौसिल है और यही स्वतन्त्रता का आधार-स्तम्भ। यह वह अदालत है, जहाँ सब व्यक्ति ज़रा भी

शिकायत होने पर जा सकते हैं। ट्रांसवाल के एक महान कानून-विशेषज्ञ ने (और ट्रांसवाल तथा उसी तरह सारे दक्षिण अफ्रीका ने बहुत बड़े-बड़े कानून-विशेषज्ञ पैदा किये हैं) एक अत्यन्त कठिन मुकदमे के सम्बन्ध में एक बार मुझे कहा था—“यद्यपि इम समय भले ही आशा न हो; किन्तु मैं तुमसे कहता हूँ कि मैंने अपने जीवन में एक बात नज़र के सामने रखी है, अन्यथा मैं वकील ही नहीं हो सकता था। वह बात यह है—कानून हम वकीलों को सिखाता है कि ऐसा कोई भी अन्याय नहीं है, जिसका अदालत में कुछ भी इलाज न मिलता हो और जो न्यायाधीश यह कहें कि कोई इलाज नहीं है तो उन न्यायाधीशों को तुरन्त ही न्यायासन से उतार देना चाहिए।” लाडं चांसलर महाशय, आपके प्रति पूरा सम्मान रखते हुए भी, अपकी ही बात मैं आपसे कहता हूँ।

इसनिए मैं चाहता हूँ कि हमारे यूरोपियन मित्र इस बात का इनमीनान रखें कि जिस प्रकार सभ्राट्-सरकार के सलाहकार मन्त्रियों की कृपा हमें प्राप्त न हो तो हमें खाली हाथों लौटाने की अपेक्षा करते हैं, उस तरह भावी सब-न्यायालय उन्हें खाली हाथ न लौटावेगा। मैं अब भी आगा कर रहा हूँ कि हम अपनी बात उन्हे सुना सकेंगे और उनके हृदय का सद्भाव जागृत कर सकेंगे। तब हम अपनी जेवों में कुछ वास्तविक एवं ठोस बात लेकर जाने की आश कर सकेंगे। परन्तु हम अपनी जेवों में कुछ वास्तविक एवं ठोस वस्तु लेकर जायें अथवा न जायें, मुझे आशा है कि यदि मेरे स्वप्न की-सी अदालत—संघ-न्यायालय—स्थापित हो तो यूरोपियन और अन्य सब—अल्पसङ्ख्यक जातियां—विश्वास रखें कि मुझ जैसा अल्पव्यक्ति कदाचित भले ही उन्हें निराश करे; किन्तु यह अदालत उन्हें कभी निराश न करेगी।*

*भाषण के बाद नीचे लिखी बहस हुई—

सर तेजबहादुर सप्रू—क्या म० गांधी यह सूचित करते हैं कि भावी

: ९ :

अर्थ

श्रीमन्, इस महत्वपूर्ण विषय पर दिये हुए आपके (लार्ड रीडिंग) व्याख्यान को मैंने अत्यन्त ध्यानपूर्वक और सम्मानसहित सुना। इस सम्बन्ध में मैंने पारसाल की सब-विधायक समिति की रिपोर्ट के बे पेरे जो आर्थिक समस्या के ऊपर लिखे गये हैं, पढ़े। मेरे विचार में वे पेरे १८, १९ और २० हैं। मुझको यह राष्ट्र प्रकट करने में अयत्त खेद है कि मैं इन पेरों में बताये गये प्रतिवन्धों से सहमत नहीं हूँ। जबतक कि हम ठीक तौर पर अपने आर्थिक बोझ को नहीं जान पाते, तबतक मेरी स्थिति और मैं समझता हूँ कि हम सबकी स्थिति अति कठिन होगी।

मैं अब और अधिक साफ-साफ़ कहता हूँ कि यदि 'सेना' एक रक्षित विषय समझी जायगी तो मैं एक दृष्टिकोण से विचार करूँगा, राष्ट्रीय सरकार प्रत्येक व्यक्ति के स्वामित्व अथवा मालिकाना अधिकार को जांच करेगी और यदि ऐसा हो तो यह मालिकाना अधिकार किसी खास मियाद के अन्दर मिला होना चाहिए या नहीं? इस अधिकार की जांच के लिए वह कैसा तन्त्र स्थापित करना चाहते हैं, वे कुछ मुश्किलें देना चाहेंगे अथवा राष्ट्रीय सरकार अपने अधिकार बहुसंस्थक के विचार के अनुसार जिस मिल्कियत को अनुचित रूप से प्राप्त की गई समझेगी, उसे खट्ट कर लेगी।

गांधीजी—जहां तक मैं समझता हूँ, यह काम सरकारी तन्त्र द्वारा न होगा, जो कुछ भी होगा खले आम होगा। व्यायतन्त्र द्वारा ही होगा।

सर तेजबहादुर सप्रू—वह व्यायतन्त्र कैसा होगा?

गांधीजी—अभी इस समय तो मैंने किसी भयोदय का विचार नहीं

और यदि 'सेना' हस्तान्तरित विषय समझी जायगी तो मैं दूसरे हष्टिकोण से विचार करूँगा। अपनी राय प्रकट करने में एक भारी कठिनाई यह भी है कि महासभा का यह दृढ़ मत है कि भावी सरकार को जो कर्जा अपने ऊपर लेना पड़ेगा उसकी पक्षपात-रहित जांच-पड़ताल की जाय।

चार पक्षपात-रहित सदस्यों द्वारा तैयार की हुई मेरे पास एक रिपोर्ट है। उनमें से दो तो बम्बई की हाईकोर्ट के पुगने एडवोकेट-जनरल हैं, मेरा अभिप्राय श्री बहादुरजी तथा श्री भूलाभाई देसाई से है। तीसरे विचारक या उस कमेटी के सदस्य प्रोफेसर शाह हैं, जो अखिल भारतीय प्रसिद्ध प्राप्त किये हुए हैं और भारतीय अर्थशास्त्र की बहुत-सी बहुमूल्य पुस्तकों के रचयिता हैं। उस कमेटी के चौथे सदस्य श्री कुमारप्पा है, जिन्होंने यूरोप की उगावियां प्राप्त की हैं और जिनकी अर्थ-विभाग पर दी गई राये पर्याप्त मात्रा में मानी जाती हैं और प्रभावशाली समझी जाती हैं। इन चार महानुभावों ने एक भारी रिपोर्ट पेश की है, जिसमें

किया है। मैं समझता हूँ कि अन्याय के विरुद्ध कोई मर्यादा नहीं है।

सर तेजबहादुर राप्रू—इसलिए आपकी राष्ट्रीय सरकार के अन्तर्गत कोई भी मालिकाना हक् सुरक्षित नहीं है न?

गांधीजी—हमारी राष्ट्रीय सरकार के अन्तर्गत इन सब बातों का निर्णय अदालत करेगी, और यदि इन बातों के तम्बन्ध में कोई अनुचित शंका होगी तो मैं समझता हूँ, प्रत्येक उचित शंका का समाधान किया जा सकना सम्भव है। मुझे यह कहने में जरा भी हिचकिचाहट नहीं है कि सामान्यतः यह स्वीकार कर लिया जाने योग्य है जहां यह शिकायत हो कि अधिकार न्यायपूर्वक प्राप्त किये गये हैं, अदालतों को इन अधिकारों की जांच को छाड़ी होनी चाहिए। मैं आज शासम-सूत्र को हाथ में लेते समय यह नहीं कहूँगा कि एक भी अधिकार अथवा एक भी मालिकी के स्वत्व की जांच न करूँगा।

इन्होंने, जैसा कि मैं कहता हूँ, पक्षपात-रहित जांच के लिए सिफारिश की है। इस रिपोर्ट में यह भी दिखाया गया है कि बहुत-सा कर्जा वास्तव में भारत का नहीं है।

इस सम्बन्ध में मैं अतिसम्मान सहित यह बतला देना चाहता हूँ कि महासभा ने यह कभी नहीं कहा है, जैसा कि उसके विरुद्ध कहा जाता है कि वह राष्ट्रीय कर्जों की एक कौड़ी तक अस्वीकार करती है। महासभा ने जो कुछ कहा है, वह यही है कि कुछ कर्जा, जो भारत का समझा जाता है, भारत पर नहीं मढ़ा जाना चाहिए; परन्तु ब्रिटेन को वह कर्जा लेना चाहिए। इन सब कर्जों की एक विवेचनापूर्ण जांच इस रिपोर्ट में मिल सकती है। उन बातों का पाठ करके इस समिति को थकाना नहीं चाहता। इन दो भागों का जो लोग भलीभांति अध्ययन करना चाहें, वे इस अध्ययन से बहुत लाभ उठा सकते हैं और कदाचित उनको पता लगेगा कि इण्डिया का कुछ भाग भारत के ऊपर नहीं मढ़ा जाना चाहिए। ऐसी स्थिति में मैं समझता हूँ कि यदि प्रत्येक अपनी वास्तविक स्थिति समझे तो एक निश्चित राय देना सम्भव है। परन्तु यहाँ मैं यह बतलाने का साहस करता हूँ कि संघ-विधायक समिति में १८, १६ और २० पैरों में जिन प्रतिबन्धों अथवा सरकारणों की ओर इशारा किया गया है, वे भारत को आगे बढ़ाने में सहायक होने के बजाय प्रत्येक कदम पर उसकी उन्नति के बाधक ही होंगे।

श्रीमन्, आपने कहा था कि भारतीय मन्त्रियों में विश्वास की कमी का प्रश्न मेरे समझुख उपस्थित नहीं है। इसके विपरीत आपको यह आशा थी कि भारतीय मन्त्री दूसरे मन्त्रियों के समान ही भली-भांति कार्य करेंगे; परन्तु भारत की सीमा के बाहर भारत की साख (Credit) से आपका मतलब था। आपका यह भी मतलब था कि यदि बताये हुए संरक्षण नहीं रखे रखे तो वे पूजी लगाने वाले, जो भारत में पूजी लगाते थे और उचित व्याज पर भारत को रुपया देते थे, सन्तुष्ट नहीं होंगे। यदि मुझको ठीक याद है तो आपने यह कहा था कि यदि यहाँ

से भारत में रूपया लगाया गया अथवा रूपना भेजा गया तो यह नहीं समझा चाहिए कि यह रूपया भारत के हित में नहीं लगा है।

यदि मुझको ठीक-ठीक याद है तो आपने इन शब्दों का प्रयोग किया था, “स्पष्ट ही यह (ऋण) भारत का हितकर होगा।” मैं इस सम्बन्ध में किसी वृष्टान्त की प्रतीक्षा कर रहा था; परन्तु नि.मन्देह आपने यह समझ लिया कि हम इन मामलों को या ऐसे उदाहरणों को जानते हैं। जबकि आप भाषण दे रहे थे, तब इस बात के विपरीत कुछ वृष्टान्त मुझे मालूम थे। मैंने अपने मन में वहा कि मेरे अनुभव में ही कुछ वृष्टान्त ऐसे आये हैं, जिनसे मैं यह प्रमाणित कर सकता हूँ कि इन वृष्टान्तों में त्रिटेन और भारत के हित एक-से नहीं थे; दोनों के हित एक-दूसरे से विपरीत थे, और इस कारण हम यह नहीं कह सकते कि त्रिटेन से लिया गया ऋण सर्वदा भारत के लिए हितकारी था।

उदाहरण के तौर पर बहुत से युद्धों को ही ने लीजिए। अफगानिस्तान के युद्धों को ही देखिए। जबकि मैं युवक था, मैंने स्वर्गीय सर जॉन के का लिखा हुआ अफगान-युद्धों का हाल बड़े कौतूहल से पढ़ा था और मेरी स्मृति में यह बात भलीभाति अंकित हो गई है कि इनमें के बहुत से युद्ध भारत के लिए हितकर नहीं थे। इतना ही नहीं, गवर्नर जनरल ने इन युद्धों में प्रमाद से काम किया था। स्व० दादाभाई नौरोजी ने हम नवयुगको को यह सिखाया था कि भारत में अंग्रेजों की अर्थ-नीति का इतिहास जहां रक्त-शोपक नहीं है, वहा कल्पतापूर्ण और प्रमाद से भरा हुआ है।

लार्ड चान्सलर ने यह चेतावनी दी थी और इस चेतावनी पर आपने भी जोर दिया था कि वर्तमान समय में आर्थिक समस्या बड़ी नाजुक है और इस कारण हमसे से जो इस बहस में भाग लें उनको अत्यन्त सावधान रहना चाहिए, और बुरी रीति से इस विषय में प्रवेश नहीं करना चाहिए जिससे जिन कठिनाइयों का अर्थमन्त्री को सामना करना पड़ रहा है, उनमें बढ़ती हो जाय। इस कारण में विस्तार में

नहीं जाऊगा, परन्तु विनिमय दर के बढ़ाने के बारे में एक बात कहे विना में नहीं रह सकता। मेरा अभिप्राय उस समय से है जब रुपये को १ ग्रि० ८ पैस से बढ़ा कर १ शि० ६ पैस कर दिया गया था। यद्यपि उन भारतीयों ने, जिनका महासभा से कुछ सम्बन्ध नहीं था, उस बात का एकमत से विरोध किया था। वे सब अपना मत प्रकट करने में स्वतन्त्र थे। उनमें से कुछ अर्थ-शास्त्र में दक्ष थे और जो कुछ वे कहने थे उसको भली प्रकार समझते भी थे। यहाँ फिर यही पता लगता है कि विदेश के हित के लिए भारत का हित दबा दिया गया। इस बात के जानने के लिए किसी निपुण मनुष्य की आवश्यकता नहीं होती कि मूल्य में गिरा हुआ रुपया किसानों के लिए सदा हितकारी होता है या नियमानुसार हितकारी होगा। मुझपर अर्थ-शास्त्रियों के यह स्वीकार करने का बहुत असर हुआ था कि यदि रुपया विलायत के नोट (Sterling) के साथ न जोड़ा जाकर स्वयं अपने ऊपर छोड़ दिया जाय तो उससे किसानों को बहुत लाभ होगा। वे अन्तिम छोर की ओर जा रहे थे और यह समझते थे कि यदि रुपया स्वयं अपनी दर स्थापित करने के लिए छोड़ दिया गया और गिरते-गिरते अपनी वास्तविक कीमत अर्थात् ३ या ७ पैस पर आ गया तो भारत के लिए यह एक दुर्घटना होगी। वर्क्षितश में यह नहीं समझ सका हूँ कि इससे भारतीय कृषक को किसी प्रकार की हानि पहुँचेगी।

ऐसी दग्ग में मैं उन सरकारणों को, जो भारतीय अर्थमन्त्री के अपना उत्तरदायित्व पालन करने के कार्य में रुकावट डालेंगे, नहीं मान सकता और यह उत्तरदायित्व पूर्णतया प्रजा के हित में होगा।

इस समिति का ध्यान मुझे एक बात की ओर और आकर्षित करना है। लार्ड चांसलर और आपने यद्यपि सावधानी के लिए कह दिया है तो भी मुझको यह अनुभव होता है कि यदि भारतीय अर्थ-विभाग का ठीक प्रबन्ध भारत के हित में हो, तो विदेश के बाजार में—अर्थात् लन्दन में—दर में इतनी तेजी-मन्दी न हो। इसके लिए मैं कारण बताता हूँ।

जब सर डेनियल हेमिल्टन के लेखों से मैं पहले-पहल परिचित हुआ तो मैं कुछ आशंका और हिचकिचाहट से उनके पास पहुंचा। भारतीय अर्थ-समस्या के सम्बन्ध में मैं कुछ नहीं जानता था। मेरे लिए यह विषय बिलकुल नया था। परन्तु उन्होंने उत्साह के साथ मुझे उन पत्रों को पढ़ने के लिए, जो वे मुझे लगातार भेजते थे, खूब जोर दिया। जैसा कि हम सब जानते हैं, उनकी भारत के साथ बहुत दिलचस्पी है। वे महत्वपूर्ण पदों पर भी रहे हैं और स्वयं एड योग्य अर्थशास्त्री हैं। वह आजकल अपने प्रदर्शित पथानुसार प्रयोग कर रहे हैं और जो लोग भारतीय अर्थ-समस्या को उनके हृषिकोण से समझना चाहेगे उन सब-के सामने उन्होंने एक प्रभावोत्पादक विचार रख दिया है। वह कहते हैं कि भारत को सोने के माप की, चांदी के माप की या और किसी धातु के माप की आवश्यकता नहीं है। भारत के पास एक स्वयं अपनी ही धातु है और वह धातु उनके अनगिनत करोड़ों श्रमिकों के रूप में है। यह सत्य है कि भारत के आर्थिक सम्बन्ध में ब्रिटिश सरकार अभी तक दिवालिया नहीं हुई है और अभी तक सब भुगतान करती रही है; परन्तु यह सब किस कीमत पर हुआ है? यह कृपक को हानि पहुंचा कर ही हुआ है, कृपक से धन छीन लिया गया है। यदि आर्थिक-समस्या को रूपयों में समझने के बजाय अधिकारी-गण सर्वेसाधारण के रूप में समझते तो मेरी धुद राय में वह भारत के मामले का प्रबन्ध अबतक की अपेक्षा कहीं अच्छा कर सकते। तब उनको विदेशी बाजार की शरण नहीं जाना पड़ता। प्रत्येक इस बात को मानता है और अंग्रेज अर्थशास्त्रियों ने यह कहा है कि सदा दस मे से नीं वर्षों में व्यापार का शेष भारत के अनुकूल रहता है।

अर्थात् जब कभी भारत का व्यापार साल में आठ आने या दस आने के बराबर ही रह जाता है तब भी व्यापार भारत के अनुकूल ही रहता है। उदार प्रकृति पृथिवी-माता से भारत अपना सब छुरा चुकाने के लिए और अपनी आवश्यक आयात से भी अधिक पैदा करता है।

यदि यह सत्य है और में कहता हूँ कि यह सत्य है तो भारत के समान देश को विदेशी पूँजीपति के सामने छुकना ठीक नहीं है। भारत को विदेशी पूँजीपति के सामने छुकाया गया है; कारण कि एक बहुत बड़े परिमाण में 'होम चार्ज' के रूप में भारत से धन बाहर गया है और भारत की रक्षा में भीषण व्यय किया गया है। इन ऋणों के चुकाने में भारत सर्वथा असमर्थ है; परन्तु यह सब एक ऐसी नीति से छुकाये गये हैं, जिसकी स्थानापन्न कमिश्नर स्व० रमेशचन्द्र दत्ताने वहृत अच्छी तरह निन्दा की थी। मुझको मालूम है, इसी सम्बन्ध में स्व० लार्ड कर्जन से उनका विवाद हो गया था और हम भारतीय इस नतीजे पर पहुँचे कि रमेशचन्द्र दत्त ही ठीक थे।

परन्तु मैं एक कदम और आगे बढ़ना चाहता हूँ। यह तो सबको मालूम है कि भारतीय कृपक सात में छः महीने बेकार रहते हैं। यदि अटिश सरकार इस बात का प्रबन्ध कर दे कि वर्ष में छः महीने ये लोग बेकार न रहें तो सोचो कि कितना धन पैदा किया जा सकता है! तो फिर क्यों हमको विदेशी बाजार की ओर छुकने की आवश्यकता पड़ेगी? मुझ साधारण मनुष्य को—जो सर्वसाधारण का ही विचार रखता है और जो वही अनुभव करना चाहता है जैसा कि सामान्य लोग—समस्त आर्थिक समस्या इसी रूप में दिखाई पड़ती है। वे कहते हैं कि हमारे पास श्रमिक यथेष्ट हैं, इस कारण हम किसी विदेशी पूँजी को नहीं नेना चाहते। जबतक हम श्रम करते हैं, तबतक हमारे श्रम से पैदा हुई वस्तुएं संसार चाहेगा और यह सत्य है कि समस्त संसार हमारे श्रम से पैदा हुई चीजें चाहता है। हम वही चीजें पैदा करेगे, जिन्हें संसार स्वयं खुशी से लेगा। अत्यन्त प्राचीनकाल से भारत की ऐसी ही दशा रही है। इस कारण मैं उस डर का अनुभव नहीं करता, जो भारतीय अर्थ-समस्या के सम्बन्ध में आपने बताया है। मेरी राय में जबतक हम अपने द्वार-रक्षकों पर पूर्ण नियन्त्रण और निर्बाध अपना बजट अपने काबू में न रखेंगे तबतक हम अपने ऊपर उत्तरदायित्व नहीं ले सकेंगे और

ऐसे भार को उत्तरदायित्वपूर्ण कहना अनुपयुक्त होगा ।

वर्तमान समय में मेरी स्थिति ऐसी नहीं है कि मैं अपने सरकार बताऊं । अपने सरकारों को मैं उस समय तक नहीं बता सकता जबतक मैं यह न जान जाऊं कि भारतीय राष्ट्र को पूर्ण जिम्मेदारी तथा मेना और सिविल सर्विस पर पूर्ण नियन्त्रण मिलेगा और भारत अपनी आवश्यकताशुसार सिविलियनों को तथा सिपाहियों को उन्हीं शर्तों पर रखेगा, जो भारत जैसे दिद्रिं राष्ट्र के लिए उपयुक्त होंगी । जबतक मैं इन सब वातों को न जान जाऊं तबतक मेरे लिए सरकार बताना प्रायः असम्भव है । जबतक कि कोई भारत की इस योग्यता में कि वह अपना भार स्वयं उठाने के योग्य है और अपना कार्य शान्ति से चला सकता है, अविश्वास न करे तबतक, वास्तव में, इन सब वातों पर व्यान देने से यही मालूम होता है कि सरकारों की कोई आवश्यकता नहीं है । ऐसी परिस्थिति में केवल एक ही खतरा, जो मेरे देख सकता हूँ, यह हो सकता है कि ज्योंही हम कार्यभार अपने ऊपर लेंगे त्योंही बड़ी अस्तव्यस्तता और विप्लव फैल जायगा । यदि अग्रेजों को यही डर है तो हमारे और उनके क्षेत्र भिन्न हैं । हम उत्तरदायित्व लेते हैं और मांगते हैं, क्योंकि हमें विश्वास है कि हम अपना शासन भली प्रकार चला लेंगे और मैं तो समझता हूँ कि अग्रेज-शासकों की अपेक्षा हम अपना शासन अधिक अच्छी तरह करेंगे । इसका कारण यह नहीं है कि वे अधोग्य हैं । मैं यह भानने को तैयार हूँ कि अग्रेज हमसे अधिक योग्य और अधिक संगठन-शक्ति रखने वाले हैं, जिसकी शिक्षा हमको उनके पैरों के नीचे रहकर लेनी है । परन्तु हमारे पास एक बात है और वह यह कि हम अपने देश को और अपने लोगों को जानते हैं और इस कारण हम अपनी सरकार सस्ते में चला सकते हैं । सब झगड़ों से दूर रहने की हम बोशिश करेंगे; क्योंकि हमारी आकांक्षाएं साम्राज्यवादी नहीं हैं । इस कारण, हम अफगानियों से अथवा किसी राष्ट्र से युद्ध नहीं करेंगे, वरन् हम मित्र-भाव

स्थापित करेगे और उनको हमसे डरने की कोई बात नहीं होगी ।

भारत की आर्थिक समस्या को सोचते हुए मेरे मन में यही आदर्श उपस्थित होता है । अतः आपको मालूम होगा कि मेरी कल्पना में भारतीय अर्थ-समस्या इतनी बड़ी या इतनी भयानक नहीं है जितना कि आप, लार्ड चांसलर अथवा अग्रेज-मंत्री, जिनसे मुझे इस प्रश्न पर बहस करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था, इस (अर्थ-समस्या) को अपने मन में समझते हैं । अतः ऊपर बताये हुए कारणों से मैं सम्मान-सहित यह कहना चाहता हूँ कि इन सरकारणों को और विटिश जनता और एट न्यूट्रिटिव के जिम्मेदार लोगों के डर को मञ्जूर कर लेना मेरे लिए सभव नहीं है ।

राष्ट्रीय सरकार जिन कारणों को अपने सिर पर लेगी, उनकी जमानत उसी तरह की देगी जैसी कि एक राष्ट्र सम्भवतः दे सकता है । परन्तु इन पैराग्राफों में जैसी जमानतों के लिए लिखा है वैसी मेरी राय में नहीं दी जा सकती । निःसन्देह कुछ कृत्तरण ऐसा है, जिसको हमें अपने ऊपर लेना पड़ेगा और एट न्यूट्रिटिव को चुकाना पड़ेगा । यदि यह मान लिया जाय कि हमने असावधानी से काम किया तो कागज पर लिखी हुई शर्तों का क्या मूल्य रह जायगा ? अथवा मान लो, दुर्भाग्य से उस समय से, जब कि भारत अपना शासन अपने हाथ में ले, बहुत-मेरे बुरे वर्ष एक-के-वाद-एक आवे तो मैं यही समझता हूँ कि कोई सरकार भारत से रुपया छीनने के लिए पर्याप्त नहीं होगा । ऐसी आपत्तिजनक परिस्थितियों के अवृद्धि कारणों से किसी भी राष्ट्रीय सरकार को जमानत देना सम्भव नहीं होगा ।

मैं अपने भाषण को अत्यन्त दुःख के साथ खत्म करता हूँ ; क्योंकि मुझे इतने अधिक अधिकारियों का, जिनको भारत के मामलों का अनुभव है और अपने उन देशवासियों का जो गोलमेज़-परिषद् में सम्मिलित हुए हैं, विरोध करना पड़ता है । परन्तु यदि महासभा का प्रतिनिधि होते हुए मुझको अपना कर्तव्य पालन करना है तो किसी

की नाराजी का जोखिम उठाकर भी मुझको अपनी और महासभा के बहुत से सदस्यों की सम्मिलित राय प्रकट कर देनी चाहिए।*

: १० :

प्रान्तीय स्वराज्य

मैं अध्यापक लीस-स्मिथ को बधाई देता हूँ, क्योंकि उन्होंने यह चर्चा उठाई। अध्यक्ष महाशय, मैं आपको भी बधाई देता हूँ कि आपने इस चर्चा की इजाजत दी। मेरे ख्याल में अध्यापक लीस-स्मिथ ने इस वादविवाद को शुरू करने का भार अपने ऊपर लेकर विलक्षण आशावादिता का परिचय दिया है। वे प्राणवायु की पिंवकारी लेकर वैद्य के रूप में आये हैं और एक मृतःप्राय शरीर में प्राणवायु भरने की कोशिश कर रहे हैं। मैं यह नहीं कहता कि केन्द्रीय उत्तरदायित्व में रहित प्रान्तीय स्वराज्य की धरकी की अफ़वाह के कारण हमारी यह समिति मुद्री-सी हो गई है। मैं तो अपने नग्नभाव से इस समिति की कारवाई के शुरू से ही चेतावनी के शब्द कहता रहा हूँ। मेरा तो इस वास्तविकता-विहीन वायु-मण्डल में दम घूट रहा था और मैंने इन्हीं शब्दों में यह बात कह भी दी थी। सर तेजबहादुर सप्रू को तो यह अनुभव,

* भाषण समाप्त होने पर साढ़े रोडिंग ने कहा—

“मैं नहीं समझता कि आपने, जो कुछ मैंने कहा था, उसको ठीक तौर पर सदस्यों को बतलाया। सम्भव है कि कही हुई बातों का यह गलत बयान हो। अब मुझको यही कहना है कि अर्थ-सम्बन्धी अपने व्याख्यानों में मैं सबकुछ कह चुका हूँ; परन्तु मैं यह नहीं चाहता कि मैं यह मान लूँ कि उनका कोई उत्तर नहीं है।”

गांधीजी—निष्पत्ति ही नहीं।

जैसा मुझे सर्योगवश मालूम हुआ है, कुछ ही दिन से होने लगा है; उन्होंने अपने दूसरे मित्रों और साथियों की तरह मुझार भी, यदि मैं भी अपने को उनका साथी समझ लूँ, विश्वास करने की कृपा की है और अपने दिल की बात कही है।

मर तेज बहादुर उच्च सरकारी पदों पर रह चुके हैं। उन्हे शासन-सम्बन्धी मामलों का बहुत अनुभव भी है। उसके आधार पर उन्होंने इस प्रान्तीय स्वराज्य नामधारी खतरे से खबरदार रहने की चेतावनी दी है। मैं बहुधा भूले कर बैठता हूँ, इसलिए उन्होंने खास तौर पर मुझे लक्ष्य में रखकर यह चेतावनी दी है। इसका कारण यह है कि मैंने प्रान्तीय स्वराज्य के सवाल पर कई अंग्रेज दोस्तों से—इस देश के जिम्मेदार सार्वजनिक व्यक्तियों से—चर्चा करने का साहस किया है। इसकी खबर सर तेजबहादुर को मिल गई थी और इसलिए उन्होंने मुझे काफी सचेत कर दिया है। यही कारण है कि हस्ताक्षर करने वालों में आप मेरा भी नाम देखते हैं। परन्तु अध्यक्ष महोदय, मैंने हस्ताक्षर इस कागज पर नहीं किये हैं, जो आपके सामने पेश किया गया है, बल्कि ऐसे ही दूसरे पत्र पर किये हैं, जो दस दिन पहले अखबारों को भेजा गया है और प्रधान मन्त्री के नाम दिया गया है। जो बात मैं यहाँ कहता हूँ यही मैंने उनसे कही थी कि भले ही अलग रास्तों से सही, वे और उनके बाद मैं बोलने वाले दूसरे लोग तथा मैं एक ही नीति पर पढ़ने वे हैं। 'जहाँ देवताओं को पैर रखते भी डर लगता है, वहाँ मूर्ख घुस पड़ते हैं।' शासन का कोई अनुभव न होते हुए भी मैंने सोचा कि यदि मेरी कल्पना में जो प्रान्तीय स्वराज्य है, वही मिलता हो तो मैं इस फल को हाथ में लेकर और उसे टटोल कर क्यों न देख लूँ फि यह चीज़ बास्तव में मेरे काम की है भी या नहीं? मुझे अपने से विरुद्ध नीति रखने वाले मित्रों से मिलकर, उन्हीं की विचारधारा में घुसकर, उनकी कठिनाइयाँ भी जानने का शौक है। मैं यह भी सोजना चाहता हूँ कि जो कुछ ये लोग दे रहे हैं उसमें शायद आगे चलकर वहीं चीज़ मिल

जय जो मैं चाहता हूँ। इसी भावना से और इसी अर्थ मे मैंने प्रान्तीय स्वराज्य पर भी विचार करने का साहस किया था। परन्तु वादविवाद से मुझे तुरन्त पता लग गया कि प्रान्तीय स्वराज्य का अर्थ जो वे करते हैं वह वही अर्थ नहीं है जो मैं समझता हूँ। इसलिए मैंने अपने मित्रों से भी कह दिया कि वे मुझे अकेला छोड़ दें तो भी मेरा कुछ नहीं विगड़ेगा; क्योंकि न तो प्रान्तीय स्वराज्य के मूर्खतापूर्ण विचार मे और न देश के लिए कुछ भी ले मरने की आतुरता से ही मैं देश के हितों का बलिदान करने वाला हूँ। मुझे चिन्ता है तो सिफे इतनी-सी कि जब मैं अत्यन्त सशंक हृदय से इतने कोसों से आया हूँ, जब सरकार और इस परिपद के साथ जी-जान से सहयोग करने का मेरा पूरा इरादा रहा है और जब मैंने मन, वचन और कर्म से सहयोग की भावना रखी है लो अपनी ओर से कोई बात उठा न रखूँ। इसलिए मैंने खतरे वी सीमा में घुसकर भी प्रान्तीय स्वराज्य की बात करने से परहेज़ नहीं किया है। परन्तु मुझे विश्वास हो गया है कि आप अथवा ब्रिटिश-मंत्रिमण्डल भारतवर्ष को उतना प्रान्तीय स्वराज्य नहीं देना चाहते, जो मेरे जैसी मनोवृत्ति के आदमी को सन्तुष्ट कर सके, जिससे महासभा का समाधान हो जाय और जिसे स्वीकार करने को महासभा राजी हो जाय, फिर भले ही केंद्रीय दायित्व मिलने में देर लये।

यहां इस समिति का थोड़ा समय लेने का जोखिम उठा कर भी अपनी बात साफ समझा देना चाहता हूँ; क्योंकि इस मामले मे भी मेरा तर्क जरा भिन्न प्रकार का है और मैं हृदय से चाहता हूँ कि मेरी बात को गलत न समझा जाय। अतः मैं एक उदाहरण देता हूँ। बंगाल को ही लीजिए। यह आज भारतवर्ष का एक ऐसा प्रान्त है, जिसमें गहरी अशान्ति है। मैं जानता हूँ, बंगाल में एक क्रियाशील हिंसावादी दल विद्यमान है। आज यह भी सबको मालूम होना चाहिए कि मेरे दिल में हिंसावादी दल के प्रति किसी भी प्रकार से कोई सहानुभूति नहीं हो सकती। मैं सदा से मानता आया हूँ कि हिंसावाद सुधारक के लिए

बुरे-से-बुग उपाय है, भारतवर्ष के लिए तो खास तौर पर धातक है ; क्योंकि इसका बीज भारतभूमि में फूल-फल सकता ही नहीं । मेरा विश्वास है कि जो भारतीय युवक इस प्रकार के कामों को अच्छा समझ कर अपनी जानें दे रहे हैं, वे अपने आए बिलकुल व्यर्थ गंवा रहे हैं और जिस स्थान पर हम सब लोग पहुंचना चाहते हैं उस स्थान के एक अंगुल नजदीक भी ये देश को नहीं ले जा रहे हैं ।

मुझे इन सब बातों का यकीन है । परन्तु यकीन होने पर भी, मान लीजिए कि बंगाल को आज यदि प्रान्तीय स्वराज्य प्राप्त होता तो बंगाल क्या करता ? बंगाल सारे-के-सारे नज़रवन्द कैदियों को छोड़ देता । बगाल—अर्थात् स्वायत्त-शासन-भोगी बंगाल हिसावादियों का पीछा न करता, प्रन्युत बंगाल उनतक पहुंच कर उन्हें सन्मार्ग पर लाने का प्रयत्न करता । मुझे विश्वास है कि उनके हृदयों में बैठ कर मैं बंगाल से हिसावाद का सफाया कर सकता हूं ।

परन्तु जिस सत्य को मैं अपने भीतर देखता हूं, उसे प्रकट कर देने के लिए मैं एक क़दम और आगे बढ़ता हूं । यदि बंगाल स्वायत्त-शासन-भोगी होता तो अकेला वह स्वराज ही स्वास्तव में बंगाल से हिसावाद को मिटा सकता था । इसका कारण यह है कि ये हिसावादी मूर्खतावश यह समझते हैं कि उनके इन कृत्यों से ही स्वतन्त्रता जल्दी-से-जल्दी प्राप्त होगी । परन्तु जब वही स्वतन्त्रता बंगाल की दूसरी तरफ से मिल जाती तो फिर हिसावाद के लिए गुंजायश ही कहां रह जायगी ?

आज एक हजार युवक ऐसे हैं, जिनमें से कुछ के लिए मैं शपथ-पूर्वक कह सकता हूं कि हिसावाद से उनका कोई सम्बन्ध नहीं ! फिर भी ये हजार-के-हजार युवक मुक़दमा चलाये बिना और अपराध सावित हुए बिना गिरफ्तार कर लिये गये हैं । जहां तक चिटांव का सम्बन्ध है, श्री सेनगुप्ता यहां मौजूद हैं । ये कलकत्ता के लाई भैयर, बंगाल व्यवस्थापिका सभा के सदस्य और बंगाल प्रान्तीय समिति के अध्यक्ष रह चुके हैं । वे मेरे पास एक रिपोर्ट लाये हैं । इस रिपोर्ट पर बंगाल

के सभी दलों के लोगों के हस्ताक्षर हैं। इसे पढ़कर दुःख हुए बिना नहीं रह सकता। इसका सार यह है कि चिटगांव में भी आयरलैण्ड के से; किन्तु उनसे घटिया दर्जे के, अंधाधुन्ध अत्याचारों की पुनरावृत्ति की गई है। और यह भी बात नहीं कि चिटगांव भारतवर्ष मे कोई ऐसी-वैसी जगह हो।

हमें अब यह भी मालूम हो गया है कि कलकत्ते में झंडा-प्रदर्शन किया गया, उस समय यहां सारी सैनिक शक्ति एकत्र की गई और उसे शहर के दस प्रधान बाजारों में घुमाया गया।

ये सब किसके खर्च से किया गया और इसका उपयोग क्या ? क्या इससे हिसावादी डर जायेंगे ? मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि वे नहीं डरेंगे। तो फिर क्या इससे महासभा वाले सविनय-भग मे विमुख हो जायेंगे ? यह भी नहीं होने का। महासभा वाले तो इसके लिए प्रतिज्ञाबद्ध हैं। यहीं तो उनकी जाति का चिह्न है। उन्होंने इस प्रकार के कष्ट सहन करने का संकल्प कर लिया है। इस कारण वे इन बातों से डर जाने वाले नहीं हैं। ऐसे प्रदर्शनों पर हमारे बच्चे हसते हैं। हम उन्हे यह सिखाना भी चाहते हैं कि वे न डरा करे—तोप, बन्दूक और हवाई जहाज़ इत्यादि से भयभीत न हुआ करे।

अब आप समझ गये होंगे कि प्रान्तीय स्वराज्य की मेरी क्या कल्पना है। ये सब बातें उस दशा में असम्भव हो जायगी। न तो उस समय मैं किसी एक भी सिपाही को बगाल प्रान्त में घुसने दूँगा और न एक भी पैसा ऐसी फौज पर खर्च होने दूँगा, जिसपर मेरा नियन्त्रण न हो। इस प्रकार के प्रान्तीय स्वराज्य में तो आप बंगाल की ऐसी स्थिति की कल्पना ही नहीं कर सकते कि मैं सब नजरबदों को मुक्त कर दूँ और बंगाल के काले कानून रद्द कर दूँ। यदि यही प्रान्तीय स्वराज्य है तो बंगाल में तो वैसी ही पूर्ण स्वाधीनता स्थापित हो जाती है जैसी मैंने नेटाल में विकसित होते देखी है। यह छोटा-सा उपनिवेश है; परन्तु इसका अपना स्वतन्त्र अस्तित्व था; इसकी

अपनी स्वयंसेवक सेना आदि थी। आप बंगाल या अन्य प्रान्तों को इस प्रकार का स्वराज्य नहीं देना चाहते। आप तो चाहते हैं कि केन्द्रस्थ सरकार ही शासन, नियन्त्रण आदि का काम भी करती रहे; परन्तु यह मेरी कल्पना का प्रान्तीय स्वराज्य नहीं है। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि यदि आप मुझे सच्चा प्रान्तीय स्वराज्य देना चाहते हों तो उसपर मैं विचार करने को तैयार हूँ। परन्तु मुझे विश्वास हो गया है कि वह स्व-राज्य नहीं आ रहा है। यदि वह आनेवाला होता तो हमें इतनी लम्बी-चौड़ी कार्रवाई न करनी पड़ती और हमारा काम किसी दूसरे ही ढंग से चलता।

परन्तु मुझे एक बात का सचमुच और भी अधिक दुःख है। हम सब यहाँ एक ही उद्देश्य से लाये गये हैं। मुझे विशेषतः उस समझौते के द्वारा लाया गया है, जिसमें यह स्पष्ट लिखा है कि मैं केन्द्रीय शासन में सच्चे उत्तरदायित्व—सम्पूर्ण दायित्व वाला संघ-शासन, जिसमें संरक्षण हों किन्तु जो भारत के लिए हितकारी हों, विचार करने और लेने आ रहा हूँ। मैंने समय-असमय कहा है कि जो भी संरक्षण आवश्यक हों, उसपर मैं विचार करूँगा। मैं अध्यापक लीस-स्मिथ अथवा अन्य किसी के इस विचार से सहमत नहीं हूँ कि इस विधान-रचना के काम में इतने वर्ष—तीन वर्ष—लगने चाहिए। उनके खयाल से प्रान्तीय स्वराज्य को १८ मास लगेंगे। मेरी मूर्खता कहती है कि इस दीर्घकाल की जरूरत नहीं। जब लोग संकल्प करलें, पालमिण्ट संकल्प करले, मन्त्रीगण संकल्प करलें और यहाँ का लोकमत संकल्प कर ले तो इन बातों में देर नहीं लगा करती। मैंने देखा है कि जब एकचित्त से विचार किया गया है तो इन बातों में समय नहीं लगा है। परन्तु मैं जानता हूँ कि इस मामले में एकचित्त से विचार नहीं हो रहा है। अलग-अलग विभाग, अपने-अपने ढंग से और सभी शायद विरोधी दिशाओं में काम कर रहे हैं। जब ऐसी बात है तो मुझे निश्चय प्रतीत होता है कि इस वादविवाद के पश्चात् भी केन्द्रस्थ दायित्व मिलना तो दूर रहा, इस परिषद् से कोई दूसरा तथ्यपूर्ण

परिणाम भी नहीं निकलने वाला है। मुझे यह देखकर पीड़ा होती है, आधात पहुंचता है कि ब्रिटिश मन्त्रियों का, राष्ट्र का और यहाँ आये हुए इन सब भारतीयों का इतना बहुमूल्य समय व्यर्थ गया। मुझे भय है कि इस प्राणवायु की पिचकारी से भी कोई लाभ नहीं होगा। मैं यह नहीं कहता कि और कुछ नहीं तो प्रान्तीय स्वराज्य ही हमारे सिर पर थोप ही दिया जायगा।

मुझे इस परिणाम का तो वास्तव में भय नहीं है। मुझे भय तो इससे कहीं अधिक भयानक चीज़ का है। वह यह कि सिवाय भयंकर दमन के भारत के पल्ले और कुछ भी पड़ने वाला नहीं है। मुझे उस दमन की फरियाद नहीं है। दमन से तो हमारा भला ही होगा। यदि दमन ठीक समय पर हो तो मैं तो उसे भी इस परिषद् का बहुत बढ़िया नतीजा समझूँगा। जो देश अपने ध्येय की ओर निश्चित संकल्प के साथ बढ़ रहा हो, ऐसे किसी भी देश की दमन से कभी कोई हानि नहीं हुई। ऐसे दमन से सचमुच प्राणवायु का संचार होता है, अध्यापक लीस-स्मिथ की पिचकारी से नहीं।

परन्तु मुझे डर इस बात का है कि जिस पतले धागे से मैंने पुनः अंग्रेज़ों और अंग्रेज़-मन्त्रियों से सहयोग का नाता बांधा था, वह टूटता दिखाई देता है। मुझे फिर से अपने-आपको कट्टर असहयोगी और सविनय अवज्ञाकारी घोषित करना पड़ेगा। मुझे वहाँ के करोड़ों मनुष्यों को असहयोग और आज्ञाभंग का सन्देश फिर से देना पड़ेगा। भले ही भारत पर कितने ही वायुयान मंडरायें और भारत में कितनी ही सैनिक मोटरें क्यों न भेज दी जायें। इनसे कुछ होना-जाना नहीं है। आपको मालूम नहीं है कि आज नन्हे-नन्हे बच्चों पर भी इन चीज़ों का कोई असर नहीं होता। हम उन्हे सिखाते हैं कि जब तुम्हारे चारों ओर गोलियों की वर्षा हो रही हो तो तुम हर्षोन्मत्त होकर नाचो मानो पटाखे छूट रहे हैं। हम उन्हें देश के लिए बलिदान का पाठ पढ़ाते हैं। मैं निराश नहीं हूँ। मैं नहीं समझता कि यहाँ कुछ न हुआ तो देश में अराजकता फैल जायगी। मेरा यह

ख्याल नहीं है। जबतक कांग्रेस शुद्ध रहेगी और भारत की चारों दिशाओं में अहिंसा का बोलबाला रहेगा, तबतक अराजकता नहीं होगी। मुझे बहुधा कहा जाता है कि हिंसावाद की जिम्मेदारी कांग्रेस के सिर पर है; परन्तु मेरे पास इस बात के लिए प्रमाण है कि कांग्रेस के अहिंसात्मक ध्येय ने ही अबतक हिंसात्मक शक्तियों को रोक रखा है। मुझे खेद है कि अबतक हमें पूरी सफलता नहीं मिली है; परन्तु समय पाकर हमको सफलता की आशा है। यह बात नहीं है कि हिंसावाद से भारत को स्वाधीनता मिल जायगी। मैं तो स्वतन्त्रता वैसी ही चाहता हूँ जैसी श्री जयकर चाहते हैं; बल्कि मैं उनसे अधिक सम्पूर्ण स्वतन्त्रता चाहता हूँ। मैं सर्व-साधारण के लिए पूरी आजादी चाहता हूँ। मैं जानता हूँ हिंसावाद से सर्व-साधारण का कोई लाभ नहीं हो सकता। सर्व-साधारण मूक और निःशस्त्र हैं। उन्हें मारना नहीं आता। मैं व्यक्तियों की बात नहीं करता; परन्तु भारत के सर्व-साधारण की गति इस दिशा में कभी नहीं रही।

जब मैं गरीबों का स्वराज्य चाहता हूँ तो मुझे मालूम है कि हिंसावाद से कोई लाभ नहीं। अतः महासभा एक ओर तो ब्रिटिश सत्ता और उसकी ओर से कानून की आड़ मे होने वाले हिंसावाद से लोहा लेगी और दूसरी ओर युवकों के गैंग-कानूनी आतंकवाद का विरोध करेगी। मेरे ख्याल में इन दोनों के बीच का रास्ता उस सहयोग के द्वार का था, जो लाई अर्विन ने ब्रिटिश राष्ट्र के तथा मेरे लिए खोला था। उन्होंने यह पुल बनाया और मैंने समझा कि उसपर से सकुशल पार हो जाऊँगा। मेरा रास्ता सुरक्षित था और मैं अपना सहयोग प्रदान करने को आ पहुँचा; परन्तु अध्यापक लीस-स्मिथ, सर तेज बहादुर सप्रू और श्री शास्त्रीजी ने कुछ भी कहा हो, इनके ध्यान में जो सीमित केन्द्रीय दायित्व है; उससे मेरा समाधान नहीं होगा।

आप सब जानते हैं, मैं तो ऐसा केन्द्रस्थ दायित्व चाहता हूँ जिससे मैंना और अर्थ का नियन्त्रण मेरे हाथ में आ जावे। मुझे मालूम है कि वह चीज़ मुझे यहां अभी नहीं मिलेगी और न कोई भी अंग्रेज़ आज वह

चीज देने को तैयार है। इसीसे मैं जानता हूँ कि मुझे वापस भारत जाकर देश को तपस्या के मार्ग पर अग्रसर होने का निमन्त्रण देना पड़ेगा। मैंने अपनी स्थिति पूरी तरह साफ़ कर देने की इच्छा से ही इस वादविवाद में भाग लिया है। प्रान्तीय स्वराज्य के विषय में मैं जो बात घरू तौर पर मित्रों से कहता रहा था वही बात आज इस परिषद् में मैंने खुले तौर पर कह दी है। मैंने आपसे यह भी कह दिया है कि प्रान्तीय स्वराज्य का मैं क्या अर्थ समझता हूँ और मुझे किस चीज से वस्तुतः सन्तोष होगा? अन्त में मैं कह देना चाहता हूँ कि मैं और सर तेजबहादुर सप्त्रु तथा अन्य सदस्य एक ही नाव में बैठे हैं। मेरा विश्वास है कि जबतक सच्चा केन्द्रीय दायित्व न हो अथवा केन्द्र इतना कमज़ोर न कर दि जाय कि प्रान्त जो चाहे उससे कराले, तबतक सच्चा प्रान्तीय स्वराज्य होना असम्भव है। मुझे मालूम है कि आज आप इतना करने के लिए तैयार नहीं हैं। मैं जानता हूँ कि सघ-शासन के स्थापित होने पर यह परिषद् कमज़ोर केन्द्र रखना पसन्द नहीं करेगी, इसकी कल्पना तो मजबूत केन्द्र की है।

परन्तु एक ओर विदेशी सत्ता द्वारा शासित बलिष्ठ केन्द्र और दूसरी ओर बलिष्ठ प्रान्तीय रवराज्य—ये दोनों बाते एकसाथ नहीं मिल सकती। फिर भी मैं महसूस करता हूँ कि प्रान्तीय स्वराज्य और दायित्व-पूर्ण केन्द्रीय शासन असल में साथ-साथ चलने वाले हैं। फिर भी मैं कहता हूँ कि पुनः विचार के लिए मैंने अपने मस्तिष्क का द्वार बन्द नहीं कर लिया है। यदि मुझे कोई समझा दे कि यह प्रान्तीय स्वराज्य वैसा ही है जिसकी मैंने बंगाल के उदाहरण में कल्पना की है तो मैं उसे हृदय से लगा लूँगा।

: ११ :

हमारी बात

मैं नहीं समझता कि इस समय में जो कुछ कहूँगा, इससे प्रधान मण्डल के निर्णय पर कुछ असर पड़ा सम्भव है। बहुत करके वह निर्णय हो भी चुका है। लगभग एक पूरे द्वीप की स्वतन्त्रता का प्रश्न केवल दलीलों अथवा सलाह-मशविरे से कदाचित् ही सम्भव हो सकता है। सलाह-मशविरे का भी अपना हेतु होता है और वह भी अपना हिस्सा पूरा करता है; किन्तु वह खास-खास अवस्थाओं में ही। बिना ऐसी अवस्था के सलाह-मशविरे से कुछ नतीजा नहीं निकलता। किन्तु मैं इन सब बातों में नहीं जाना चाहता। प्रधान-मन्त्री महोदय, मैंने आपको इस परिषद् की प्रारम्भिक बैठक में जो शर्तें पढ़कर सुनाई थीं, यथासम्भव उनकी हद ही रहना चाहता हूँ। इसलिए सबसे पहले तो मैं इस परिषद् के सामने पेश हुई रिपोर्टों के सम्बन्ध में ही दो शब्द कहूँगा। आप इन रिपोर्टों में देखेगे कि अधिकांश मेरे यह कहा गया है कि अमुक-अमक बड़ी बहुसंख्या का मत है, कुछ ने इसके विपरीत मत प्रदर्शित किया है, इत्यादि। जिन पक्षों ने विरोधी मत दिया है, उनके नाम नहीं दिये गये हैं। जब मैं भारत में था, तब मैंने सुना था और मैं यहां आया तब मुझसे कहा गया था कि बहुसंख्यक के सामान्य नियम से कोई भी निर्णय न किया जायगा। और इस बात का उल्लेख मैं यहां यह शिकायत करने के लिए नहीं करता कि वे रिपोर्टें इस तरह तैयार की गई हैं, मानो सारा काम बहुमत के नियम से ही किया गया हो।

किन्तु इस बात का उल्लेख मुझे इसलिए करना पड़ा है कि इन अधिकांश रिपोर्टों में आप देखेगे कि एक विरुद्ध मत लिखा गया है और अधिकांश जगहों में यह विरोध दुर्भाग्य से मेरा है। प्रतिनिधि-बन्धुओं की राय से मतभेद प्रकट करते हुए मुझे प्रसन्नता न हुई थी;

किन्तु मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि यदि मैं यह मतभेद प्रकट न करूँ तो मैं महासभा का सच्चा प्रतिनिधि नहीं कहा जा सकता।

एक बात और है जो मैं इस परिपद के ध्यान में लाना चाहता हूँ और वह यह कि महासभा के इस मतभेद का क्या अर्थ है? संगविधायक समिति की एक प्रारम्भिक बैठक में मैंने कहा था कि महासभा, भारत की ८५ प्रतिशत से अधिक आवादी अर्थात् मूक श्रमिकवर्ग और अधपेट रहनेवाले करोड़ों की प्रतिनिधि होने का दावा करती है। किन्तु मैंने तो आगे जाकर यह भी कहा है कि यदि महाराजागण मुझे क्षमा करें, तो वह तो अपने सेवा के अधिकार से राजाओं की उसी तरह जमीदारों और शिक्षित-वर्ग की प्रतिनिधि होने का दावा करती है। मैं उस दावे को फिर पेश करता हूँ और इस समय उसपर विशेष जोर देना चाहता हूँ।

इस परिपद के दूसरे सब पक्ष खास-खास वर्गों के प्रतिनिधि होकर आये हैं। अकेली महासभा ही सारे भारत की और सब वर्गों की प्रतिनिधि होने का दावा करती है। महासभा कोई सम्प्रदायिक संस्था नहीं है; किसी भी शक्ति या रूप में वह सब प्रकार की सम्प्रदायिकता की कट्टर शत्रु है। उसके मन में जाति, रंग अथवा सम्प्रदाय का कोई भेद नहीं है; उसके द्वारा सबके लिए खुले हैं। सम्भव है कि उसने ध्येय को सदैव पूरा न किया हो। मैंने मनुष्य द्वारा संस्थापित एक भी ऐसी संस्था नहीं देखी, जिसने अपने ध्येय को सदैव पूरा किया हो। मैं जानता हूँ कि कई बार महासभा असफल हुई है। इसके आलोचकों की जानकारी के अनुसार तो वह इससे भी अधिक बार असफल हुई होगी। किन्तु कट्टुसे-कट्टु आलोचक को यह तो स्वीकार करना ही होगा और उन्होंने स्वीकार किया भी है कि भारतीय राष्ट्रीय महासभा दिन-प्रति-दिन विकसित होती जाने वाली संस्था है, उसका सन्देश भारत के दूरातिदूर गांवों में पहुँचाया गया है और अवसर दिये जाने पर वह देश के ७,००,००० गांवों में रहनेवाली सर्व-साधारण

जनता पर के अपने प्रभाव का परिचय दे चुकी है।

और फिर भी मैं देखता हूँ कि यहां महासभा को अनेक पक्षों में से एक पक्ष गिना जाता है। मैं इसकी परवाह नहीं करता, मैं इसे महासभा के लिए कुछ आपत्ति-रूप नहीं मानता; किन्तु जो कार्य करने के लिए हम यहां इकट्ठे हुए हैं, उसके लिए आपत्तिरूप अवश्य मानता हूँ। मैं चाहता कि मैं ब्रिटिश-राजनीतिज्ञों और ब्रिटिश-मन्त्रियों को यह विश्वास करा सकता होता कि महासभा अपने निश्चय का पालन कराने में समर्थ है तो कितना अच्छा होता! महासभा सम्पूर्ण भारत में व्याप्त और सब प्रकार के साम्प्रदायिक भेदभाव से मुक्त एकमात्र राष्ट्रीय संस्था है। जिन अल्पसंख्यक जातियों ने यहां अपनी मांगें पेश की हैं और जो अथवा जिनकी ओर से हस्ताक्षर करने वाले भारत की ४६ प्रतिशत आबादी होने का—मेरे मत से अनुचित—दावा करते हैं, महासभा उन अल्पसंख्यक जातियों की भी प्रतिनिधि है ही। मैं कहता हूँ कि महासभा इन सब अल्पसंख्यक जातियों की प्रतिनिधि होने का दावा करती है।

महासभा का दावा यदि स्वीकार कर लिया गया होता तो आज स्थिति कितनी भिन्न होती! मैं अनुभव करता हूँ कि शान्ति के लिए और इस परिषद् में बैठे हुए अंग्रेज तथा भारतीय स्त्री-पुरुष दोनों के प्रिय उद्देश सिद्ध करने के लिए मैं महासभा का दावा विशेष आग्रह के साथ पेश करता हूँ। मैं यह इस कारण से कहता हूँ कि महासभा वलवान संस्था है, महासभा एक ऐसी संस्था है, जिसपर प्रतिद्वन्द्वी सरकार चलाने अथवा चलाने का विचार रखने का आरोप लगाया गया है; और एक तरह से मैं इस-आरोप का समर्थन कर चुका हूँ। यदि आप यह समझ लें कि महासभा का तन्त्र किस तरह चलता है तो जो संस्था प्रतिद्वन्द्वी सरकार चला सकती है और बता सकती है कि अपने पास किसी भी प्रकार का सैनिक बल न होते हुए भी विषम संयोगों में वह ऐच्छिक शासन-तन्त्र चला सकती है तो आप उसका स्वागत करेंगे।

किन्तु नहीं, यद्यपि आपने महासभा को आमन्त्रित किया है, फिर भी आप उसका अविश्वास करते हैं। यद्यपि आपने उसे आमन्त्रित किया है, फिर भी आप सारे भारत की ओर से बोलने के उसके दावे को अस्वीकार करते हैं। अवश्य ही संसार के इस किनारे पर वैठे हुए आप लोग इस दावे का विरोध कर सकते हैं, और यहां मे इस दावे को सावित नहीं कर सकता। फिर भी आप मुझे उसे हड़ता से पेश करते हुए देख सकते हैं, इसका कारण ग्रह है कि मेरे सिर पर जबर्दस्त जिम्मेदारी मौजूद है।

महासभा बागी मनोवृत्ति की प्रतिनिधि है। मैं जानता हूँ कि सलाह-मशाविरे के जरिये भारत की कठिनाइयों का सर्वसम्मत हल निकालने के लिए निमन्त्रित इस परिषद् में 'बागी' शब्द का उच्चारण न करना चाहिए। एक-के-बाद एक अनेक वक्ताओं ने कहा है कि भारत को अपनी स्वतन्त्रता सलाह-मशाविरे और दलीलों से ही प्राप्त करनी चाहिए और ग्रेट ब्रिटेन यदि भारत की मांगों को दलीलों से ही स्वीकार करेगा तो इसमें उसका अर्थात् ग्रेट ब्रिटेन का अत्यन्त गौरव समझा जायगा; किन्तु महासभा का मत सर्वथा ऐसा ही नहीं है। महासभा के पास दूसरा एक और मार्ग है जो कि आपको अप्रिय है।

मैंने कई वक्ताओं के भाषण सुने हैं और प्रत्येक वक्ता की बात को मैंने जहांतक सम्भव हो सका है पूरे ध्यान से और आदरपूर्वक समझने का प्रयत्न किया है। कई वक्ताओं ने कहा है कि यदि भारत में कानून-भंग, बलवा और हिस्क अत्याचार आदि की प्रवृत्ति पैदा हो जाय तो कितनी भयंकर मुसीबत आ पड़ेगी! मैं इतिहासज्ञ होने का ढोंग नहीं करता; किन्तु एक स्कूल के विद्यार्थी की तरह मुझे इतिहास के पर्चे में भी पास होना पड़ा था। मैंने उसमें पढ़ा कि इतिहास के पृष्ठ पर स्वतन्त्रता के लिए लड़ने वालों के रक्त का लाल धब्बा लगा हुआ है। मेरी जानकारी में ऐसा एक भी उदाहरण नहीं, जिसमें राष्ट्रों ने कष्ट सहे बिना स्वतन्त्रता प्राप्त की हो। मेरे मत से, स्वतन्त्रता के

और स्वाधीनता के अन्ध-प्रेमियों ने खूनी का खंजर विष का प्याला, बन्दूक की गोली, भाला तथा संहार के इन सब शस्त्रास्त्रों और साधनों का आज तक उपयोग किया है। फिर भी इतिहासकारों ने उसकी निन्दा नहीं की है। मैं हिंसावादियों की वकालत करने के लिए खड़ा नहीं हुआ हूँ। श्री गजनवी ने हिंसावादियों की चर्चा की और उनमें कलकत्ता कार्पोरेशन को भी सम्मिलित किया। उन्होंने जब कलकत्ता कार्पोरेशन की घटना का उल्लेख किया तो उससे मुझे चोट पहुँची। वे यह बात कहना भूल गये कि कलकत्ता के मेयर ने, जो स्वयं तथा कार्पोरेशन अपने महासभावादी सदस्यों के कारण जिस भूल में फंस गये थे, उसके लिए मुआवजा दिया है।

जो महासभावादी प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से हिंसा को उत्तेजना देते हैं, मैं उनकी वकालत नहीं करता। महासभा के ध्यान में उक्त घटना के आते ही उसने उसके प्रतिकार का प्रयत्न आरम्भ किया। उसने तुरन्त ही कलकत्ता के मेयर से इस घटना का विवरण मांगा और मेयर सज्जन है, इसलिए उन्होंने तुरन्त ही अपनी भूल स्वीकार कर ली और बाद में भूल-सुधार के लिए क्रान्तु से जो बात सभव थी उसपर अमल किया। इस घटना पर बोलकर मुझे इस परिषद का अधिक समय नहीं लेना चाहिए। कलकत्ता-कार्पोरेशन की ओर से चलने वाली चालीस पाठशालाओं के विद्यार्थी जो गीत गाते बताये जाते हैं उसका भी श्री गजनवी ने उल्लेख किया है। उनके भाषण में और भी ऐसी भ्रमपूर्ण बातें थी, जिनके सम्बन्ध में मैं बोल सकता हूँ; किन्तु उनपर बोलने की मेरी इच्छा नहीं है। कलकत्ता के उच्च कार्पोरेशन के सम्मान और सत्य के प्रति आदर के लिए तथा जो लोग अपना बचाव करने के लिए यहां उपस्थित नहीं हैं, उनकी ओर से मैं ये दो प्रकट एवं स्पष्ट उदाहरण यहां दे रहा हूँ। मैं एक क्षण के लिए भी यह बात नहीं मानता कि यह गीत कलकत्ता कार्पोरेशन की पाठशालाओं में कार्पोरेशन की जानकारी में सिखाया जाता था। मैं इतना अवश्य

जानता हूँ कि गत वर्ष के भयंकर दिनों में ऐसी कई बातें की गई थीं, जिनके लिए हमें खेद है और जिनके लिए हमने मुआवजा दिया है।

यदि कलकत्ते में हमारे बालकों को वह गीत गाना सिखाया गया हो, जो श्री गजनवी ने गाया है तो मैं उनकी ओर से क्षमा मांगने के लिए यहां मौजूद हूँ। किन्तु इतना मैं चाहूँगा कि इन पाठशालाओं के शिक्षकों ने यह गीत कार्पोरेशन की जानकारी और प्रोत्साहन से सिखाया है, यह बात साधित की जाय। महासभा के विरुद्ध इस प्रकार के आक्षेप अगणित बार लगाये जा चुके हैं और अगणित बार महासभा उनका उत्तर दे चुकी है। फिर भी इस अवसर पर मैंने इसका उल्लेख किया है और वह भी यह बताने के ख्याल से किया है कि स्वतन्त्रता के लिए लोग लड़े हैं, उन्होंने अपने प्राण गंवाये हैं और जिन्हें पदच्युत करना चाहते थे उन्हें मारा है और उनके हाथों मारे गये हैं।

अब महासभा रंगमच पर आती है; और इतिहास में अपरिचित एक नवीन उपाय—सविनय भग—खोज निकालती है, और उसका अनुकरण करती आती है। किन्तु मेरे सामने फिर एक पत्थर की दीवार आकर खड़ी होती है और मुझसे कहा जाता है कि दुनिया की कोई भी सरकार इस उपाय—इस पद्धति—को सहन नहीं कर सकती। अवश्य ही सरकार खुली बगावत को सहन नहीं कर सकती, किसी भी सरकार ने सहन नहीं किया है। सविनय भग को भी कोई सरकार सहन नहीं कर सकती है। किन्तु सरकारों को इस शक्ति के आगे झुकना पड़ा है, जिस प्रकार कि ब्रिटिश सरकार को आज से पहले करना पड़ा है। और महान् डच सरकार को भी आठ वर्ष कस्टीटी के बाद अनिवार्य स्थिति के सामने झुकना पड़ा था। जनरल स्मट्स बहादुर सेनापति हैं, महान् राजनीतिज्ञ हैं और अत्यन्त कठिन काम लेने वाले भी हैं। फिर भी जो निरपराध स्त्री-पुरुष केवल अपने आत्म-सम्मान की रक्षा के लिए लड़ते थे; उन्हें मार डालने की कल्पनामात्र से वे कांप उठे थे। और सन् १९०८ मेरे जिस चीज़ के स्वयं कभी न देने की उन्होंने प्रतिज्ञा की

थी और जिसमें जनरल बोथा का उन्हें सहारा था, वही चीज उन्हें सन् १९१४ में इन सत्याग्रहियों को पूरी तरह तपाने के बाद, देनी पड़ी। भारत में लार्ड चेम्सफोर्ड को यही करना पड़ा था। बम्बई के गवर्नर को बोरसद और बारदोली में यही करना पड़ा था। प्रधानमन्त्री महोदय, मैं आपको सूचित करना चाहता हूँ कि इस शक्ति का मुकाबला करने का समय अब चला गया है; और इसके आगे आज पसन्दगी पड़ी है जुदे मार्ग ग्रहण की बात है, इस बोझ से मैं दबा जाता हूँ। अपने देश के भाई-बहनों और उसी प्रकार बालकों को भी यदि इस अग्नि-परीक्षा में डाले विना कुछ हो सकता हो तो मैं गढ़ निराशा में भी आशा रखूँगा। अपने देश के लिए सम्मानपूर्ण समझौता प्राप्त करने के लिए शक्ति भर सब प्रकार के प्रयत्न कर छोड़ूगा। इन सबको इस प्रकार के संग्राम में फिर उतारने में मुझे सुव अथवा आनन्द नहीं है; किन्तु यदि हमारे भाग्य में अधिक अग्नि-परीक्षा लिखी ही हो तो मैं इसमें बड़ी प्रसन्नता के साथ प्रवेश करूँगा। मुझे बड़े-से-बड़ा आश्वासन यह है कि मुझे जो सत्य प्रतीत होता है, वही मैं करता हूँ; देश को जो सत्य प्रतीत होता है, वही वह करता है; और देश को यह जानकर अधिक संतोष होगा कि वह प्राण लेता तो नहीं, पर देता है; वह अंग्रेज लोगों को सीधा कष्ट नहीं देता, वरन् स्वयं कष्ट सह लेता है। प्रोफेसर गिलबर्ट मरे ने मुझसे कहा था—उनका यह चन्न मैं कभी न भूलूँगा, मैं केवल उसका अनुवाद करता हूँ—कि ‘आप एक क्षण के लिए भी यह नहीं मानते कि जब आपके हजारों देशबन्धु कष्ट सहन करते हैं, तब हम अंग्रेज लोग दुःखी नहीं होते, क्या हम इतने हृदय-शून्य हैं?’ मैं ऐसा नहीं मानता। मैं अवश्य जानता हूँ कि आप भी दुःखी होते हैं। किन्तु मैं चाहता हूँ कि आप दुःखी हों, क्योंकि मुझे आपका हृदय पिघलाना है; और जब आपका हृदय पिघलेगा, तभी सलाह-मशविरे का उपयुक्त समय आवेगा। सलाह-मशविरे में सम्मिलित होने के लिए, इतनी दूर आया हूँ, वह इसलिए कि मझे ऐसा प्रतीत हुआ

कि आपके देशबन्धु लार्ड अर्विन ने अपने आर्डिनेन्सों के जरिये हमें खूब तपा देखा है, उन्होंने पूरा सद्वृत पा लिया है कि भारत के हज़ारों स्त्री-पुरुष और बालकों ने कष्ट सहन किया है और आर्डिनेन्स हों तो क्या, लाठी बरसे तो क्या, आगे बढ़ता हुआ तूफान इनमें किसीसे भी रुकने वाला नहीं, आजादी के लिए तड़पते भारत के स्त्री-पुरुषों के हृदय में जो प्रबल भावनाएं जाग्रत हो गई है, उनके प्रवाह को रोका नहीं जा सकता।

अभी समय बिलकुल गया नहीं है; इसलिए मैं चाहता हूं कि महासभा जिस बात के लिए खड़ी है, आप उसे समझें। मेरा जीवन आपके हाथ में है। कार्य-समिति के, महासमिति के सब सदस्यों का जीवन आपके हाथ में है। किन्तु स्मरण रखिए कि इन करोड़ों मूर्क प्राणियों का जीवन भी आपके हाथ में है। मेरा बस चले तो मैं इन प्राणियों को नहीं होम देना चाहता। इसलिए स्मरण रखिए कि यदि संयोग से मैं कोई सम्पान्नपूर्ण समझौता करा सकूँ तो उसके लिए कितना भी बलिदान करों न करना पड़े मैं उसे बहुत न समझूँगा। महासभा के हृदय में यही भावना काम कर रही है कि भारत को सच्ची स्वतन्त्रता मिलनी चाहिए। उसकी यह भावना यदि मैं आपमें भर सकूँ तो आप मुझमें समझौते की बड़ी-से-बड़ी भावना भरी पावेंगे। स्वतन्त्रता को आप कुछ भी नाम दें गुलाब को दूसरा कोई भी नाम दे तो भी वह उतनी ही सुगन्धि देगा; किन्तु मैं जो चाहता हूं वह स्वतन्त्रता का असली गुलाब होना चाहिए, नकली नहीं। यदि आपके और उसी तरह महासभा के, इस परिषद् के और उसी तरह अंग्रेज जनता के मन में इस शब्द का एक ही अर्थ हो तो आप समझौते के लिए पूरा-पूरा अवसर पा सकेंगे; महासभा को समझौते के लिए सदैव तत्पर पावेंगे। किन्तु जबतक यह एकमत नहीं होता, जबतक जिस शब्द का आप, मैं और सब प्रयोग करते हैं, उसकी एक ही व्याख्या, एक ही अर्थ नहीं होता, तब-तक कोई समझौता सम्भव नहीं। हम जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं,

उनकी प्रत्येक के मन में जुदी-जुदी व्याख्या हो तो समझौता हो ही किस तरह सकता है? प्रधानमन्त्री महोदय, मैं अत्यन्त नम्रतापूर्वक कहना चाहता हूँ कि ऐसा आधार ढूँढ़ निकालना असम्भव है जहां कि आप समझौते की भावना का प्रयोग कर सकें। मुझे अत्यन्त दुःख के साथ कहना पड़ता है कि इन सब उक्ता देने वाले सप्ताहों में हम जिन शब्दों का प्रयोग कर रहे थे, उनकी कोई सर्व-सम्मत व्याख्या में अभी तक ढूँढ़ न सका।

गत सप्ताह एक शंकाशील सज्जन ने मुझे लन्दन का कानून बताकर कहा, “आपने ‘उपनिवेश’ (Dominion) की परिभाषा देखी है?” मैंने ‘उपनिवेश’ की व्याख्या पढ़ी और उसमें यह देखकर कि ‘उपनिवेश’ शब्द की पूरी व्याख्या की गई है और सामान्य व्याख्या के सिवा विशेष व्याख्या की गई है, स्वभावतः मैं किसी उलझन में नहीं पड़ा अर्थवा मुझे कुछ आधात न पहुँच सका। इसमें इतना ही कहा गया था कि “उपनिवेश शब्द में आस्ट्रेलिया, दक्षिण अफरीका, कनाडा आदि और अन्त में आयरिश फी स्टेट का समावेश होता है।” मेरा स्थान नहीं है कि मैंने उसमें इजिप्ट का नाम देखा हो। फिर उस सज्जन ने कहा, “आपके ‘उपनिवेश’ का क्या अर्थ है, यह आपने देखा?” मुझपर इसका कुछ असर न पड़ा। मेरे औपनिवेशिक अर्थवा पूर्ण स्वराज्य का क्या अर्थ किया जाता है, मुझे इसकी परवा नहीं। एक तरह से मेरा हृदय हलका हो गया।

मैंने कहा—मैं अब औपनिवेशिक झगड़े से बरी हूँ, क्योंकि मैं उससे अलग हो गया हूँ। मुझे तो पूर्ण स्वतन्त्रता चाहिए। और फिर भी कई अंग्रेजों ने कहा—हां, तुम्हें पूर्ण स्वतन्त्रता मिल सकती है, किन्तु पूर्ण स्वतन्त्रता का अर्थ क्या है? और फिर हम जुदी-जुदी व्याख्याओं पर आगये।

आपके एक बड़े राजनीतिज्ञ मेरे साथ बातचीत करते थे। उन्होंने कहा—सच कहता हूँ, मैं नहीं जानता था कि पूर्ण स्वतन्त्रता का आप-

यह अर्थ करते हैं। उन्हें जानना चाहिए था, फिर भी वे नहीं जानते थे और वे क्यों नहीं जानते थे, वह मैं आपको बतलाता हूँ। जब मैंने उनसे कहा कि “मैं साम्राज्य में साफेदार नहीं रह सकता”, तब उन्होंने कहा—अवश्य, यह तो इसका तर्क-सिद्ध अर्थ है। मैंने कहा—पर मुझे तो साफेदार होना है। मुझे यदि जबर्दस्ती साफेदार बनाया जाय तो मैं हर्गिज न बनूंगा; मुझे तो स्वेच्छा से ग्रेटब्रिटेन का साफेदार बनना है, मुझे अंग्रेज जनता का साफेदार बनना है। किन्तु जो स्वतन्त्रता अंग्रेज जनता भोगती है, उसीका मुझे भोग करना है, और मैं इस साफेदारी में केवल भारत के अथवा एक-दूसरे के लाभ के लिए शामिल नहीं होना चाहता; मैं यह साफेदारी इसलिए चाहता हूँ कि संसार के बुभुक्षित लोग जिस बोझ के नीचे कुचले जा रहे हैं, वे उसके भार से मुक्त हों।

इस बातचीत को हुए दस-बारह दिन हो गये। यह बात विचित्र तो मालूम होगी, किन्तु मुझे एक दूसरे अंग्रेज की तरफ से चिट्ठी मिली। इन्हे आप भी पहचानते हैं और उनके प्रति आदर-भाव रखते हैं। अन्य अनेक बातों के साथ उन्होंने लिखा है, “मेरा यह वृद्ध विश्वास है कि मनुष्यजाति की सुख-शांति का आधार अपनी मित्रता पर निर्भर है。” और मानो मैं न समझता होऊँ इस तरह वे लिखते हैं—ग्रापकी और मेरी जनता की मित्रता पर। आगे जो उन्होंने लिखा है, वह भी मुझे आपको पढ़-मुनाना चाहिए—और सच्चे अंग्रेज सब भारतीयों में केवल आपको ही चाहते हैं और समझते हैं।

उन्होंने कोई शब्द खुशामद में वरचाद नहीं किया है और मैं नहीं समझता कि उन्होंने अन्तिम वाक्य में स्वेच्छा में खुशामद के लिए लिखा है। मैं किसीकी खुशामद में नहीं आ सकता। इस चिट्ठी में ऐसी कई बातें हैं, जो यदि मैं आपको सुनाऊँ तो कदाचित् आप इस वाक्य का अर्थ अधिक समझ सकें। किन्तु मैं आपसे इतना ही कहता हूँ कि अन्तिम वाक्य उन्होंने मुझे खुद को ध्यान में रख कर नहीं लिखा है। मैं किसी गिनती

मे नही हूँ और मे जानता हूँ कि कई अंग्रेजों की दृष्टि में मे किसी गिनती मे नही हूँ; किन्तु कुछ अंग्रेज मुझे किसी गिनती मे समझते हैं, क्योकि मे एक राष्ट्र के, एक प्रभावशाली संस्था के प्रतिनिधि की हैसियत से आया हूँ, इसीलिए उन्होंने इन शब्दों का प्रयोग किया है।

किन्तु प्रधानमन्त्री महोदय, यदि मे कोई भी व्यावहारिक आधार पा सकू तो समझौते के लिए काफी अवसर है। मे मैत्री के लिए तरस रहा हूँ। मेरा कार्य गुलामों के मालिक और जालिम को जड़ उखाड़ना नही है। मेरी नीति मुझे ऐसा करने से रोकती है, और आज महासभा ने मेरी तरह इस नीति को धर्म की तरह तो नही, किन्तु व्यावहारिक रूप मे स्वीकार किया है। क्योकि महासभा का विश्वास है कि भारत के लिए—३५ करोड़ के राष्ट्र के लिए—यही योग्य और सर्वोत्तम मार्ग है।

३५ करोड़ की आबादी के राष्ट्र को खूनी के खंजर की आवश्यकता नही, उसे तलवार, भाला अथवा गोली की आवश्यकता नहीं, उसे केवल अपने सकल्प की जरूरत है; 'नही' कहने की शक्ति की आवश्यकता है और वह राष्ट्र आज 'नही' कहना सीख रहा है।

किन्तु यह राष्ट्र करता क्या? अंग्रेजों को एकदम अलग करता है? नही। उसका उद्देश्य आज अंग्रेजों का हृदय-परिवर्तन करना है। डलैण्ड और भारत के बीच का यह बन्धन में तोड़ना नही चाहता; किन्तु उसका रूप बदलना चाहता हूँ। मे उस गुलामी को पूर्ण स्वतन्त्रता के रूप मे बदलना चाहता हूँ। इसे आप पूर्ण स्वतन्त्रता कहे अथवा दूसरा कुछ भी नाम दे, मे उस शब्द के लिए झगड़ने नही बैठूगा। और यदि मेरे देशबन्धु उस शब्द को स्वीकार कर लेने के लिए मेरा विरोध करे तो जबतक आपके सुभाये हुए शब्द में मेरे अर्थ का समावेश होता होगा, तबतक मैं इस विरोध को सहने के लिए भी समर्थ हो सकूंगा। इसलिए मुझे अगस्ति बार आपका ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना पड़ता है कि जो संरक्षण आपने सुभाये हैं, वे सर्वथा असन्तोषजनक हैं। वे भारत के हित में नही हैं।

वाणिज्य और 'उद्योग-संघों' के तीन विशेषज्ञों ने अपने-अपने जुदे तरीके से, अपनी विशेषज्ञता के अनुभव से बताया है कि जहाँ देश की ३० फी सदी आय गिरवी रखदी गई है, जिसके कि वापस आने की कोई संभावना नहीं, वहाँ किसी भी उत्तरदायी मंत्रिमण्डल के लिए देश का शासनतन्त्र चलाना असम्भव बात है। मेरी अपेक्षा कहाँ अधिक अच्छी तरह, अपने प्रचुर ज्ञान से, उन्होंने बताया है कि इन आर्थिक संरक्षणों का भारत के लिए क्या अर्थ है। ये भारत को सर्वथा अपाहिज अथवा अपंग बना देनेवाले हैं। इस परिषद् में आर्थिक संरक्षणों की चर्चा हुई है; किन्तु इसमें सेना—रक्षण—के प्रश्न का भी समावेश हो जाता है। फिर भी, यद्यपि मैं कहता हूँ कि जिस रूप में ये संरक्षण पेश किये गये हैं, उस रूप में वे असन्तोषजनक हैं, तथापि विना किसी हिचकिचाहट के मैंने यह भी कहा है और यिना किसी हिचकिचाहट के फिर कहता हूँ कि जो संरक्षण भारत के लिए हितकर सिद्ध कर दिये जायंगे, उन्हें देने के लिए, उन्हे स्वीकार करने के लिए महासभा वचनबद्ध है।

सध-विधायक समिति की एक बैठक में मैंने यिना किसी सकोच के इसी स्वीकृति का विस्तार किया था और कहा था कि ये संरक्षण ग्रेट ब्रिटेन के लिए भी लाभप्रद होने चाहिए। अकेले भारत के लिए लाभप्रद और ग्रेट ब्रिटेन के वास्तविक हित के लिए हानिकारक हों, ऐसे संरक्षण मुझे नहीं चाहिए। भारत के कल्पित हितों का बलिदान करना होगा। ग्रेट ब्रिटेन के कल्पित हितों का बलिदान करना होगा। भारत के अवैध हितों का बलिदान करना होगा, ग्रेट ब्रिटेन के अवैध हितों का भी बलिदान करना होगा। इसलिए मैं फिर दुहराता हूँ कि यदि हम एक ही शब्द का एक ही सा अर्थ करते हों तो मैं थी जयकर के साथ, सर तेजबहादुर सप्त के साथ और इस परिषद् में बोलने वाले अन्य प्रसिद्ध वक्ताओं के साथ सहमत हो जाऊंगा।

इतने सब परिश्रम के बाद हम सब ठीक-ठीक एकमत पर आ गये हैं

इस बात में मैं उनके साथ राजी हो जाऊँगा ; किन्तु मेरी निराशा और मेरा दुःख यह है कि मैं इन शब्दों को इसी अर्थ में नहीं देख रहा हूँ । मुझे भय है कि संरक्षणों का श्री जयकर ने जो अर्थ किया है, वह मेरे अर्थ से जुदा है और उदाहरण के तौर पर, कौन जाने कदाचित् सर सेम्युअल होर के मन में उसका दूसरा ही अर्थ हो । सच पूछा जाय तो हम अभी अखाडे में उतरे ही नहीं हैं । मैं इतने दिनों से वास्तव में अखाडे में उतरने के लिए आतुर हूँ, तडप रहा हूँ और मैंने सोचा—हम अधिकाधिक निकट क्यों नहीं आते और हम अपना समय वाक्पद्गता में, वक्तृत्व और वादविवाद तथा छोटी-छोटी बातों में विजय प्राप्त करने में क्यों बरबाद कर रहे हैं ? भगवान् जानता है कि मुझे अपनी खुद की आवाज मुनने की जरा भी इच्छा नहीं है । ईश्वर जानता है कि किसी भी वादविवाद में भाग लेने की मेरी जरा भी इच्छा नहीं है । मैं जानता हूँ कि स्वतन्त्रता इससे कठिन वस्तु है, और मैं जानता हूँ कि भारतवर्ष की स्वतन्त्रता उससे भी अधिक कठिन है । हमारे सामने ऐसी समस्याएँ हैं, जो किसी भी राजनीतिज्ञ को चक्कर में डाल सकती हैं । हमारे सामने ऐसी समस्याएँ हैं जो अन्य राष्ट्रों के सामने न आई थीं अथवा जिनका उन्हे हल न करना पड़ा था । किन्तु मैं उनसे हारता नहीं हूँ । भारत की आवोहवा में पले हुए लोग उनसे हार नहीं सकते । ये समस्याएँ हमारे साथ लगी हुई हैं, जिस प्रकार हमें अपने प्लेग को दूर करना है; हमें अपने मलेशिया-ज्वर की समस्या को मुकाबला है; आपको जो न करना पड़ा, वह नाप, विच्छू, दन्दर, बाघ और सिंह की समस्याओं का हल हमें करना है । हमें इन समस्याओं का हल करना है, क्योंकि हम उस आवोहवा में पते हैं ।

इनसे हम घबराते नहीं । कैसे भी क्यों न हो, पर इन जहरीले कीड़-मकौड़ों और तरह-नरह के जानवरों के प्रहारों का मुकाबला करते हुए भी हम अपने अस्तित्व को आज भी कायम रखते हुए हैं । इसी प्रकार इस समस्या का भी हम मुकाबला करेंगे और अन्ततोगत्वा कोई-न-कोई

रास्ता निकाल ही लेगे । परन्तु आज तो आप और हम एक गोलमेज के आस-पास डसलिए एकत्र हुए हैं कि आपस में मिल-जुल कर कोई संयुक्त योजना ढूढ़ निकालें, जो कि अमल में लाई जा सके । कृपया विश्वास कीजिए कि मैं यहाँ समझौते के लिए ही आया हूँ । महासभा की ओर से पेश किये हुए अपने दावे में, जिसको मैं यहा दुहराना नहीं चाहता, मैं कोई कमी नहीं करता, न सब-विधायक समिति में मुझे जो भाषण देने पड़े उनका एक भी शब्द ही वापस लेता हूँ, फिर भी मैं कहता हूँ कि त्रिटिश कल्पनाशक्ति से जो भी कोई योजना या विधान तैयार हो सके, अथवा श्री शास्त्री, सर तेजबहादुर सप्रू, श्री जयकर, श्री जिन्ना, सर मुहम्मद शफी तथा इन जैसे दूसरे बहुत से विधान-विशारदों की कल्पना-शक्ति से जो कोई योजना तैयार हो सके उस सबपर विचार करने के लिए ही मैं यहाँ हूँ ।

मैं घबराऊगा नहीं । और जबतक जरूरत होगी मैं यहीं बना रहूँगा, क्योंकि सविनय-अवज्ञा को मैं फिर से जारी नहीं करना चाहता । दिल्ली में जो अस्थायी सन्धि^{कृष्णप्रिया} उसे मैं स्थायी सन्धि के रूप में परिवर्तित करना चाहता हूँ । लेकिन ईश्वर के लिए मुझे, ६२ बरस के इस बूढ़े आदमी को, इसके लिए थोड़ा अवसर तो दो । मेरे लिए और जिस स्थान का मैं प्रतिनिधित्व करता हूँ उसके लिए अपने हृदय में थोड़ा स्थान तो बनाओ । लेकिन उस स्थान पर आप विश्वास नहीं करते, हालांकि प्रत्यक्षतया मुझमें आप विश्वास करते हुए भले ही जान पड़े । परन्तु एक क्षण के लिए भी आप मुझे उस स्थान से भिन्न न समझिए, जिसका कि मैं तो समुद्र में एक बिन्दु के समान हूँ । मैं उस स्थान से हरगिज बड़ा नहीं हूँ, जिससे कि मैं सम्बन्धित हूँ । मैं तो उम मस्या स कही छोटा हूँ—और, यदि आप मेरे लिए स्थान रखने हो, अगर मुझपर आप विश्वास करते हों तो मैं आपको आमन्त्रित करता हूँ कि आप महासभा पर भी विश्वास कीजिए, अन्यथा मुझपर आपका जो विभवास है वह किसी काम का नहीं । क्योंकि मेरे पास अपना कोई अधिकार नहीं है,

सिवा उसके कि जो महासभा से मुझे मिला है। यदि आप महासभा की प्रतिष्ठा के अनुसार काम करेगे ता आतंकवाद को आप नमस्कार कर लेंगे; तब, आतंकवाद का दबाने के लिए, आपका आतकवाद को जारूरत नहीं पड़ेगी। आज तो आपको अपने अनुशासनयुक्त और सगठित आतंकवाद द्वारा वहाँ पर मौजूद आतंकवादियों से लड़ना है, क्योंकि वास्तविकता से अथवा दैववाणी से आप अन्धों की तरह विमुख ही रहेंगे। क्या आप उस वाणी को न सुनेंगे, जो इन आतंकवादियों या क्रांतिकारियों के रक्त से लिखी जा रही है? क्या आप यह नहीं देखेंगे कि हम जो रोटी चाहते हैं वह गेहूं की बनी नहीं बल्कि स्वतन्त्रता की रोटी चाहते हैं, और जब-तक वह रोटी मिल नहीं जाती, वह आजादी मिल नहीं जाती, ऐसे हजारों लोग आज मौजूद हैं, जो इस बात के लिए प्रतिज्ञाबद्ध हैं कि उस वक्त तक न तो खुद शान्ति लेंगे और न देश को ही शांति से रहने देंगे?

मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप उस दैववाणी को सुने। मैं कहता हूँ कि जो राष्ट्र पहले ही आगे सन्तोष के लिए कहावत तक में मशहूर है उसके सन्तोष की आप परीक्षा न करें। हिन्दुओं की विनम्रता तो प्रसिद्ध ही है; पर मुसलमान भी हिन्दुओं के अच्छे या बुरे सम्बन्ध से बहुत-कुछ विनम्र बन गये हैं। और, हाँ, मुसलमानों का यह हवाला सहसा मुझे अल्पसंख्यकों की उस समस्या का स्मरण करा देता है, जो कि एक पेचीदा समस्या है। विश्वाम कीजिए कि वह समस्या हमारे यहाँ मौजूद है और हिन्दुस्तान में जो बात मैं अद्वितीय कहा करता था उसे मैं भूल नहीं गया हूँ—उन शब्दों को यहा फिर से दुहराता हूँ—कि अल्पसंख्यकों की समस्या का जबतक हल नहीं हो जाता तबतक हिन्दुस्तान के लिए स्वराज्य नहीं है—हिन्दुस्तान के लिए आजादी नहीं है। मैं जानता हूँ कि मैं इस बात को महसूब करता हूँ, फिर भी जो मैं यहाँ आया हूँ वह सिर्फ़ इसी आशा से कि शायद अकस्मात् यहाँ मैं इसका कोई उपाय निकाल सकूँ, आज भी इस बात से मैं बिलकुल नाउम्मीद नहीं हो गया हूँ कि एक-न-एक दिन अल्पसंख्यकों की समस्या का कोई-न-कोई वास्तविक और

स्थायी हल मिल ही जायगा । जैसा कि मैंने अन्यत्र कहा है, उसीको मैं फिर से दुहराता हूँ कि जबतक विदेशी शासन-रूपी तलवार एक जाति को दूसरी जाति से और एक श्रेणी को दूसरी श्रेणी से विभक्त करती रहेगी तबतक कोई भी वास्तविक स्थायी हल नहीं होगा; न इन जातियों के बीच स्थायी मैत्री ही होगी ।

यदि कोई हल हुआ भी तो आखिर में और बहुत-से-बहुत, वह कागजी ही होगा । लेकिन जैसे ही आप उस तलवार को हटा लें कि वैसे ही घरेलू बन्धन, घरेलू प्यार-मुहब्बत, सयुक्त उत्पत्ति का ज्ञान, क्या आप समझते हैं कि इन सबका कोई असर न पड़ेगा ?

क्या ब्रिटिश शासन से पहले, जबकि यहाँ किसी अंग्रेज की शक्ति तक दिखलाई नहीं पड़ती थी, हिन्दू और मुसलमान तथा सिक्ख हमेशा एक-दूसरे से लड़ते ही रहते थे ? हिन्दू और मुसलमान इतिहासकारों के लिखे उस वक्त के जो गद्य-पद्य-वर्णन हमारे यहाँ मौजूद हैं, उनसे तो, इसके विषयीत यहीं प्रकट होता है कि आज की अपेक्षा उस ममत्य हम कहीं शान्ति से रह रहे थे और आज भी गाँवों में हिन्दू-मुसलमान कहाँ लड़ रहे हैं ? उन दिनों तो वे एक-दूसरे से बिलकुल लड़ते ही नहीं थे । मौ० मुहम्मद अली, जो स्वयं थोड़े-बहुत इतिहासज्ञ थे, अक्सर यह बात कहा करते थे । मुझसे उन्होंने कहा था—अगर परमेश्वर, उनके शब्दों में कहें तो—‘अल्लाह’, मुझे जिन्दगी दे, तो मेरा इरादा है कि मैं भारत के मुसलमानी शासन का इतिहास लिखूँ । उस वक्त उन्होंने कागज़-पत्रों से, जिन्हें कि अंग्रेजों ने सुरक्षित रख रखा है, मैं दिखलाऊँगा कि औरंगज़ेब वैसा दुष्ट नहीं था जैसा कि अंग्रेज इतिहासकारों ने उसे चित्रित किया है; और न मुगल शासन ही वैसा खराब था जैसा कि अंग्रेजी इतिहास में हमें बतलाया गया है; इत्यादि-इत्यादि । और यही बात हिन्दू-इतिहासकारों ने लिखी है । दरअसल यह झगड़ा बहुत पुराना नहीं है, बल्कि इस तीव्र लज्जा (पराधीनता) का ही समवयस्क है । मैं तो यह कहने का साहस करता हूँ कि अंग्रेजों के आगमन के साथ ही इसका जन्म हुआ है और

जैसे ही यह सम्बन्ध—ग्रेट ब्रिटेन और भारतवर्ष के बीच का यह दुर्भाग्य-पूर्ण, कृत्रिम एवं अस्वाभाविक सम्बन्ध—स्वाभाविक सम्बन्ध के रूप में परिवर्तित हो जायगा, जबकि—यदि ऐसा हो सके कि—यह स्वैच्छिक या भागीदारी का सम्बन्ध हो जायगा कि जिसमें किसी भी पक्ष की इच्छा होने पर उसे छोड़ा या तोड़ा जा सके, तो आप देखेगे कि हिन्दू, मुसलमान, सिक्ख, अग्रेज़, अधगोरे, ईसाई, अद्वृत मब कैसे एक आदमी की तरह आपस में मिल-जुल कर रह सकते हैं।

नरेशों के बारे में आज मैं अधिक नहीं कहना चाहता; मगर मैं उनके और महासभा के साथ अन्याय करूँगा यदि गोलेमेज़-परिपद-सम्बन्धी तो नहीं किन्तु नरेशों के साथ के अपने दावे को पेश न करूँ! सघ-शासन में शामिल होने के लिए वे अपनी जो शर्तें पेश करे, उसकी उन्हें क्षृट है। परन्तु मैंने उनसे प्रार्थना की है कि वे भारत के अन्य भागों में रहने वालों के लिए भी मार्ग सुगम करदे, इसलिए सिर्फ उनके कृपापूर्ण और गम्भीर विचार के लिए मैं कुछ सूचनाएँ भर कर सकता हूँ। मैं समझता हूँ कि यदि वे समस्त भारत की सयुक्त सम्पत्ति के रूप में कुछ मौलिक अधिकारों को, फिर वे कुछ भी क्यों न हो, स्वीकार करते और उस स्थिति को स्वीकार कर न्यायालय द्वारा—और वह न्यायालय भी तो उन्हीं के द्वारा बना हुआ होगा—उनकी जांच होने दे और अपने प्रजाजनों की ओर से प्रतिनिधित्व के सिद्धान्त को—केवल सिद्धान्त को ही—वे प्रारम्भ कर दे, तो मैं समझता हूँ कि वे अपने प्रजाजनों को मिलाने, उनका सहयोग प्राप्त करने की दिशा में एक लम्बा रास्ता तय कर लेंगे। यह दिखलाने के लिए कि उनके अन्दर भी प्रजातन्त्रीय भावना प्रज्वलित है, और वे शुद्ध स्वेच्छाचारी बने रहना नहीं चाहते वरन् ग्रेट ब्रिटेन के राजा जार्ज की तरह अपने प्रजाजनों के बैंध शासक बनना चाहते हैं। इस प्रकार वे अवश्य ही लम्बा कदम रखेंगे।

भारतवर्ष जिसका हङ्कदार है और जिसे वस्तुतः वह ले सकता है, वह उसे लेना चाहिए। परन्तु उसे जो कुछ भी मिले और जब भी मिले,

सीमा-प्रान्त को तो पूर्ण स्वाधिकार (Autonomy) आज ही मिल जाने दीजिए। उस हालत में सीमा-प्रान्त सारे भारतवर्ष के लिए एक समुपस्थित प्रदर्शन होगा। अतएव सीमा-प्रान्त को कल ही प्रान्तीय स्वराज्य मिल जाय, महासभा का सारा मत इसी पक्ष में मिलेगा। प्रधानमन्त्री महोदय, यदि मन्त्रि-मण्डल से यह प्रस्ताव स्वीकृत करा लेना सम्भव हो कि कल से ही सीमा-प्रान्त पूर्णतया स्वाधिकार-भोगी (Autonomous) प्रान्त बन जाय तो मैं सरहदी कौमों के बीच अपना उपयुक्त स्थान ले लूगा और जब सरहद के उस पार वाले लोग भारत पर कोई बुरी नज़र डालेंगे तो उन्हे अपना मददगार बना लूगा।

सबके अन्त में, मैं कहूँगा कि अन्त का विषय मेरे लिए बड़ा आनन्द-दायी है। आपके साथ बैठकर समझौते की बातचीत करने का शायद यही आखिरी मौका है। यह बात नहीं कि मैं ऐसा चाहता हूँ। मैं तो आपकी एकान्त-मत्रणाओं में भी आपके साथ इसी मेज पर बैठना और आपके साथ चर्चा तथा अपना पक्ष पेश करना चाहता हूँ और आखिरी कुदकी या डुबकी लगाने से पहले घुटने तक टेक देने को तैयार हूँ। लेकिन मेरा ऐसा सौभाग्य है या नहीं कि मैं आपके साथ ऐसा सहयोग जारी रखूँ, यह बात मेरे ऊपर निर्भर नहीं है। सभव है कि यह आपपर भी निर्भर न हो। यह तो इतनी मारी परिस्थितियों पर निर्भर है कि जिनपर शायद न तो आपका और न हमारा ही किसी प्रकार का कोई नियन्त्रण होगा। अतः श्रीमान् सम्राट् से लेकर जहा मैंने अपना निवास-स्थान बनाया उस ईस्ट-एण्ड के दरिद्रतम लोगों तक को धन्यवाद देने की आनन्दमयी रस्म तो मुझे अदा कर ही लेने दीजिए। लन्दन के उस मुहल्ले में, जिसमें ईस्ट-एण्ड के गरीब लोग रहते हैं, मैं भी उन्हींमें का एक बन गया हूँ। उन्होंने मुझे अपना ही एक सदस्य और अपने कुटुम्ब का एक अनुग्रहीत सम्भ्य मान लिया है। यहा से मैं अपने साथ जो-कुछ ले जाऊँगा उसमें यह एक सबसे अधिक कीमती खजाना होगा। यहा भी मेरे साथ सम्भ्य व्यवहार ही हुआ है और जिनके भी सम्पर्क में आया,

उनका शुद्ध स्नेह ही मुझे प्राप्त हुआ है। इतने सारे अंग्रेजों के सम्पर्क में मैं आया हूँ यह मेरे लिए एक अमूल्य सुविधा हुई है। उन्होंने वे सब बातें सुनी हैं कि जो अवश्य ही अक्सर उन्हें बुरी लगती होंगी, हालांकि वे हैं सब सच। इन बातों को अक्सर मुझे उनसे कहना पड़ा है, मगर उन्होंने कभी ज़रा अधीरता या भुक्खलाहट प्रकट नहीं की। मेरे लिए यह सम्भव नहीं कि इन बातों को भूल जाऊँ। मुझपर कैसी भी क्यों न बीते, गोलमेज़-परिषद् का भविष्य कैसा भी क्यों न हो, एक बात ज़रूर में अपने साथ ले जाऊँगा, वह यह कि बड़े से लेकर छोटे तक हर एक से मुझे पूरी-पूरी कृपा और पूर्ण प्रेम ही प्राप्त हुआ है। मैं सोचता हूँ कि इस मानुषी-प्रेम को पाने के लिए, मेरा यह इंग्लैण्ड-आगमन अवश्य ही बहुमूल्य रहा है।

अंग्रेज स्त्री-पुरुषों को हिन्दुस्तान के बारे में अक्सर गलत खबर मिलती रही हैं कि जिससे मैं आपके अखबारों को गन्दा देखता हूँ, और लंकाशायर में तो वहां वालों को मुझसे चिढ़ने का कुछ कारण भी था, फिर भी ओर-तो-ओर पर वहां के श्रमिकों में भी मुझे कोई चिढ़ या क्रोध नहीं मिला। इस बात ने मनुष्य-स्वभाव में जो अखण्ड विश्वास है उसे और भी बढ़ा दिया है, गहरा कर दिया है। श्रमिक स्त्री-पुरुषों ने मुझे गले लगाया और मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया, मानो मैं भी उन्हींमें का होऊँ। मैं इसे कभी न भूलूँगा।

फिर मैं अपने साथ हजारों अंग्रेजों की मित्रताएं भी तो ले जा रहा हूँ। मैं उन्हें जानता नहीं, किन्तु बड़े सवेरे जब मैं आपकी गलियों में घूमने निकलता हूँ तब उनकी आंखों में उस स्नेह के दर्शन करता हूँ। मेरे दुःखी देश पर चाहे कैसी ही क्यों न बीते, यह सब आतिथ्य, यह सब कृपालुता कभी भी मेरी स्मृति से दूर नहीं हो सकती, अन्त में एक बार फिर मैं आपकी सहिष्णुता के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ।

: १२ :

अलविदा !

प्रधानमन्त्री महोदय और मित्रों, सभापति के धन्यवाद का प्रस्ताव पेश करने का सौभाग्य और उत्तरदायित्व मुझपर आया है और इस सौभाग्य और उत्तरदायित्व को स्वीकार करते हुए मुझे बड़ा आनन्द होता है। जो सभापति सज्जनता और विवेक के साथ सभा का कार्य संचालन करता है वह तो हमेशा धन्यवाद का पात्र होता ही है, फिर चाहे सभा के सदस्य सभा में हुए निर्णयों अथवा स्वयं सभापति द्वारा प्रदत्त निर्णय से सहमत हों अथवा न हों।

प्रधानमन्त्री महोदय, मैं यह जानता हूँ कि आपपर दोहरा कर्तव्य-भार था। आपको परिषद् का काम-काज तो पर्याप्त शोभा और निष्पक्षता के साथ करना ही था; किन्तु साथ ही अक्सर आपको सरकारी निर्णयों पर भी यहां पहुँचना पड़ता था।

और सभापति-पद से आपका अन्तिम कार्य इस परिषद् में छिड़े हुए विषयों पर सरकार का विचारपूर्वक किया हुआ निर्णय ज्ञाहिर करना था। आपके कार्य के इस अंग पर मैं इस समय कुछ नहीं कहना चाहता; किन्तु मेरे लिए विशेष आनन्ददायी भाग तो आपने जिस तरह कार्य-संचालन किया वह है और आपने अनेक बार समय का ध्यान करा कर जो शिक्षा दी है उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। सभापति लोग बहुत बार इस अत्यावश्यक कर्तव्य को भुला देते हैं और मुझे स्वीकार करना चाहिए कि मेरे देश में तो वे जिस तरह नियमित रूप से इस कर्तव्य को भुला देते हैं, उसे देखकर जी उकता जाता है। हम लोगों में समय का पर्याप्त ध्यान है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। प्रधानमन्त्री महोदय, मैं जब वापस हिन्दुस्तान जाऊंगा, तब विलायत

के प्रधानमन्त्री ने समय की पावन्दी-मम्बन्धी जो शिक्षा दी है, बड़ी खुशी के साथ उसे मैं अपने देश-बन्धुओं को समझाने की कोशिश करूँगा।

दूसरी जो चीज आपने हमे बताई है, वह आपका आश्चर्यजनक परिश्रम है। स्कॉटलैण्ड की कठोर आबोहवा मे पले हुए होने के कारण आप यह नहीं जानते कि आराम कैसा होता है और न हमे भी यह जानने दिया जाता है कि आराम कैसा होता है। करीब-करीब बेजोड़ अविश्वास्ता के साथ आपने हमसे—मेरे मित्र और पूज्य भाई वयोवृद्ध प० मदनमोहन मालवीयजी एवं मेरे-जैसे बूढ़े आदमी से—भी काम लिया है।

आप जैसे स्काच को गोभा देने वाली निर्दयता के साथ आपने मेरे मित्र और माननीय नेता शास्त्रीजी को काम कर-कर के लगभग थका ही दिया है। आपने कल हमसे कहा भी था कि आप उनके शरीर की हालत जानते थे, फिर भी कर्त्तव्य की प्रेरणा के सामने समस्त वैयक्तिक वातों को आपने एक ओर रख दिया। इसके लिए आप सम्मान के पात्र हैं और आपके इस आश्चर्य-कारक परिश्रम को मैं सदैव स्मरण रखूँगा।

लेकिन इस सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूँ कि यद्यपि मैं शैथिल्य पैदा करनेवाली जल-वायु का जीव समझा जाता हूँ, फिर भी कदाचित् परिश्रम मे हम आपके साथ मुकाबला कर सकेंगे। किन्तु इसकी कोई बात नहीं। जैसा कि आपका हाउस ऑफ़ कामन्स कभी-कभी करता है, कल पूरे चौबीस घण्टे काम करके जो आपने इस बात का नमूना बताया हो कि बाज-बाज मौके पर आप कैसे अविश्वास्त काम कर सकते हैं तो आप जरूर बाजी मार ले जायगे।

अतएव धन्यवाद का प्रस्ताव पेश करते हुए मैं बड़ा खुश हूँ। किन्तु मुझे जो उत्तरदायित्व दिया गया है, उसका पालन करने और उसमे अपना सौभाग्य मानने का एक और भी कारण है, और वह शायद बड़ा कारण है। कुछ संभव है—कुछ सम्भव है यही मैं कहूँगा, क्योंकि

ग्रापकी घोषणा का मेरे एक बार, दो बार, तीन बार, जितनी बार आवश्यकता होगी, उतनी बार अध्ययन करूँगा, उसके एक-एक शब्द का अर्थ समझूँगा, उसमे गूढ़ता होगी तो उसे भी खोजूँगा । उसके अन्तर्गत जो-कुछ छिपा होगा उसे समझ लूँगा ग्रार तभी यदि आना हुआ तो मैं इस निर्णय पर आऊँगा, जैसी कि अभी मम्भावना दिखाई पड़ती हैं कि मुझे तो अब अपने जुदे गस्ते ही जाना होगा ।

हमारे रास्ते जुदी-जुदी दिग्गजों मे जाते हैं, तथापि हमें उसकी कोई चिन्ता नहीं है । आप तो मेरे हार्दिक और आन्तरिक धन्यवाद के पात्र हैं । हमारे इस मनुष्य समाज मे एक-दूसरे के प्रति आदर-भाव रखने के लिए हमें एक-दूसरे के साथ सहमत होना ही चाहिए, ऐसी बात नहीं है । अपना कोई सिद्धात ही न रहे, इस हद तक एक-दूसरे के विचारों के लिए सूक्ष्म आदर या नम्रता नहीं रखी जा सकती । इसके विपरीत मनुष्य-स्वभाव का गौरव तो इसमे है कि हम जीवन की हँसीचलों से टक्कर लें । कई बार सगे भाइयों तक को अपने-अपने रास्ते जाना पड़ता है; किन्तु यदि कलह के अन्त मे—मतभेदों के अन्त मे—वे यह कह सके कि उनके मनों मे द्वेष न था और सज्जन और सैनिक की तरह उन्होने एक-दूसरे के साथ व्यवहार किया, तो कोई चिन्ता की बात नहीं । यदि इस प्रकरण के अन्त मे मैं अपने एवं अपने देश-वन्धुओं के विषय मे यह कह सकूँ और प्रधानमन्त्री आपके तथा अपके देश-वन्धुओं के विषय मे कह सके, तो मैं कहूँगा कि हम अच्छी तरह विदा हुए हैं । मे नहीं जानता कि मेरा रास्ता किस दिशा मे होगा, किन्तु मुझे इस बात की कोई चिन्ता नहीं है । अतः मुझे आपसे विलकुल विपरीत दिशा से जाना पड़े तो भी आप तो मेरे आन्तरिक धन्यवाद के अधिकारी हैं ।

परिशिष्ट (१)

दिल्ली का समझौता—५ मार्च सन् १९३१ ईसवी

[वाइसराय और गांधीजी के बीच हुई बातचीत के परिणामस्वरूप हुए जिस समझौते के कारण महासभा ने सविनय आज्ञाभंग के आन्दोलन को स्थगित कर दूसरी गोलमेज परिषद में भाग लेना स्वीकार किया था, उसके कुछ आवश्यक अंश नीचे उद्धृत किये जाते हैं ।]

धारा २—विधान-सम्बन्धी प्रश्नों के विषय में भविष्य में होनेवाली बातचीत का विस्तार-क्षेत्र, सम्राट सरकार की अनुमति द्वारा, आगे बातचीत करने के लिए गोलमेज सभा द्वारा प्रस्तावित भारत के लिए वैध-शासन की योजना ही है । उस प्रस्तावित योजना का संघ-शासन एक मुख्य अंग है—इसी प्रकार कुछ संरक्षण, जो भारत के हित में होंगे, जैसे रक्षा, परराष्ट्र-सम्बन्धी प्रश्न, अल्पसंख्यक जातियों का स्थान, भारत की साख और आर्थिक जिम्मेदारियां, ये उसी योजना के प्रमुख अंग हैं ।

धारा ६—विदेशी माल के बहिष्कार से दो बातें पैदा होती हैं—पहली बहिष्कार का रूप और दूसरी बहिष्कार करने के तरीके । इस विषय में सरकार की नीति यह है—भारत की माली हालत को तरक्की देने के लिए आर्थिक और व्यावसायिक उन्नति के हितार्थ चालू की हुई योजना के अंग-रूप भारतीय कलाकौशल को प्रोत्साहन देने में सरकार की सहमति है और उसकी यह इच्छा नहीं है कि इस विषय में किये हुए प्रचार, शान्ति से समझाना और विज्ञापन आदि का, जो किसीकी वैयक्तिक स्वतन्त्रता में बाधा न उपस्थित करें और जो क्रान्तु और शांति की रक्षा के प्रतिकूल न हों, विरोध करे । विदेशी माल का बहिष्कार (सिवाय कपड़े के, जिसमें सब विदेशी कपड़े शामिल हैं) सविनय आज्ञाभंग आन्दोलन के दिनों में, केवल नहीं तो विशेषकर,

अप्रेजी माल के विरुद्ध ही लागू किया गया है और वह भी, जैसा कि स्वीकार भी किया गया है, राजनैतिक व्येष-प्रालिन के हितार्थ दबाव डालने के लिए।

अत. यह स्वीकार किया जाता है कि ब्रिटिश भारत, देशी राज्य, सम्राट् की मरकार और इंग्लैंड के विभिन्न राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के बीच होनेवाली स्पष्ट और मित्रतापूर्ण बातचीत में महासभा के प्रतिनिधियों की शिरकत के, जो इस समझौते का प्रयोजन है, उपरोक्त रूप में और उपरोक्त कारणों से किया हुआ बहिष्कार विपरीत होगा।

इसलिए यह तथ्य हुआ कि सविनय आज्ञाभग आंदोलन के स्थगित होने में ब्रिटिश माल के बहिष्कार को राजनैतिक शस्त्र के तौर पर काम में न लाना भी शामिल है। इसलिए आन्दोलन के समय में जिन-जिन ने ब्रिटिश माल की खरीद-फरोख्त बन्द करदी थी, यदि वे अपना निश्चय बदलना चाहे तो उनको अबाध्यरूप में ऐसा करने दिया जाय।

भारा ३—विदेशी माल के स्थान पर भारतीय माल व्यवहार कराने और माटक द्रव्यों के व्यवहार को कम करने के लिए जो उपाय काम में लाये जाते हैं, उनके विषय में वह तथ्य किया जाता है कि ऐसे उपाय, जो कानून-सम्मत पिकेटिंग के विपरीत हैं, व्यवहार में नहीं लाये जायगे : ऐसी पिकेटिंग शान्तिमय होनी चाहिए और उसमें जबरदस्ती धमकी, विश्व भड़काहट, प्रजा के कार्य में बाधा और किनी कानूनी जुर्म में उमका कोई सम्बन्ध नहीं होना चाहिए। यदि कही उपरोक्त उपायों से काम लिया गया तो वहा का पिकेटिंग स्थगित कर दिया जायगा।

परिशिष्ट (२)

प्रधानमन्त्री की घोषणा

अ

[प्रथम गोलमेज-परिषद् के समाप्त होने पर तारों १६ जनवरी सन् १९३१ को प्रधानमन्त्री ने जो घोषणा की, वह नीचे दी जाती है ।]

सम्राट् की सरकार का विचार है कि भारत के शासन का भार केन्द्रीय और प्रान्तीय धारासभाओं पर हो, केवल सक्रमण काल के लिए सरकार उत्तरदायित्व पूरा करने के लिए, विशेष परिस्थितिवश और अल्पसंख्यक जातियों की राजनैतिक स्वतन्त्रता और अधिकारों को कायम रखने के लिए कुछ सरक्षणों का पालन करना आवश्यक समझती है ।

इस संक्रमण काल की विशेष परिस्थिति के हितार्थ जो सरक्षण शासन-विधान में होगे उनके निर्माण में सम्राट् की सरकार का मुख्य ध्यान इस बात पर रहेगा कि वे सरक्षण ऐसे हों और उनका पालन भी इस प्रकार किया जाय कि जिससे नये विधान द्वारा भारत में पूर्ण उत्तर-दायित्वपूर्ण शासन स्थापित होने में कोई वादा उत्पन्न न हो ।

यह घोषणा करते हुए सम्राट् की सरकार को यह बात जात है कि कुछ बातें, जो प्रस्तावित शासन-विधान के लिए अत्यावश्यक हैं, अभी पूर्णतया तय नहीं हुई हैं । परन्तु सरकार को यह विश्वास है कि इस सभा में जो कार्य हुआ है, उससे यह ग्राहा होती है कि इस घोषणा के बाद जो बातचीत होगी, उसमें वे सब आवश्यक बातें तय हो जायंगी ।

सम्राट् की सरकार ने यह बात जान ली है कि इस सभा की कार्यवाही, जिसमें सब दलों की सम्मति है इसी आधार पर हुई है कि

भावी केन्द्रीय सरकार अखिल भारतीय संघ-शासन-पद्धति के अनुसार होगी, जिसमें ब्रिटिश भारत और देशी राज्यों की सहमति द्विखंड धारासभा द्वारा होगी। उस शासन-विधान की रचना और स्वरूप तो भविष्य में ब्रिटिश भारत के प्रतिनिधियों और देशी राजाओं के बीच बात होकर ही निश्चय होगे। इस शासन का अधिकार-क्षेत्र भी बाद में विचार कर ही तय होगा; क्योंकि संघ-शासन के अधीन देशी-राज्यों से सम्बन्ध रखनेवाले वे ही प्रश्न होंगे, जो देशी राजा स्वयं संघ में शामिल होने पर अपनी खुशी से संघ-शासन के अधीन कर देंगे। देशी राजाओं का संघ में शामिल होना केवल इसी शर्त पर होगा कि राजाओं द्वारा संघ को अपित अधिकारों के अतिरिक्त अन्य सब विषयों में उनका सम्बन्ध सम्राट् के प्रतिनिधि वाइसराय के द्वारा सीधा सम्राट् के साथ रहेगा। कार्यकारिणी (Executive) को धारासभा के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए, इस नियम के अनुसार भावी सरकार संघ-शासन की धारासभा के अधीन रहेगा।

मौजूदा परिस्थिति में रक्षा और परराष्ट्रों से सम्बन्ध के विषय गवर्नर जनरल के अधीन रहेंगे और उसको इस विषय में शासन करने के लिए उपयुक्त अधिकार देने का भी प्रबन्ध किया जायगा। इसके अतिरिक्त चूंकि असाधारण आवश्यकता आ पड़ने पर राज्य की शाति का भार वस्तुतः गवर्नर जनरल पर है और वही ग्रल्पसत्यक जातियों के कानूनी स्वत्त्वों की रक्षा के लिए जिम्मेदार है, इसलिए गवर्नर जनरल को इन विषयों के शासन के लिए भी उपयुक्त अधिकार रहेंगे।

अब रहा आर्थिक अधिकारों का प्रश्न, सो आर्थिक अधिकार देने के पहले इस बात की आवश्यकता है कि भारतमन्त्री द्वारा स्वीकृत आर्थिक जिम्मेदारियों के समुचित पालन का प्रबन्ध हो और भारत की आर्थिक अवस्था और साख अक्षुण्णा बनी रहे। संघ-विधायक समिति की रिपोर्ट की इस सम्बन्ध में जो सिफारियों हैं: जैसे रिजार्व बैंक की

स्थापना ऋण-प्राप्ति का साधन और विनिमय-नीति, इन सबका सम्राट् की सरकार की समिति में, नये शासन-विधान में समावेश होना है। भारत की आर्थिक व्यवस्था में सासार का विश्वास अक्षुण्ण रहे, इसके लिए इन सब बातों का विधान में समावेश परमावश्यक है। इनके अतिरिक्त अन्य सब आर्थिक विषयों जैसे आय के सीगे और हस्तांतरित विषयों में व्यय के नियंत्रण में, भावी भारत सरकार को पूर्ण स्वतन्त्रता रहेगी।

इसका अर्थ यह है कि केन्द्रीय धारासभा और कार्यकारिरक्षी (Executive) में द्वैध शासन के चिह्न भावी विधान में विद्यमान रहेंगे।

परिस्थिति-विशेष के कारण रक्षित अधिकारों का जारी रहना अभी तो विधान में आवश्यक प्रतीत होता है और वास्तव में स्वतन्त्र-से-स्वतन्त्र विधान में भी किसी-न-किसी प्रकार के रक्षित अधिकार रहते ही हैं। हाँ, ऐसा प्रयत्न करना चाहिए कि रक्षित अधिकारों का प्रयोग कम-से-कम किया जाने का अवसर उपस्थित हो। उदाहरणार्थ मंत्रियों का गवर्नर जनरल से यह आशा करना कि वह अपने रक्षित अधिकारों का प्रयोग कर, उनकी अपनी जिम्मेवारी के भार को हल्का करे, अनुचित होगा; क्योंकि ये रक्षित अधिकार तो विशेष अवस्था में ही उपयोग से आने चाहिए, नहीं तो उत्तरदायित्वपूर्ण शासन ही बृथा हो जायगा। यह बात स्पष्टतया समझ लेनी चाहिए।

गवर्नर के प्रान्तों में अक्षुण्ण उत्तरदायित्वपूर्ण शासन की व्यवस्था की जायगी। प्रान्तीय मन्त्री धारासभा के सदस्यों में से होंगे और वे सम्मिलित रूप में धारासभा के प्रति उत्तरदायी होंगे। प्रान्तीय शासन का अधिकार-क्षेत्र इतना विशाल होगा कि प्रान्त के शासन में अधिक-से-अधिक स्वराज्य का उपयोग हो सकेगा। संघ-शासन के अधीन वही विषय होंगे, जो अखिल भारतीय है और जिनके शासन की जिम्मेवारी विधान द्वारा संघ-सरकार को दी हुई है।

गवर्नर को केवल वही न्यूनातिन्यून अधिकार होंगे, जिनसे असाधारण समय में शान्ति की रक्षा हो सके और विधान में प्रस्तावित सरकारी नौकरों और अल्पसंख्यक जातियों के अधिकार सुरक्षित रह सकें।

अन्त में सम्राट् की सरकार की धारणा है कि प्रान्तों में उत्तर दायित्वपूर्ण शासन की स्थापना करने के लिए यह आवश्यक है कि धारा सभाओं में सभासदों की वृद्धि हो और मतदाताओं की संख्या में भी उपयुक्त वृद्धि की जाय।

विधान-रचना में सम्राट् की सरकार का विचार है कि ऐसी शर्तें रखती जायं, जिनसे न केवल अल्पसंख्यक जातियों के राजनैतिक प्रतिनिधित्व की रक्षा का प्रबन्ध ही हो, बल्कि उनको यह भी विश्वास दिला दिया जाय कि धर्म, जाति तथा वर्ग आदि की विभिन्नता के कारण कोई नागरिकता के अधिकार से वंचित न रहेगा।

सम्राट्-सरकार की सम्मति में विभिन्न जातियों का यह कर्तव्य है कि अल्पसंख्यक उप-समितियों में उठाये हुए प्रश्नों पर, जो वहाँ तय नहीं हो सके हैं, आपस में समझौता करलें। आगे की बातचीत में यह समझौता हो जाना चाहिए। सरकार इस कार्य में भरसक सहायता देगी, क्योंकि उसकी इच्छा है कि नए विधान का संचालन न केवल अविलम्ब ही हो, बल्कि उसके संचालन में प्रारम्भ से ही सब जातियों का सहयोग और विश्वास भी होना चाहिए।

विभिन्न उप-समितियों ने, जो कि भारत के लिए उपयुक्त विधान के आवश्यक अंगों पर विचार कर रही हैं, विधान के ढांचे पर विस्तृत रूप से गवेषणा की है। अतः जो बातें अबतक तय नहीं हुई हैं, वे भी इस सीमा तक पहुंच गई हैं, जहाँ से समझौता दूर नहीं है। सम्राट् की सरकार इस सभा की रचना और अल्प समय, जो इसको कार्य के लिए लन्दन में मिला है, दोनों पर विचार करते हुए यही उचित समझौती है कि अभी इसकी कार्रवाही स्थगित कर दी जाय और इसकी सफलता में जो कठिनाइयाँ उपस्थित हुई हैं, उनके दूर करने की विधि पर भी विचार

किया जाय। सम्राट् की सरकार शीघ्र ही एक योजना करने वाली है, जिससे हम सबका सहयोग जारी रहे और अपने श्रम के फलस्वरूप नया विधान शीघ्र ही तैयार हो जाय। यदि इस अवसर में सविनय आज्ञामंग-आन्दोलन में भाग लेने वालों ने वायसराय की अपील के उत्तर में इस घोषणा के अनुसार कार्य में सहयोग देना स्वीकार किया तो उनके सहयोग प्राप्त करने का भी प्रयत्न किया जायगा।

अब मेरा कर्तव्य है बि आपने यहाँ आकर, प्रत्यक्ष बातचीत करके जो प्रशंसनीय सेवा भारतवर्ष की ही नहीं बल्कि इस देश की भी की है, उसके लिए मैं सरकार की ओर से आप सबको बधाई दूँ। इधर कई वर्षों से दोनों ओर के अनेक पुरुषों ने बीच में पड़कर हमारे और आपके पारस्परिक सम्बन्ध में जो गलतफहमी और विभिन्नता पैदा करा दी है, उसको दूर करने का सबसे अच्छा उपाय इस प्रकार प्रत्यक्ष की बातचीत ही है। इस प्रकार मिलकर एक-दूसरे के विचार और बाधाओं से जानकार होना ही पारस्परिक विरोध दूर करने और एक-दूसरे की माँग पूरी करने का सर्वोत्तम उपाय है। सम्राट् की सरकार एकता प्राप्त करने का भरसक प्रयत्न करेगी, जिससे नया विधान पार्लामेंट से पास होकर दोनों देश के वासियों की सद्कामना के साथ संचालन में आवे।

आ

[दूसरी गोलमेज़-परिषद् की समाप्ति पर ता० १ दिसम्बर सन् १९३१ को प्रधानमन्त्री ने जो वक्तव्य दिया, वह नीचे दिया जाता है]

१—हम गोलमेज़-परिषद् के दो अधिवेशन कर चुके हैं और अब समय आगया है कि भारत के भावी विधान की रचना में जो-जो कठिनाइयाँ उपस्थित हैं, उनपर विचार करने और उनको दूर करने का प्रयत्न करने के प्रश्नों पर हमने जो कुछ कार्य किया है, उसका लेखा लें। जो विभिन्न रिपोर्टें हमारे सामने पेश हुई हैं, वे हमारे सहयोग के कार्यों को दूसरी मंजिल पर पहुंचा देती हैं, और अब हमको ज़रा विश्राम लेकर

अबतक के कार्य का सिहावलोकन करना चाहिए। यहाँ यह भी देखना चाहिए कि हमने अबतक किन-किन विरोधों का सामना कर लिया है और अपने कार्य को सफलतापूर्वक शीघ्रातिशीघ्र समाप्त करने के लिए क्या उद्योग किया जाय। अपनी पारस्परिक बातचीत और व्यक्तिगत सम्बन्धों को मैं बड़ा मूल्यवान् समझता हूँ। आज मुझे यह कहने का साहस है कि इन्हीं दो बातों ने विधान के प्रश्न को केवल शुष्क विधान-रचना तक ही सीमित नहीं रहो दिया, बल्कि हमारे हृदयों में एक-दूसरे के लिए आदर और विश्वास के भाव पैदा कर दिये, जिससे हमारा कार्य एक आशापूर्ण राजनैतिक सहयोग के समान हो गया। मुझे दृढ़ विश्वास है कि यही भाव अन्त तक रहेगे, क्योंकि केवल सहयोग से ही हमको सफलता प्राप्त हो सकती है।

२—इस वर्ष के प्रारम्भ में मैंने तत्कालीन सरकार की नीति की घोषणा की थी और मुझे मौजूदा सरकार की ओर से यही आदेश है कि मैं आपको और भारतवर्ष को निश्चयपूर्वक आश्वासन दिलाता हूँ कि इस सरकार की भी वही नीति है। मैं उस घोषणा के मुख्य-मुख्य भागों को पुनः घोषित करता हूँ—

“सम्राट् की सरकार का विचार है कि भारत के शासन का भार केन्द्रीय और प्रान्तीय धारासभाओं पर हो, केवल संक्रमण-काल के लिए सरकार अपना उत्तरदायित्व पूरा करने के लिए परिस्थितिवश और अल्पसंख्यक जातियों की राजनैतिक स्वतन्त्रता और अधिकारों को क्रायम रखने के लिए कुछ संरक्षणों का पालन करना आवश्यक समझती है।”

“इस संक्रमण-काल विशेष परिस्थिति के हितार्थ जो संरक्षण शासन-विधान में होंगे, उनके निर्माण में सम्राट् की सरकार का मुख्य ध्यान इस बात पर रहेगा कि वे संरक्षण ऐसे हों और उनका पालन भी इस प्रकार किया जाय कि जिससे नये विधान द्वारा भारत में पूर्ण उत्तरदायित्वपूर्ण शासन स्थापित होने में कोई बाधा उत्पन्न न हो।”

३—केन्द्रीय सरकार के विषय में तो मैं कह चुका था कि सम्राट् की गत सरकार ने कुछ प्रकट शर्तों के साथ यह सिद्धान्त स्वीकार कर लिया था कि यदि भावी विधान अखिल भारतीय संघशासन-पद्धति के अनुसार हो तो कार्यकारिणी (Executive) धारासभा के प्रति उत्तरदायी होगी। शर्तें यही थीं कि फ़िलहाल रक्षा और परराष्ट्रों से सम्बन्ध के विषय गवर्नर जनरल द्वारा रक्षित रहें और आर्थिक अधिकारों के विषय में इस बात का ध्यान रखता जाय कि भारत मन्त्री कृत आर्थिक जिम्मेदारियों का समुचित रूप से पालन हो, जिससे भारत की आर्थिक अवस्था और साक्ष अक्षुण्ण बनी रहे।

४—अन्त में हमारी यह सम्मति थी कि गवर्नर जनरल को ऐसे अधिकार दिये जायं, जिनसे वह अल्पसंख्यक जातियों के राजनैतिक अधिकार-रक्षण और असाधारण समय में देश में शान्ति-स्थापन की अपनी जिम्मेदारी पूरी कर सके।

५—मोटे तौर पर यही सब चिह्न भावी भारत के शासन-विधान के थे, जो सम्राट् सरकार ने गत गोलमेज़-परिषद् की समाप्ति पर विचार कर प्रकाशित किये थे।

६—जैसा कि मैंने अभी प्रकट किया है, सम्राट् की मौजूदा सरकार के मेरे सहयोगी गत जनवरी वाले मेरे वक्तव्य को, अपनी नीति के अनुकूल स्वीकार करते हैं। विशेषकर ये इस बात को पुनर्धोषित कर देना चाहते हैं कि ‘अखिल भारतीय संघ’ ही उनकी सम्मति में भारत की विधान-सम्बन्धी कठिनाइयों को कुंजी है। वे सब इसी नीति का अविचलित रूप से अवलम्बन कर यथाशक्ति विधन-बाधाओं को दूर करते हुए चलना चाहते हैं। इस घोषणा पर अधिकार की मोहर लगाने के लिए मैं आज के वक्तव्य को ‘ह्वाइट पेपर’ के तौर पर आर्लमेंट के दोनों भवनों में बंटवा दूंगा और सरकार इसी सप्ताह पार्लमेंट से उसे मंजूर करवा लेगी।

७—गत दो मास से जो बातचीत चल रही है, उसने हमारे प्रश्नों

को स्पष्ट कर दिया है, जिससे उनमें से कुछ को हल करना भी सहज हो गया है। परन्तु इससे यह भी सिद्ध हो गया है कि बाकी के प्रश्नों पर फिर सहयोगपूर्ण विचार करना आवश्यक है। अभी कई बातों में विचार-विभिन्नता है जैसे—संघ, धारासभा की रचना और अधिकारों के विषय। मुझे दुःख है कि अल्पसंख्यक जातियों के संरक्षण से मुख्य प्रश्न का कुछ फँसला न होने से यह परिषद् संघ-सरकार और धारासभा के रूप और उनके पारस्परिक सम्बन्ध के विषय में ठीक तय नहीं कर सकी। इसी प्रकार अबतक देशी राज्य भी संघ में अपना-अपना स्थान और उसमें अपने पारस्परिक सम्बन्ध के विषय में कुछ तय नहीं कर सके हैं। इन बातों की उपेक्षा करने से हमारे ध्येय की प्राप्ति नहीं होगी और न यह सभव है कि ये सब कठिनाइयां अपने-आप दूर हो जायगी। अतः पूर्व इसके कि हम इन सब बातों का विधान के ढांचे में सफलता से समावेश कर सके, आवश्यकता इस बात की है कि हम इनपर पुनर्विचार और बातचीत करें, जिससे भिन्न-भिन्न मतों और स्वार्थों का समन्वय हो सके। इससे मेरा यह तात्पर्य नहीं है कि यह कार्य असम्भव है या इसके लिए हमें अधिक ठहरना पड़ेगा। मैं तो आपको यह याद दिलाना चाहता हूँ कि हमने ऐसा काम हाथ में लिया है, जिसमें समाट की सरकार और भारत के नेताओं को ध्यान, साहस और समय लगाना पड़ेगा, ताकि ऐसा न हो कि कार्य समाप्त होने पर कुछ अव्यवस्था और निराशा हो, और राजनीतिक उन्नति का द्वारा खुलने के बजाय बंद हो जाय। हमें अच्छे कारीगर की तरह ठीक और सही तौर पर कार्य करना पड़ेगा और भारत हमसे इसी कर्तव्य की आशा भी करता है।

—तो हमारी स्थिति अभी क्या है; हमने ध्येय की प्राप्ति के लिए कौन-सा मार्ग निश्चित किया है? मैं ऐसी साधारण घोषणाएं नहीं चाहता, जो हमको आगे बढ़ाने में सहायक न हों। जो घोषणाएं पहले की जा चुकी हैं और जिनको आज मैंने पुनः दोहराया है, सर-

कार की सद्भावना के परिचय और उन समितियों को, जिनका ज़िक्र मैं आगे करूँगा, कार्य-संलग्न करने के लिए पर्याप्त है। मैं तो व्यावहारिक होना चाहता हूँ। अखिल भारतीय संघ-स्थापन का बृहद् विचार अभी लोगों के दिलों में जमा हुआ है। संक्रमणकाल के लिए कुछ उपयुक्त संरक्षणों सहित उत्तरदायित्वपूर्ण संघ-सरकार का सिद्धान्त अभीतक अविकल बना हुआ है। हम सब इसमें सहमत हैं कि भावी गवर्नर के प्रान्तों के शासन में बाहर से कम-से-कम हस्तक्षेप और भीतरी प्रबन्ध में अधिक-से-अधिक स्वतन्त्रता हो।

६—इस अन्तिम बात के विषय में मैं यह कह दूँ कि भावी सुधार के फलस्वरूप सीमा-प्रान्त को गवर्नर का प्रान्त बनाने का हमारा विचार है। इसके अधिकार केवल सीमा-प्रान्त की विशेष परिस्थिति के कारण कुछ परिवर्तनों के अतिरिक्त अन्य प्रान्तों के समान ही होंगे और उनके समान ही शांति-स्थापन और रक्षा के निमित गवर्नर को दिये हुए अधिकार वास्तविक और कारगर होंगे।

१०—सम्राट् की सरकार गत गोलमेज़-परिषद् में पास हुई सिन्ध को अलग प्रान्त बनाने की सिफारिश सिद्धान्त-रूप में स्वीकार करती है बशर्ते कि इस प्रान्त को अपने आर्थिक भार उठाने के साधन प्राप्त हो जायं। अतः हमारा विचार भारत सरकार से यह कहने का है कि वह सिन्ध के प्रतिनिधियों के साथ यह विचार करने के लिए एक कान्फरेंस की आयोजना करे कि अर्थ-विशेषज्ञों द्वारा इस विषय में बतलाई हुई कठिनाइयों को दूर करने का यत्न कैसे किया जाय।

११—मैं विषयान्तर में चला गया—हमारा विषय स्वतन्त्र प्रान्त और देशी राज्यों का सम्मिलित संघ था। जैसा कि मैं पहले कह चुका हूँ, हमारी बातचीत ने स्पष्ट सिद्ध कर दिया है कि संघ की स्थापना एकाध महीने में नहीं हो सकती है। अभी तो बहुत कुछ रचनात्मक कार्य बाकी हैं, कई बातों पर समझौता कर उनके आधार पर भवन-निर्माण करना है। यह तो स्पष्ट है कि प्रान्तों में उत्तरदायित्वपूर्ण शासन स्थापित

करना उतना कठिन नहीं है और यह सुगमतर रीति से भी हो सकता है। अभी केन्द्रीय सरकार के पास जो अधिकार हैं, उनमें घटा-बढ़ी करने में—क्योंकि प्रान्तीय स्वराज्य के लिए प्रांतों को विशेष स्वतन्त्रता से अधिकार देने पड़ेगे—कोई खास बाधाएं उपस्थित नहीं होंगी। इसी कारण सरकार को दबाकर कहा गया है कि संघ-स्थापन करने का सुगमतर उपाय यही है कि प्रान्तों को शीघ्र स्वराज्य दे दिया जाय और इसमें यथासंभव आवश्यकता के सिवा एक दिन की भी देर न हो। परन्तु ऐसा मालूम होता है कि यह इकतरफा सुधार आपको कम रुचिकर प्रतीत होता है। आप लोगों की इच्छा है कि विधान में ऐसा कोई परिवर्तन न किया जाय, जिसका असर समष्टि रूप से सारे भारत पर न पड़े और सम्राट् की सरकार की भी यह मंशा नहीं है कि कोई भी उत्तरदायित्व, जो किसी भी कारण से असामयिक समझा जाता हो, बलात् दिया जाय। संभव है कि समय और परिस्थिति में परिवर्तन हो जाय, अतः अभी शीघ्र ही ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे आगे पछताना पड़े। हमारी सदा से यह सम्मति रही है और अब भी है कि संघ-शासन स्थापित करने के प्रयत्न में शीघ्रता की जाय। परन्तु इस कारण से सीमाप्रान्त के सुधारों में विलम्ब करना भूल होगी, अतः हमारा विचार है कि भावी सुधारों के लिए न ठहर कर, मौजूदा विधान के अनुसार ही अभी सीमाप्रान्त को जल्दी-से-जल्दी गवर्नर का प्रान्त बना दिया जाय।

१२—हमको यह अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि केन्द्रीय अथवा प्रान्तीय प्रगति के मार्ग में जातिगत प्रजनरूपी बहुत बड़ी रुकावट पड़ी हुई है। मैंने अपनी इस धारणा को आपसे कभी नहीं छिपाया है कि इसका फैसला तो सबसे पहले आपको आपस में ही कर लेना चाहिए। स्वयंशासित जनता का प्रथम कर्तव्य और भार तो यही है कि आपस में पहले यह फैसला करले कि प्रजातन्त्र-पद्धति के प्रतिनिधित्व का प्रयोग कैसे किया जाय अर्थात् प्रतिनिधित्व किसको और कितना दिया जाय। दो बार इस परिषद् ने इस काम को हाथ में उठाया और

दोनों ही बार असफलता मिली। मैं नहीं मानता कि आप हमको यह कहेंगे कि आपकी यह असमर्थता सदा बनी रहेगी।

१३—समय तीव्र वेग से दौड़ रहा है और यदि आपने ऐसा समझौता, जो सब दलों को स्वीकार हो और जिसपर आगे कार्य किया जा सके, पेश नहीं किया, तो हमे शीघ्र ही अपने आगे बढ़ने के प्रयत्न में रुकना पड़ेगा (और वास्तव में अभी हम रुक से गये हैं)। ऐसी दशा में सभ्राट् की सरकार को विवश होकर एक अस्थाई योजना बनानी होगी, क्योंकि सरकार निश्चय कर चुकी है कि आपकी इस असमर्थता पर भी राजनीतिक उन्नति रुक नहीं सकती। इसका अर्थ यह होगा कि सभ्राट् की सरकार आपके लिए केवल प्रतिनिधित्व का प्रश्न ही तथा नहीं करेगी, बल्कि यथागत्य बुद्धिमानी और निष्पक्षता-पूर्वक यह भी तथा करेगी कि विधान में क्या-क्या नियन्त्रण और सन्तुलन रखने की आवश्यकता है, जिससे अल्पसंख्यक जातियों के बहुसंख्यक जातियों के, जिनका प्राधान्य प्रजातन्त्र-शासन में होगा, अत्याचारों से रक्षा हो सके। मैं आपको आगाह करदू कि विधान का यह भाग, जो आप स्वयं निर्धारित नहीं कर सकते हैं, यदि सरकार आरजी तौर पर भी निर्धारित करेंगी, तो चाहे वह कितने ही गम्भीर विचार के साथ अल्पसंख्यक जातियों के रक्षार्थ संरक्षणों का समावेश करे, जिससे किसीको यह शिकायत न हो कि उनकी उपेक्षा हुई है, तब भी वह इस प्रश्न का सन्तोषजनक निपटारा नहीं होगा। मैं आपसे यह भी कहूँगा कि यदि आप इस विषय में किसी निश्चय पर नहीं पहुँचेंगे तो आप निश्चय रखिए कि भारत के विधान पर हमारे समान विचार रखने वाली किसी भी सरकार के कार्य को आप अधिक दुस्तर बनावेंगे और वह विधान अन्य राष्ट्रों के विधानों के समान आदरपूर्ण स्थान नहीं पा सकेंगा। अतः मैं आपसे एक बार फिर अनुरोध करूँगा कि आप जाकर पुनः इस प्रश्न पर विचार-विनिमय करें और किसी समझौते के साथ हमारे सामने पेश करें।

१४—हमारा इरादा आगे बढ़ने का है। अब हमने अपने कार्य को सिलसिलेवार कुछ विषयों में विभक्त कर लिया है। अब आवश्यकता इस बात की है कि पहले उनपर छोटी समितियां, बहुत बड़ी-बड़ी परिषदें नहीं, गवेषणापूर्वक विचार करें और हमें उचित है कि अब इसी क्रमानुसार कार्य करने के लिए उपाय सोचें। जबतक यह कार्य हो और वे समितियां इसकी रिपोर्ट पेश करें, तबतक हमारी आपकी बातचीत जारी रहनी चाहिए। अतः आपकी सम्मति लेकर मैं चाहता हूँ कि एक प्रतिनिधि-समिति—इस सभा की कार्यकारिणी समिति—नामजद कर दी जाय, जो भारत में ही रहे और जिसका वायसराय के द्वारा हमसे भी सम्बन्ध बना रहे। अभी यह निश्चयपूर्वक नहीं कह सकता कि वह समिति किस प्रकार कार्य करेगी। यह विषय तो ऐसा है, जिसपर विचार करना होगा और विवार भी तब संभव होगा, जब हमारी प्रस्तावित समितियां अपनी विविध रिपोर्टें पेश करदें। हां, अन्त में हमको एक बार और मिलना होगा, जिससे सब रचनात्मक कार्यों का एक बार सिहावलोकन हो सके।

१५—हमारा यह विचार है कि परिषद् द्वारा प्रस्तावित ये समितियां शीघ्र बना दी जायें : (क) जो चुनाव-क्षेत्रों और मताधिकार के विषय में जांच और सिफारिश करें; (ख) जो फेडरल फाइनेन्स सब-कमेटी की सिफारिशों की आय-न्यय के आंकड़ों से मिलान कर जांच करें; और (ग) जो कुछ देशी राज्य-विशेषों के विषयों में उत्पन्न हुए आर्थिक प्रश्नों पर गौर से विचार करे। हमारा यह विचार है कि ये समितियां इस देश के प्रमुख सार्वजनिक पुरुषों के अधिनायकत्व में, आगामी नए वर्ष के प्रारम्भ में ही भारत में कार्य करें। संघ-विधान विषयक अन्य अनिश्चित विषयों पर जां सम्मतियां आपने प्रकट की हैं, उनपर हम शीघ्र ही विचार करेंगे और ऐसा उपाय करेंगे जिससे उनके विषय में भी उचित समझौता हो सके।

१६—सम्ब्राट की सरकार ने संघ-विधायक समिति की रिपोर्ट के

२६वें पैरा में प्रस्तावित राय पर भी, जिससे संघ-धारासभा में राज्यों द्वारा स्वीकृत प्रतिनिधियों की संख्या को प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधित्व के विचार से विभाजित करने में आसानी होगी, गौर कर लिया है। मेरे पूर्वकथन से स्पष्ट है कि देशी राजा स्वयं इस बात के इच्छुक हैं कि उनके प्रतिनिधित्व का फैसला यथासंभव शीघ्र ही हो और सम्राट की सरकार की इच्छा है कि उनको इस विषय में सम्मति के रूप में हर प्रकार की सहायता दी जाय। यदि राजाओं के आपस में इस विषय में उचित निपटारा होने में विलम्ब मालूम हुआ तो सरकार वह उपाय करेगी जिससे उचित निपटारा शीघ्र हो।

१७—दूसरे जिस विषय के बारे में कुछ कहने की आग आशा करेंगे और जो आप बड़ा आवश्यक समझते हैं, उसकी कुछ चर्चा में पहले ही कर चुका हूँ। जातिगत प्रश्न का ऐसा निपटारा जो केवल धारासभा में जातियों के प्रतिनिधित्व का ही फैसला करे, मेरी राय में 'नैसर्गिक अधिकार'-प्राप्ति के लिए पर्याप्त नहीं है। विधान में केवल ऐसी बात के समावेश से अल्पसंख्यक जातियां तो उसी अल्पसंख्या में ही रहेंगी; अतः विधान में ऐसी शर्तें अवश्य होनी चाहिए, जिनमें सब धर्मों और जातियों को यह विश्वास हो कि राष्ट्र में बहुसंख्यक सरकार उनकी नैतिक और आर्थिक उन्नति में बाधा नहीं पहुँचायगी। सरकार अभी यहां यह नहीं कह सकता कि वे शर्तें क्या हैं। उनका रूप और विस्तार तो बड़े सोच-विचार के बाद ही निश्चित किया जा सकता है, जिससे एक और तो वे अपने तात्पर्य को सिद्ध कर सकें और दूसरी ओर प्रतिनिधित्व-सिद्धान्तवादी उत्तरदायित्वपूर्ण शासन में भी किसी प्रकार से क्षति न पहुँचे। इस बात के तथ्य करने में सलाहकार-समिति अच्छी सहायता देगी, क्योंकि इस विषय के भी जातिगत भताधिकार विभाजन के समान सबकी राय के साथ तथ्य होने में ही विधान का सफलतापूर्वक संचालन हो सकता है।

१८—अब एक बार फिर हम और आप एक-दूसरे से विदा

होते हैं। हममें से अधिक-से-अधिक आशावादी को जितनी सफलता की आशा थी उसमें अधिक सफलता हमको प्राप्त हुई है। भाषणों में प्रति निधिगण के मुख से ऐसे भाव सुनकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई, क्योंकि तथ्य भी यही है। हमारे कार्य में बाधाएं उपस्थित हुई हैं; परन्तु उस आशावादी ने जिसका संसार उन्नति के लिए आभारी है, यह कहा था कि बाधाएं तो दूर करने के लिए होती हैं। इस उपदेश से जो नूतनता और सद्भावना की शिक्षा मिलती है, उसीके अनुसार हमें अपने कार्य में सलग्न रहना चाहिए। ऐसी परिषदों का मेरा विस्तृत अनुभव यही है कि समझौते का रास्ता शुरू में टूटा-फूटा: और बाधापूर्ण होता है, अतः प्रारम्भ में प्रत्येक को एक प्रकार की निराशा-सी होती है। परन्तु एक समय आना है जब, और अधिकतर अकस्मात् ही, रास्ता साफ हो जाता है और मजिले-मङ्गसूद तक आराम से पहुंच जाते हैं। मेरी यह प्रार्थना ही नहीं है कि हमारा अनुभव भी यही हो, प्रलयत मै आपको विश्वास दिलाता हूँ कि सरकार सतत यही प्रयत्न करेगी कि हमारा और आपका श्रम धीघ ही फलदायक हो।

